



The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973

Act 23 of 1973

Keyword(s):

Agriculture

Amendments appended: 1 of 2012, 14 of 2017, 15 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(क्रमांक 23 सन् 1973)

(एक)

मध्यप्रदेश अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 1973)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

धाराएँ

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ क्रमांक
	पहला अध्याय —प्रारम्भिक	1—2
1	संक्षिप्त नाम विस्तार, प्रारम्भ तथा लागू होना	1
2	परिभाषाएँ	2
3	दूसरा अध्याय — नगर तथा ग्राम निवेश संचालक	5
	संचालक तथा अन्य अधिकारी	5
	तीसरा अध्याय — प्रादेशिक निवेश	6—9
4	प्रदेश की स्थापना	6
5	संचालक प्रादेशिक योजनाएँ तैयार करना	6
6	सर्वेक्षण	6
7	प्रादेशिक योजना की विषय वस्तु	7
8	प्रादेशिक योजना का तैयार किया जाना	7
9	प्रादेशिक योजना का अंतिम रूप दिया जाना	8
10	भूमि के उपयोग या उसके विकास पर निर्बन्धन	8
11	कर्तिपय मामलों में प्रतिकर के दावों से अपवर्जन	9
12	प्रादेशिक योजना पुनर्विलोकन	9
	चौथा अध्याय — निवेश क्षेत्र तथा विकास योजनाएँ	10—14
13	निवेश क्षेत्र	10
14	संचालक विकास योजनाएँ तैयार करेगा	10
15	भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र	11
16	भूमि के उपयोग का स्थिरीकरण	11
17	विकास योजना की विषय वस्तु	11
17—क	समिति का गठन	12
18	प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन	13
19	विकास योजनाओं की मंजूरी	14
	पांचवा अध्याय — परिक्षेत्रिक योजना	15—17
20	स्थानीय प्राधिकारी परिक्षेत्रिक योजना तैयार करेगा	15
21	परिक्षेत्रिक योजना की विषय वस्तु	15
22	धारा 18 तथा 19 के उपबंध परिक्षेत्रिक योजना को लागू होंगे	16
23	विकास योजना तथा परिक्षेत्रिक योजना का पुनर्विलोकन	16
23—क	कर्तिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का उपान्तरण	16
	छठवा अध्याय — भूमि विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण	18—25
24	संचालक भूमि के उपयोग को नियंत्रित करेगा	18
24—क	आवासिक भवन में अतिरिक्त तल का सन्निर्माण	18
25	विकास योजना से अनुरूपता	18
26	अनुज्ञा के बिना विकास का प्रतिषेध	19
27	संघ या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया गया विकास कार्य	20
28	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा विकास	20
29	अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास के लिए अनुज्ञा के हेतु आवेदन	20
30	अनुज्ञा का दिया जाना या अनुज्ञा देने से इंकार	21
31	अपील	21

32	पुनरीक्षण	21
33	अनुज्ञा का व्यपगत होना	22
34	भूमि अर्जित करने के लिए बाध्यता	22
35	अभिहित भूमि के आरक्षण का प्रारूप या अंतिम विकास योजना में से निकाल दिया जाना	23
36	अप्राधिकृत विकास के लिए विकास योजना के अनुरूपतः उपयोग से अन्यथा उपयोग करने के लिए शास्ति	24
37	अप्राधिकृत विकास को हटाने के अपेक्षा करने की शक्ति	24
	सातवां अध्याय – नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी	26–34
38	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना	26
39	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का निगमन	26
40	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन	26
41	अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि	27
42	सदस्यों के त्याग पत्र तथा आक्रिमिक रिक्त का भरा जाना	27
43	अध्यक्ष का पारिश्रमिक	28
44	अनुपस्थिति-छुट्टी तथा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति आदि	28
45	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के सम्मिलन	28
46	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी	28
47	अन्य अधिकार तथा सेवक	28
48	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों एवं सेवकों की सेवा शर्तें	28
49	नगर विकास स्कीम	29
50	नगर विकास स्कीमों का तैयार किया जाना	29
51	पुनरीक्षण	30
52	निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति	31
53	भूमि के उपयोग तथा भूमि के विकास निर्बन्धन	31
54	स्कीम का व्यपगत होना	31
55	नगर विकास स्कीम लोक प्रयोजन होगी	31
56	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के लिए भूमि का अर्जन	31
57	विकास कार्य	32
58	भूमि, भवनों तथा अन्य विकास कार्यों का व्ययन	32
59	विकास प्रभार	32
60	उदग्रहण का ढंग	32
61	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की निधि	33
61–क	राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को वार्षिक अभिदाय	33
62	वार्षिक बजट	34
63	धन उधार लेने की शक्ति	34
63–क	बकाया की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली	34
	आठवां अध्याय – विशेष क्षेत्र	34–36
64	विशेष क्षेत्र का गठन	34
65	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	35
66	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का निगमन	35
67	कर्मचारी वृद्धि	35
68	कृत्य	35
69	शक्तियां	36
70	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की निधि	36
71	वार्षिक प्रावकलन	36

नवां अध्याय – नियंत्रण		37–38
72	पर्येक्षण तथा नियंत्रण की राज्य सरकार की शक्ति	37
73	निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति	37
74	अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं आदि का पुनर्विलोकन करने की राज्य सरकार की शक्ति	37
75	शक्तियों का प्रत्योजन	37
76	प्राधिकारियों का विघटन	37
नवां – क अध्याय – विकास प्राधिकरण सेवाएं		38–40
76–क	परिभाषाएं	38
76–ख	विकास प्राधिकरण सेवा का गठन आदि	38
76 खख	जांच	40
76 खखख	अधिभार	40
76–ग	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1961 का आंशिक निरसन	40
दसवां अध्याय – प्रकीर्ण		41–42
77	प्रवेश का अधिकार	41
78	न्यायालयों की अधिकारिता	41
79	अपराधों का संज्ञान	42
80	सदस्य तथा अधिकारी लोक सेवक होंगे	42
81	वाद तथा अन्य कार्यवाहियां	42
82	कार्यवाहियां रिक्त के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी	42
83	सदस्य, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा	42
84	प्रादेशिक योजना आदि का निर्वचन	42
ग्यारहवां अध्याय – नियम तथा विनियम		42–44
85	नियम बनाने की शक्ति	42
86	विनियम	44
बारहवां अध्याय – निरसन		44–45
87	निरसन, व्यावृत्ति तथा निर्देशों का अर्थान्वयन	44
88	निरसन	45

मध्यप्रदेश अधिनियम
*(क्रमांक 23 सन् 1973)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

{दिनांक 16 अप्रैल 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति “मध्यप्रदेश” राजपत्र (असाधारण), में दिनांक 26 अप्रैल 1973 को प्रथमबार प्रकाशित की गई}

भूमि के निवेश तथा विकास एवं उपयोग के लिये उपबंध करने, नगर निवेश स्कीमों का उचित रीति में बनाया जाना तथा उनके निष्पादन का प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास योजनाएं तथा परिक्षेत्रीक योजनाएं तैयार करने के लिये अधिक उपबंध करने, नगर तथा ग्राम विकास योजना के उचित कार्यान्वयन के लिये नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी का गठन करने, विशेष क्षेत्रों का विकास तथा प्रशासन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के माध्यम से करने के लिये उपबंध करने विकास योजनाओं के प्रयोजनार्थ भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिये तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित प्रयोजनों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:—

पहला अध्याय — प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार प्रारंभ
तथा लाग होना

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

** (3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

(i) किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका निगम, इन्दौर की सीमाओं से परे स्थित क्षेत्रों को मध्यप्रदेश शासन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अधिसूचना क्रमांक 515—एफ—एक—20—33—73, दिनांक 13 फरवरी 1974 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित इन्दौर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह विधिमान्य है और सदैव ही विधिमान्य था और तदनुसार उन समस्त कार्यों या बातों का कार्यवाहियों के संबंध में, जो सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मूल अधिनियम के या उक्त निवेश क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में की गयी हो, समस्त प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे विधि के अनुसार की गयी है, और सदैव ही विधि के अनुसार की गयी थी।

(4) इस अधिनियम में की कोई भी बात —

(क) केन्टोनमेन्ट एक्ट, 1924 (क्रमांक 2 सन् 1924) के अधीन किसी छावनी के भीतर समाविष्ट भूमियों को,

(ख) नौ सेना, सेना तथा वायु सेना के संकर्मों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में रखी गयी, भाड़े पर ली गयी या अधिग्रहण की गयी भूमियों को,

* राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26—4—1973 पर प्रकाशित

** धारा 1 (3) राजपत्र, दिनांक 29.10.82 (म.प्र. अधिनियम क्रमांक 34 सन् 1982) द्वारा प्रतिस्थापित और इसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह सदैव से स्थापित की गयी है।

परिषाक्षणं

(ग) इण्डियन रेलवे एकट 1890 (क्रमांक 9 सन् 1890) के अध्याय 3 के अधीन, संकर्मों के सन्निर्माण तथा अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों को, लागू नहीं होगी।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) “कृषि” के अंतर्गत आता है उद्यान कृषि, कृषि फर्म (फार्मिंग), वार्षिक या नियतकालिक फसलें, फल संबियां, फूल घास, चारा वृक्ष उगाना या किसी भी प्रकार की मृदा कृषि चारे चराई या छपर छाने की घास के लिए भूमि आरक्षित करना, जीव धन, जिसके अंतर्गत मवेशी, घोड़े, गधे, खच्चर, सुअर आते हैं, का अभिजनन तथा पालन मछली का अभिजनन तथा मधुमक्खियों का पालन तथा भूमि का ऐसा उपयोग जो भूमि पर कृषि करने के लिए सहायक हो, किन्तु उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :-

(एक) केवल दूध निकालने तथा दूध और दूध के उत्पाद बेचने के प्रयोजनार्थ मवेशियों का पालन,

(दो) कोई उद्यान जो किसी भवन का उपांग हो, और अभिव्यक्ति “कृषक” का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(ख) “सुख सुविधा” के अंतर्गत मार्ग तथा सड़के, जल तथा विद्युत प्रदाय, खुले स्थान, उपवन, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, प्राकृतिक विशिष्टताएं (नेचुरल फीचर्स), खेल के मैदान, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था जल-निकास, मल-प्रवाह की व्यवस्था तथा अन्य उपयोगी सेवा कार्य, सेवाएं तथा सुविधाएं आती है ;

(ग) “भवन” से अभिप्रेत है गृह, झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना जो किन्होंने प्रयोजनों के लिए तथा किसी भी प्रकार की सामग्री से सन्निर्मित हो और उसका प्रत्येक भाग, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी तथा चाहे उसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता हो अथवा नहीं, और उसके अंतर्गत कुआ, शौचालय, जलनिकास कार्य, स्थिर चबूतर, बरामदा, दीवार की कुर्सियां, द्वारा की सीढ़िया, अहाते की दीवार, बाड़ एवं इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं तथा उससे संबंधित कोई भी निर्माण कार्य आते हैं किन्तु उसके अंतर्गत भवन में समाविष्ट प्लान्ट या मशीनरी नहीं आती।

* (घ) “निर्माण संक्रिया” के अंतर्गत आता है :-

(एक) भवन या उसके किसी भाग का बनाना या पुनः बनाना या तोड़ना ;

**(एक-क) “प्राकृतिक परिसंकट” से अभिप्रेत है किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किसी क्षेत्र में प्राकृतिक घटना की अभिसंभाव्यता से होने वाले नुकसान की संभाव्यता ;

(एक-ख) “प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्रों” से अभिप्रेत है ऐसे संभवित क्षेत्र जो –

(एक) भूकंपों के अति उच्च जोखिम परिक्षेत्र का अनुसीमक है ; या

(दो) बाढ़ प्रवाह या जलप्लावन के संकेतन हैं ; या

(तीन) संभाव्य भूमि फिसलन में या झुकाव में है ;

(चार) इनमें से एक से अधिक परिसंकट वाले हैं ;.

(दो) भवन के किसी भाग पर या खुले स्थान पर छत डालना या पुनः छत डालना ;

(तीन) किसी भवन में कोई भी सारवान परिवर्तन या परिवर्द्धन करना,

(चार) किसी भवन में कोई भी ऐसा परिवर्तन करना जिससे कि उसके (भवन के) जल निकास में या स्वच्छता संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन होना संभाव्य हो या जो उसकी (भवन की) सुरक्षा पर सारवान रूप से प्रभाव डालता हो,

(पांच) किसी भी सड़क पर या ऐसी भूमि पर, जो स्वामी की न हो, खुलने वाले किसी द्वारा का सन्निर्माण करना,

(छ) “वाणिज्यिक उपयोग” से अभिप्रेत है कोई व्यापार, कारबार या वृत्ति करने या किसी भी प्रकार के माल का विक्रय या विनियम करने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके भाग का उपयोग और उसके अंतर्गत लाभ उपार्जित करने की दृष्टि से, अस्पतालों, रुग्णालयों, शैक्षिक संस्थाओं, होटलों, उपहार गृहों तथा बोर्डिंग हाउसों (जो कि किसी शैक्षिक संस्था से संलग्न न हो) सरायों का चलाना आता

* धारा 2 (घ) (एक) राजपत्र दिनांक 21-1-83 द्वारा प्रतिस्थापित।

** मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा अंतर्स्थापित

है और उसके अंतर्गत किसी भूमि या भवन का चाहे वह किसी उद्योग से संलग्न हो या न हो, माल के भंडारकरण के लिए या कार्यालय के रूप में उपयोग भी आता है,

- (च) “विकास” तथा उसके व्याकरणिक रूप भेदों से अभिप्रेत है, भूमि में भूमि पर, भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे निर्माण संबंधी इंजीनियरिंग संबंधी, खनन संबंधी सक्रिया या अन्य प्रक्रिया करना या किसी भवन या भूमि में या दोनों में से किसी के भी उपयोग में कोई सारवान तब्दीली करना, और उसके अंतर्गत किसी भूमि का उप-विभाजन आता है।
- (छ) “विकास योजना” के अंतर्गत परिक्षेत्रिक योजना आती है।
- (ज) “संचालक” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया नगर तथा ग्राम निवेश संचालक।
- (झ) ‘भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र’ से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट क्षेत्र में की भूमियों के उस उपयोग की, जो कि मानचित्र तैयार किये जाने के समय उन भूमियों का किया जाता हो, उपदर्शित करने वाला मानचित्र और उसके अंतर्गत भूमि के उपयोग संबंधी ब्यौरे देने वाले मानचित्र सहित, तैयार किया गया रजिस्टर आता है।
- (स) “भूमि” के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और वे चीजें जो भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, आती हैं।

* (ट) “स्थानीय प्राधिकारी” से अभिप्रेत है –

- (एक) मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एकट, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) द्वारा या उसके अधीन गठित किया या कोई नगरपालिका निगम,
- (दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा या उसके अधीन गठित की गयी कोई नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत,
- (तीन) मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गयी कोई ग्राम पंचायत,
- (ठ) “सदस्य” से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का या किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का सदस्य और उसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष आता है।
- (ड) “अधिभोगी” के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं –
- (एक) अभिधारी,
- (दो) अपनी भूमि का अधिभोग करने वाला स्वामी या अन्यथा उसका उपयोग करने वाला स्वामी,
- (तीन) भाटक-मुक्त अभिधारी,
- (चार) अनुज्ञप्तिधारी,
- (पांच) कोई भी व्यक्ति जो स्वामी की भूमि के उपयोग तथा अधिभाग के लिए नुकसानी चुकाने के दायित्व के अधीन हो,

* धारा 2 (ट) (दो) और (तीन) राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

* (द) “स्वामी” से अभिप्रेत है भूमि या भवन का स्वामी और उसके अंतर्गत आता है सकब्जा बंधकदार तभी कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे अपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के और अधिक फायदे के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या प्रापक के रूप में या धार्मिक या खेताती संस्थाओं के लिए किसी भूमि का भाटक या प्रीमियम तत्समय पर प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या प्राप्त कर चुका हो, या जो इस दशा में जबकि वह भूमि पट्टे पर दी जानी हो, भाटक प्राप्त करेगा या भाटक या प्रीमियम प्राप्त करने का हकदार होगा तथा किसी सरकारी विभाग का अध्यक्ष किसी रेलवे का महाप्रबंधक तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी प्राधिकारी, कम्पनी निगम या उपक्रम का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से पदाधिकारी हो, जहां तक कि उसके नियंत्रणाधीन संपत्तियों का संबंध है उसके (स्वामी के) अंतर्गत आते हैं।

** (ण) “निवेश क्षेत्र” से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो इस अधिनियम के अधीन निवेश क्षेत्र घोषित किया गया हो (और अभिव्यक्ति निवेशतार क्षेत्रों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा)।

*** (ण-ए) “पुनर्गठित प्लाट” से अभिप्रेत है कोई ऐसा प्लाट जो नगर विकास स्कीम के तैयार किये जाने के परिणामस्वरूप परिवर्तित किया गया है,

(त) ‘‘प्रदेश’’ से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो इस अधिनियम के अधीन प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है।

(थ) ‘‘प्रादेशिक योजना’’ से अभिप्रेत है प्रदेश के लिए कोई योजना जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी हो।

**** (द) “गन्दी बस्ती” से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 39 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन गंदी बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया हो,

(ध) “विशेष क्षेत्र” से अभिप्रेत है कोई ऐसा विशेष क्षेत्र जो धारा 64 के अधीन उस रूप में अभिहित किया गया हो,

(न) “विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी” से अभिप्रेत है धारा 65 के अधीन गठित किया गया कोई प्राधिकारी,

(प) “नगर विकास स्कीम” से अभिप्रेत है कोई ऐसी स्कीम जो किसी विकास योजना के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी हो और उसके अंतर्गत “स्कीम आती है”,

(फ) “नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी” से अभिप्रेत है धारा 38 के अधीन स्थागित किया गया कोई प्राधिकारी,

(ब) “परिक्षेत्र” से अभिप्रेत है किसी निवेश क्षेत्र का कोई अनुभाग जिसके के लिए विकास योजना के अधीन व्यौरेवार परिक्षेत्रिक योजना तैयार की गयी हो,

***** (भ) लोप किया गया ।

* खण्ड 2 (द) राजपत्र दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित

** खण्ड 2 (ण) राजपत्र दिनांक 21.1.83 जोड़ा गया

*** खण्ड 2 (ण ण) राजपत्र दिनांक 4.6.75 द्वारा अंतः स्थापित

**** खण्ड 2 (द) राजपत्र दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित

***** मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 दिसंबर 2004 द्वारा संशोधित ।

दूसरा अध्याय – नगर तथा ग्राम निवेश संचालक

- 3 (1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए नगर तथा ग्राम निवेश संचालक, नियुक्ति करेगी और उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्ति कर सकेगी, अर्थात् –
- (क) नगर तथा ग्राम निवेश का अपर संचालक
(ख) नगर तथा ग्राम निवेश का संयुक्त संचालक
(ग) नगर तथा ग्राम निवेश का उप संचालक
(घ) नगर तथा ग्राम निवेश का सहायक संचालक
(ङ) अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किये जायें।
- (2) संचालक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त की गयी हो या उस पर अधिरोपित किये गये हों और संचालक की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी ऐसे क्षेत्रों के भीतर, जिन्हें कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संचालक को प्रदत्त की गयी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन संचालक पर अधिरोपित किये गये ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनके कि संबंध में राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निर्देश दें।
- (3) संचालक की सहायता के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी उसके (संचालक के) अधीनस्थ होगा और उसके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

संचालक तथा
अन्य अधिकारी

तीसरा अध्याय – प्रादेशिक निवेश

प्रदेशों की स्थापना

4. प्रदेशों की स्थापना –

- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा –
 - (क) राज्य में किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदेश घोषित कर सकेगी,
 - (ख) ऐसे क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी, और
 - (ग) वह नाम विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिस नाम से कि ऐसा प्रदेश जाना जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भी ऐसे क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर सकेगी और ऐसा परिवर्तन हो जाने पर किसी विधि या लिखित या अन्य दस्तावेज में उस प्रदेश के प्रति किये गये कोई भी निर्देश पुनर्नामित किये गये प्रदेश के प्रति निर्देश समझे जायेंगे जब तक कि अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबंधित न हो या संदर्भ से वैसा अपेक्षित न हो।
- (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा
 - (क) किसी प्रदेश की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगी कि जिससे ऐसा क्षेत्र जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उस प्रदेश में सम्मिलित किया जा सके या उसमें से अपवर्जित किया जा सके,
 - (ख) दो या अधिक प्रदेशों को इस प्रकार समामेलित कर सकेगी कि जिससे एक प्रदेश बनाया जा सके,
 - (ग) किसी भी प्रदेश को दो या अधिक प्रदेशों में विभाजित कर सकेगी, या
 - (घ) यह घोषित कर सकेगी कि वह संपूर्ण क्षेत्र या उसका कोई भाग, जिससे कि कोई प्रदेश बनता हो, प्रदेश या उसका (प्रदेश का) भाग नहीं रहा जायेगा।
- (5) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, संचालक का यह कर्तव्य होगा कि वह –
 - (एक) प्रदेशों का सर्वेक्षण करें,
 - (दो) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानवित्र तैयार करें और
 - (तीन) प्रादेशिक योजना तैयार करें।
- (6) (1) संचालक भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानवित्र तथा ऐसे अन्य मानवित्र जो कि प्रादेशिक योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, तैयार करने की दृष्टि से –
 - (क) ऐसे सर्वेक्षण करेगा जो कि आवश्यक हो,

संचालक
प्रादेशिक
योजनाएं तैयार
करेगा

सर्वेक्षण

- (ख) शासन के किसी विभाग से तथा किसी प्राधिकारी से ऐसे मानचित्र, ऐसी सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा ऐसी भू-अभिलेख, जो कि उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, अभिप्राप्त करेगा।
- (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे मानचित्र रिपोर्ट तथा अभिलेख जो कि संचालक द्वारा अपेक्षित किये जाये, यथा संभव शीघ्रता से दें।
- 7 प्रादेशिक योजना में वह रीति, जिसमें कि प्रदेश में की भूमि का उपयोग किया जाय, विकास की क्रमावस्था, संचार तथा परिवहन के तंत्र (नेटवर्क) प्राकृतिक साधनों के संरक्षण तथा विकास के लिए प्रस्थापनाएं उपदर्शित की जायेगी और विशिष्टिया या निम्नलिखित उपदर्शित किये जायेंगे:-
- (क) भूमि का निवास संबंधी, औद्योगिक, कृषिक जैसे प्रयोजनों के लिए या वनों के रूप में या खनिज दोजन के लिए आवंटन
- (ख) आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों, उदानों, वृक्ष क्षेत्रों (ट्री वेल्ट्स) तथा पशुओं के हेतु अभय-स्थानों (एनीमल सेक्यूरिटीज) के हेतु खुले स्थानों का आरक्षण,
- (ग) परिवहन तथा सुचारा सुविधाओं, जैसे सड़कों, रेलमार्गों, जलमार्गों के विकास के अक्ष (एक्सेज) तथा विमान पतनों (एयर पोर्ट्स) की अवस्थिति तथा उनका विकास,
- (घ) लोकोपयोगी सेवाकार्यों, जैसे जल प्रदाय, जल निकास तथा विद्युत के विकास के लिए आवश्यकताएं तथा सुझाव,
- (ङ) उन क्षेत्रों का आवंटन जो कि ऐसे “विशेष क्षेत्रों” के रूप में विकसित किये जायेंगे कि नये नगर, नगरियों, वृहत् औद्योगिक अधिष्ठान (इंडस्ट्रियल एस्टेट्स) या किसी अन्य प्रकार की वृहत् परियोजनाएं स्थापित की जा सके,
- (च) क्षेत्रों का भूदृश्यीकरण (लैण्डस्केपिंग) तथा उनकी प्राकृतिक अवस्था में उनका परिरक्षण,
- (छ) अपक्षरण की रोकथाम संबंधी उपाय जिनके अंतर्गत वन क्षेत्रों का कायाकल्प आता है,
- (ज) सिंचाई, जल प्रदाय या बाढ़ नियंत्रण संबंधी संकर्मों से संबंधित प्रस्थापनाएं
- (8) (1) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के तैयार हो जाने के पश्चात संचालक एक प्रारूप प्रादेशिक योजना तैयार करवायेगा और उसे, उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण के हेतु उपलब्ध कराकर और ऐसे प्रारूप तथा रीति में, जो कि विहित की / किया जाय, एक ऐसी सूचना प्रकाशित करके जिसमें कि किसी भी व्यक्ति से उस सूचना के प्रकाशन से साठ दिन से पूर्व की न होने वाली ऐसी तारीख के पूर्व जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, उस प्रारूप योजना के संबंध में आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा। ऐसी सूचना में प्रारूप योजना के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, अर्थात् :-
- (क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र और उस पर वृत्तात्मक रिपोर्ट,
- (ख) प्रारूप योजना के उपबंधों को स्पष्ट करने वले आवश्यक मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट,

प्रादेशिक योजना
की विषय वस्तु

प्रादेशिक योजना
का तैयार किया
जाना

(ग) प्रारूप योजना में सम्मिलित किये गये कार्यों के लिए दी गई पूर्विकताओं को तथा उस रूप में विकास के कार्यक्रम की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला टिप्पणी ,

(घ) प्रारूप योजना के प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम प्राधिकारियों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को समनुदेशित किये जा रहे कार्य पर टिप्पण,

(2) संचालक उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि उपधारा (1) के अधीन की सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उसे प्राप्त हुए हों, विचार करेगा और उससे प्रभावित हुए समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात प्रादेशिक योजना तैयार करेगा जिसमें ऐसे उपान्तरण आदि कोई हो, जिन्हे कि वह आवश्यक समझें, अंतर्विष्ट होंगे और समस्त संस्कृत दस्तावेजों, योजनाओं, मानचित्रों एवं चार्टों सहित उसे (प्रादेशिक योजना को) अनुमोदन के हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

प्रादेशिक योजना
को अंतिम रूप
दिया जाना

9 (1) राज्य सरकार, धारा 8 के अधीन प्रस्तुत की गयी प्रारूप प्रादेशिक योजना को उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी या उसे अगृहित कर सकेगी या पुनर्विचार किये जाने के लिए उसे संचालक को वापस कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रारूप प्रादेशिक योजना के अनुमोदित हो जाने के अव्यवहित पश्चात राज्य सरकार ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाय, एक सूचना प्रकाशित करेगी जिसे कि यह कथित होगा कि प्रादेशिक योजना अनुमोदित कर दी गयी है और वह स्थान वर्णित होगा जहां कि उस योजना की प्रति का निरीक्षण समस्त युक्तियुक्त समयों पर किया जा सकेगा और उसमें (सूचना में) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिसको कि वह प्रादेशिक योजना प्रवर्तित होगी,

परन्तु जहां राज्य सरकार प्रादेशिक योजना को उपान्तरणों के साथ अनुमोदित करें, वहां उसे तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार ने ऐसे उपान्तरणों को ऐसी सूचना के साथ राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया हो जिसमें कि उनके (उपान्तरणों) के संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से कम की नहीं होगी, आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किये गये हो, और जब तक कि उन आपत्तियों तथा सुझावों पर उनसे प्रभावित हुए व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात विचार न कर लिया हो।

भूमि के उपयोग
या उसके विकास
पर निर्बन्धन

10 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रारूप प्रादेशिक योजना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति, प्राधिकारी, शासन का विभाग या कोई भी अन्य व्यक्ति संचालक के या संचालक द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी ऐसे अधिकारी के जो कि उप संचालक के पद से निम्न पद का न हो, पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि के उपयोग में कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए कोई तब्दीली नहीं करेगा या किसी भी भूमि के संबंध में कोई ऐसा विकास, जो प्रारूप योजना के उपबंधों के प्रतिकूल हो, कार्यान्वित नहीं करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गयी अनुमति प्रारूप योजना या अंतिम योजना के उपबंधों के अनुरूपता ही दी जायेगी अन्यथा नहीं और किसी भी अनुमति का यदि वह दे दी गयी हो, यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह उस व्यक्ति को, जिसने कि अनुमति चाही हो, कोई भी विधिक अधिकार प्रदत्त करती है।

(3) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संकर्म कार्यान्वित किया हो, तो नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर तथा कलेक्टर ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में ऐसे संकर्मों को व्यतिकर्मी के खर्च पर हटवा सकेगा या तुड़वा सकेगा जो खर्च कि उससे उसी रीति में वसूल किया जायेगा जिसमें कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो, और सूचना द्वारा उसमें (सूचना) में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर उस संकर्म को हटाने या उसे तोड़ डालने के लिए अपेक्षित न किया गया हो।

- (4) कोई भी व्यक्ति, जो यथास्थिति नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद या कलेक्टर के उस आदेश से व्यक्ति हो जिसके द्वारा कि संकर्म को हटाने या तोड़ देने की अपेक्षा की गयी हो, उपधारा (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर संचालक को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में संचालक का आदेश अंतिम होगा।

- 11 जहां अंतिम प्रादेशिक योजना में किसी क्षेत्र के लिए भूमि का कोई विशिष्ट उपयोग समनुदेशित किया जाये, और उसमें (उस क्षेत्र में) रिथत कोई भूमि किसी भी ऐसी अन्य विधि के, जो उस तारीख को प्रवृत्त थी जिसको इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किये गये थे, अधीन प्रवृत्त ऐसे निर्बन्धनों के, जो सारातः वैसे ही हौं, अध्यधीन रहते हुए पहले से ही ऐसे उपयोग में लाइ जाती हो और यदि ऐसी निर्बन्धनों के बारे में प्रतिकर किसी भी ऐसी अन्य विधि के, जो उस सम्पत्ति के या उसमें के किसी अधिकार या हित के बारे में तत्समय प्रवृत्त थी, अधीन दावेदार को या दावेदार के किसी हित पूर्वाधिकारी पर पहले ही चुकाया जा चुका हो तो स्वामी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूमि के उपयोग पर लगाये गये निर्बन्धनों के कारण उसके अधिकारों को कोई क्षति या नुकसान के मुद्दे किसी और प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

- 12 (1) संचालक, स्वप्रेरणा से प्रादेशिक योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात किसी भी समय प्रादेशिक योजना पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में ले सकेगा तथा उसमें ऐसे उपान्तरण कर सकेगा जैसे कि परिस्थितियों में न्यायोचित हो या राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो प्रादेशिक योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात किसी भी समय प्रादेशिक—योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में लेगा तथा उसमें ऐसे उपान्तरण करेगा जैसे कि परिस्थितियों में न्यायोजित हो।

- (2) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध, जहां तक कि वे लागू किये जा सकते हो उपधारा (1) के अधीन उपान्तरणों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपबंध प्रादेशिक योजना के तैयार किये जाने, प्रकाशित किये जाने तथा अनुमोदित किये जाने को लागू होते हैं।

कठिमय मामलों में
प्रतिकर के दावों
से अपतर्जन

प्रादेशिक योजना
का पुनर्विलोकन

चौथा अध्याय – निवेश क्षेत्र तथा विकास योजनाएं

निवेश क्षेत्र

13 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निवेश क्षेत्रों का गठन कर सकेगी और उनकी सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा –

- (क) निवेश क्षेत्र की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगी जिससे कि ऐसे क्षेत्र को, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें (निवेश क्षेत्र में) सम्मिलित किया जा सके या उसे उसमें से अपवर्जित किया जा सके,
- (ख) दो या अधिक निवेश क्षेत्रों को इस प्रकार समामेलित कर सकेगी कि जिससे कि एक निवेश क्षेत्र गठित किया जा सके,
- (ग) किसी भी निवेश क्षेत्र को दो या अधिक निवेश क्षेत्र में विभाजित कर सकेगी, या
- (घ) यह घोषित कर सकेगी कि निवेश क्षेत्र का गठन करने वाला संपूर्ण क्षेत्र या उसका कोई भाग निवेश क्षेत्र या उसका भाग नहीं रहेगा।

* (3) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 31 सन् 1961) या मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत या कोई पंचायत उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से निवेश क्षेत्रों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देगी जिनका इस अधिनियम के अधीन प्रयोग करने, पालन करने तथा निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार या संचालक सक्षम है।

14 इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संचालक-

संचालक,
विकास
योजनाएं
तैयार करेगा

- (क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार करेगा,
- (ख) विकास योजना तैयार करेगा,

** (ग) लोप किया गया

- (घ) ऐसे सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करेगा और शासकीय विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा लोक संस्थाओं से ऐसी संगत रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा जो कि योजनाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक हो,
- (ङ) ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेगा जो पूर्ववर्ती किन्हीं भी कर्तव्यों तथा कृत्यों के अनुपूरक आनुषंगिक तथा परिणामिक हो या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जायें।

*** 15 (1) संचालक सर्वेक्षण करेगा और भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्रों को उपदर्शित करते हुए मानचित्र तैयार करेगा और उन्हें मानचित्र के तैयार हो जाने बाबत तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां कि प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत लोक सूचना, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उसके (मानचित्र के) संबंध में लिखित आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, के साथ ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाय, तुरंत प्रकाशित करेगा।

भूमि के वर्तमान
उपयोग संबंधी
मानचित्र

* धारा 13 (3) राजपत्र दिनांक 29.9.95 अंतःस्थापित और उसके बारेमें यह समझा जाएगा कि वह 30 मई 1994 से द्वारा अंतःस्थापित की गयी है।

** धारा 14 (ग) राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा विलोपित

*** मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा स्थापित किया गया।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गयी सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात संचालक, ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिन्होंने कि आपत्तियां या सुझाव फाइल किये हो, सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसमें ऐसे उपान्तरण कर सकेगा जैसे कि वांछनीय समझे जाये।
- (3) मानचित्र के उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अंगीकृत कर लिये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संचालक मानचित्र के अंगीकृत कर लिये जाने बाबत तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां तक कि उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत लोक सूचना प्रकाशित करेगा।
- (4) उस सूचना की एक प्रति राजपत्र में भी प्रकाशित की जायेगी और वह इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्प्यक, रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

16 (1) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के धारा 15 के अधीन प्रकाशित हो जाने पर

भूमि के उपयोग का स्थिरीकरण

- (क) कोई भी व्यक्ति, संचालक की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए जो भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में उपदर्शित किये गये प्रयोजन से भिन्न हों, किसी भी भूमि के उपयोग को संस्थित नहीं करेगा या उसके (उस भूमि के) उपयोग में कोई तब्दीली नहीं करेगा या भूमि के किसी भी विकास को कार्यान्वित नहीं करेगा परन्तु संचालक अनुमति देने से इंकार नहीं करेगा यदि तब्दीली कृषि के प्रयोजन के लिए हो।
- (ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि के उपयोग में, भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में उपदर्शित की गयी तब्दीली से भिन्न किसी तब्दीली के लिए अनुज्ञा संचालक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं देगा।

*17 विकास योजना में उस जिले के लिए, जिसमें की निवेश क्षेत्र स्थित है मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) के अधीन तैयार की गयी कोई पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना के प्रारूप पर विचार किया जायेगा और उसमें –

विकास योजना की विषय वस्तु

- (क) निवेश क्षेत्र में भूमि के प्रस्थापित उपयोग को मोटे तौर पर उपदर्शित किया जायेगा,

** (ख) “प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्रों के लिए विनियमों को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित के लिए भूमि के क्षेत्र या परिक्षेत्र मोटे तौर पर आवंटित किए जाएंगे।

- (एक) निवास संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या कृषि प्रयोजन
 (दो) खुले स्थान, उपवन तथा उद्यान, हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट्स) प्राणि उद्यान तथा खेल के मैदान,
 (तीन) लोक संस्थाएं तथा कार्यालय
 (चार) ऐसे विशेष प्रयोजन, जिन्हें कि संचालक उचित समझें,
- (ग) निवेश क्षेत्र को शेष प्रदेश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य के राजमार्गों के तथा निवेश क्षेत्र के भीतर के परिधि मार्गों (रिंग रोड्स) मुख्य मार्गों (ओरटेरियल रोड्स) के और बड़े मार्गों (मेजर रोड्स) के पेटर्न अधिकथित किये जायेंगे :
- (घ) विमान पत्तनों, रेल्वे स्टेशनों बस टर्मिनसों की अवस्थिति के लिए उपबंध किया जायेगा और रेलों तथा नहरों का प्रस्थापित विस्तार एवं विकास उपदर्शित किया जायेगा,
- (ङ) सामान्य भूदृश्यकरण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए प्रस्थापनाएं की जायेगी,

* धारा 17 राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

**

म.प्र.राजपत्र दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा स्थापित किया गया ।

- (च) निवेश क्षेत्र के संबंध में ऐसी सुख सुविधाओं तथा उपयोगी सेवाकार्यों जैसे पानी, जल निकास तथा विद्युत संबंधी अपेक्षाओं का निरूपण किया जायेगा और उन्हें पूरा करने के संबंध में सुझाव दिये जायेंगे,
- (छ) परिक्षेत्र बनाने संबंधी स्थूल (ब्राड बेस्ट) विनियम प्रस्थापित किये जायेंगे जो प्रत्येक परिक्षेत्र या सेक्टर के भीतर भवन तथा संरचनाओं की अवस्थिति, उनकी ऊँचाई, उनके आकार, खुले स्थानों, प्रांगणों (कोर्टयार्ड्स) तथा उस उपयोग जिसमें कि ऐसे भवनों तथा संरचनाओं एवं भूमि को लाया जा सकेगा से संबंधित रूप से रेखाओं के रूप में होंगे,
- (ज) किसी शहर में के यातायात परिचालन के संबंध में स्थूल प्रतिरूप (पेटर्न) अधिकथित किये जायेंगे,
- (झ) वास्तु विद्या संबंधी आकृतियों, भवनों तथा संरचनाओं की ऊँचाई तथा अग्रभाग के नियंत्रण के संबंध में सुझाव दिये जायेंगे,
- (ञ) बाढ़ नियंत्रण, वायु तथा जल प्रदूषण के निवारण, उच्छेष (गारवेज) के व्ययन तथा सामान्य परिवेश संबंधी नियंत्रण के उपाय उपदर्शित किये जायेंगे।

समिति का गठन * 17-क (1) राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे अर्थात :—

- (क) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत यथास्थिति, महापौर या अध्यक्ष
- (ख) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले जिला पंचायत का अध्यक्ष,
- (ग) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों संसद सदस्य,
- (घ) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के समस्त सदस्य,
- (ङ) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, यदि कोई हो, का अध्यक्ष
- (च) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाली जनपद पंचायत का अध्यक्ष,
- (छ) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच,
- (ज) विनिर्दिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात से अनधिक अन्य व्यक्ति जो, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

* (झ) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अनिम्न पद श्रेणी का एक अधिकारी जो संचालक द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा जो समिति का संयोजक होगा।

*** (2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति प्रारूप विकास योजना की धारा 18 के अधीन प्रकाशन के पश्चात्, आपत्तियों की सुनवाई करेगी तथा संचालक को उसमें उपांतरण या परिवर्तनों का, यदि कोई हो, सुझाव देगी।

* धारा 17 —क राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा अंतः स्थापित

* धारा 17 —क (1) का खण्ड (झ) राजपत्र दिनांक 1.9.99 द्वारा प्रतिस्थापित

*** म.प्र.राजपत्र दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) समिति का संयोजन उन समस्त सुझावों, उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को जिनके संबंध में समिति द्वारा उपधारा (2) के अधीन सिफारिश की गयी है लेखबद्ध करेगा और तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट संचालक को अग्रेषित करेगा।

**** 18** (1) “संचालक, धारा 14 के अधीन तैयार की गई प्रारूप विकास योजना को और उसके साथ प्रारूप विकास योजना के तैयार हो जाने बाबत् तथा उस स्थान या उन स्थानों की जहां कि उनकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत् एक सूचना को जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारूप विकास योजना के संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, प्रकाशित करेगा, ऐसी सूचना में प्रारूप विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां की जाएंगी, अर्थात्” :-

प्रारूप विकास
योजना का
प्रकाशन

- (एक) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र,
- (एक-क) प्राकृतिक परिसंकटों के विवरण सहित प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र ”
- (दो) प्रारूप विकास योजना के उपबंधों का स्पष्टीकरण करने वाली वृत्तात्मक रिपोर्ट जो मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा समर्थित हो,
- (तीन) प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था जिसका कि संचालक द्वारा सुझाव दिया गया है,
- (चार) प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित कराने के लिए उपबंध तथा वह रीति, जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित की जायेगी,
- (पांच) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन का अनुमानित खर्च तथा योजना के कार्यान्वयन में अंतर्वलित कार्यों का अनुमानित खर्च।

- (2) धारा 17-क की उपधारा (1) के अधीन गठित की गयी समिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात अधिक से अधिक नब्बे दिन के भीतर उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उसे प्राप्त हो, विचार करेगी और उससे प्रभावित हुए समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, प्रारूप विकास योजना में ऐसे उपान्तरणों का सुझाव देंगी जैसे कि वह आवश्यक समझे और प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के पश्चात अधिक से अधिक छह मास के भीतर इस प्रकार उपान्तरित की गयी योजना, समस्त संबंधित दस्तावेजों, योजनाओं, मानचित्रों तथा चार्टों के साथ संचालक को प्रस्तुत करेगी।
- (3) संचालक, समिति से योजना तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस प्रकार प्राप्त समस्त दस्तावेजों तथा योजनाओं को, अपीन समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

विकास योजना
की मंजूरी

- 19 (1) धारा 18 के अधीन विकास योजना के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार या तो विकास योजना को अनुमोदित कर सकेगी या उसे ऐसे उपान्तरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे अनुमोदित कर सकेगी या उसे, ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें कि राज्य सरकार समुचित समझे, उसमें उपान्तरण करने के लिए या नई योजना तैयार करने के लिए संचालक को वापस कर सकेगी।
- (2) जहां राज्य सरकार विकास योजना को उपान्तरणों के साथ अनुमोदित करें, वहां राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित की गयी सूचना द्वारा ऐसे उपान्तरणों, के संबंध में उस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम तीस तीन की कालावधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करेगी।
- (3) आपत्तियों सुझावों पर विचार करने के पश्चात और ऐसे व्यक्तियों की, जो यह चाहते हों कि उन्हें सुना जाय, सुनवाई करने के पश्चात, राज्य सरकार विकास योजना में के उपान्तरण की पुष्टि कर सकेगी।

- * (4) राज्य सरकार, पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन अनुमोदित विकास योजना के अनुमोदन के बाबत तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां कि अनुमोदित विकास योजना की प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत लोक सूचना राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में जैसी कि विहित की जाय, प्रकाशित करेगी।
- (5) विकास योजना उपधारा (4) के अधीन राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी और ऐसी तारीख से उन समस्त विकास प्राधिकारियों को, जो इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये हो तथा उन समस्त स्थानीय प्राधिकारियों को जो निवेश क्षेत्र के भीतर कार्य कर रहे हो, आबद्ध कर होगी।

* धारा 19 (4) राजपत्र दिनांक 5.3.76 द्वारा प्रतिस्थापित यह संशोधन मूल अधिनियम के प्रसारण के समय से प्रभावशील होगा

पांचवा अध्याय – परिक्षेत्रिक योजना

- * (20) स्थानीय प्राधिकारी, विकास योजना के प्रकाशन के पश्चात स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या यदि राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो ऐसी अध्यपेक्षा किये जाने के छह मास के भीतर, एक परिक्षेत्रिक योजना तैयार करेगा।
- (1) परिक्षेत्रिक योजना में भूमि के उपयोग संबंधी उन व्यौरों को, जो विकास योजना में उपदर्शित किये गये हों, विस्तारपूर्वक दर्शाया जायेगा और उसमें
- (क) वह भूमि उपदर्शित की जायेगी जो संघ सरकार, राज्य सरकार, नगर ताली ग्राम विकास प्राधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, लोकोपयोगी सेवा के या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती द्वारा या उसके अधीन स्थापित किये गये किसी अन्य प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ लोक प्रयोजन के लिए अर्जन के दायित्वाधिन हो :
- परन्तु कोई भी भूमि इस रूप में तब तक अभिहित नहीं की जायेगी जब तक कि अर्जन की कार्यवाहियों का योजना तैयार किये जाने के दस वर्ष के भीतर पूर्ण हो जाना सम्भाव्य न हो।
- (ख) कृषि, सार्वजनिक या अर्द्ध सार्वजनिक खुले स्थानों, उपवनों, खेल के मैदानों, उद्यानों, आमोद-प्रमोद के क्षेत्रों, हरित क्षेत्रों (ग्रीन वेल्ट्स) तथा प्रकृति के आरक्षित स्थानों (नेचर रिजर्व्स) के लिए आरक्षित किये गये क्षेत्रों को विस्तार पूर्वक परिभाषित किया जायेगा तथा उनके लिए उपबंध किया जायेगा,
- (ग) निवास संबंधी, वाणिज्यिक औद्योगिक कृषिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों या परिक्षेत्रों का विस्तारपूर्वक आवंटन किया जायेगा।
- (घ) वर्तमान एवं भविष्य के लिए पूर्ण मार्ग तथा सड़क का प्रतिरूप (पैटर्न) परिभाषित किया जायेगा तथा उनके लिए उपबंध किया जायेगा और यातायात परिचालन उपदर्शित किया जायेगा।
- (ङ) निर्गत (प्रोजेक्टड) मार्ग तथा सड़क के सुधार विस्तार पूर्वक अधिकथित किये जायेगे,
- (च) सार्वजनिक भवनों, संस्थाओं तथा नागरिक विकास के लिए आरक्षित किये गये क्षेत्रों को उपदर्शित किया जायेगा तथा उनके लिए उपबंध किया जायेगा।
- (छ) नगरपालिक, परिवहन, विद्युत, जल तथा जल निकास जैसी सुख-सुविधाओं, सेवाओं तथा उपयोगी सेवा कार्यों संबंधी भविष्य की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जायेगा, उनके लिए खाके (प्रोजेक्शन्स) बनाये जायेंगे तथा उनके लिए उपबंध किया जायेगा,
- (ज) एकल अभिन्यास को सुकर बनाने और भवनों तथा अन्य संरचनाओं की अवस्थिति ऊंचाई, मंजिलों की संख्या तथा आकार का, उनके प्रांगणों, बीथ्यगणों (कोर्ट्स) तथा अन्य खुले स्थानों के आकार का और भवनों, संरचनाओं तथा भूमि का उपयोग का विनियमन करने की दृष्टि से प्रत्येक परिक्षेत्र के लिए परिक्षेत्र बनाने संबंधी विनियम विस्तारपूर्वक विहित किये जायेंगे।
- (झ) ऐसे क्षेत्रों को, जिनका दोषपूर्ण ढंग से अभिन्यास किया गया हो या ऐसे क्षेत्रों को, जो इस प्रकार विकसित हुए हों कि जिससे गंदी बरितयां बन गई हों, परिभाषित किया जायेगा तथा उनके उचित विकास तथा या उनके पुनः स्थान निर्धारण के लिए उपबंध किया जायेगा।
- (ञ) भविष्य में किये जाने वाले विकास तथा विस्तार के लिए क्षेत्र अभिहित किये जायेंगे।
- (ट) विकास कार्यक्रम की क्रमावस्था उपदर्शित की जायेगी।

परिक्षेत्रिक
योजनाओं का
तैयार किया जाना

परिक्षेत्रिक योजना
की विषय वस्तु

* धारा 20 राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(2) परिक्षेत्रिक योजना में :-
(क)	वास्तु विद्या संबंधी आकृतियों, भवनों तथा संरचनाओं की ऊंचाई तथा अग्रभाग पर नियंत्रण और
(ख)	गृह निर्माण, बाजार केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं एवं नागरिक केन्द्रों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के विकास व्यौरे,
धारा 18 तथा 19 के उपबंध परिक्षेत्रिक योजना को लागू होंगे	22 धारा 18 तथा 19 के उपबंध परिक्षेत्रिक योजना के तैयार किये जाने उसके प्रकाशन, अनुमोदन तथा प्रवर्तन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे विकास योजना के संबंध में लागू होते हैं।
विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का पुनर्विलोकन तथा उपान्तरण	* 23 (1) संचालक, स्वप्रेरणा से विकास योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में ले सकेगा या यदि राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो, विकास योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में ले लेगा। (2) संचालक, यदि आवश्यक हो तो उपधारा (1) के अधीन योजना के उपान्तरण का प्रस्ताव कर सकेगा। (3) संचालक, यदि राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो किसी विकास योजना की किसी निवेश इकाई का पुनर्विलोकन करने की कार्यवाही करेगा और उपान्तरण प्रस्तावित करेगा। (4) स्थानीय प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या यदि राज्य सरकार या संचालक द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए तो परिक्षेत्रिक योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में लेगा। (5) धारा 18 और 19 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (2) के अधीन उपान्तरण को, उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन तथा उपान्तरण को तथा उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपबंध किसी विकास योजना के तैयार किए जाने, प्रकाशित किये जाने और अनुमोदित किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।
स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए “निवेश इकाई” से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो विकास योजना में निवेश इकाई के रूप में दर्शित किया गया है।	
क्षेत्रिय परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विकास योजना या	** 23-क (1-क) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के निवेदन पर भारत सरकार या राज्य सरकार और उसके उद्यमों के लिए या राज्य में विकास से संबंधित प्रस्तावित किसी परियोजना के लिए या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण की किसी स्कीम के कार्यान्वयित किए जाने के लिए विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण कर सकेगी और विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में इस प्रकार किया गया उपांतरण पुनरीक्षित विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का एकीकृत भाग होगा। (ख) राज्य सरकार किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी ऐसे आवेदन पर जो विकास योजना या क्षेत्रीय योजना के उपांतरण के लिए किसी ऐसे क्रियाकलाप या स्कीम को हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए किया गया हो, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति की सलाह पर राज्य सरकार या संचालक द्वारा सोसायटी के लिए लाभप्रद समझा गया/समझी गई है, विकास योजना या क्षेत्रीय योजना में ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाएं तथ विकास योजना या क्षेत्रीय योजना में इस प्रकार किया गया उपांतरण, पुनरीक्षित विकास योजना या क्षेत्रीय योजना का समाकलित भाग होगा।” (2) राज्य सरकार, उपान्तरित योजना के प्रारूप को, उपान्तरित योजना प्रारूप के तैयार किये जाने तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, सूचना उस क्षेत्र में जिसमें वह योजना संबंधित है, परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में जो कि विज्ञापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हो लगातार दो दिन तक प्रकाशित कराएगी और उसकी एक प्रति, कलेक्टर के कार्यालय के सूचना पट्ट पर किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाई जायेगी जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसके संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

* धारा 23 राजपत्र, दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

** धारा 23 — क राजपत्र, दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा प्रतिस्थापित

सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात राज्य सरकार उपान्तरित योजना की पुष्टि करेगी।

(3) धारा 18, 19 तथा 22 के उपबंध राज्य सरकार द्वारा किये गये उपान्तरण को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण – लोप किया गया।

छठवां अध्याय – भूमि के विकास तथा उपयोग पर नियंत्रण

राज्य सरकार द्वारा
भूमि के विकास
तथा उपयोग का
नियंत्रण किया
जाना

- * (24) (1) राज्य में की भूमि विकास तथा उसके उपयोग का संपूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों के तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए निवेश क्षेत्र में की भूमि के विकास तथा उसके उपयोग का सम्पूर्ण नियंत्रण।

ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, संचालक में निहित हो जायेगा।

- (3) राज्य सरकार, राज्य में के निवेश क्षेत्र तथा निवेशेतर-क्षेत्र में की भूमि विकास तथा उसके उपयोग के नियंत्रण का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी और उक्त नियमों को, अधिसूचना द्वारा किसी भी निवेश-क्षेत्र या निवेशेतर-क्षेत्र को ऐसी तारीख से लागू कर सकेगी जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, जहां ऐसे नियम किसी निवेशेतर क्षेत्र को लागू किये जाते हैं, वहां ऐसी अधिसूचना में उस निवेशेतर क्षेत्र की सीमाओं को परिनिश्चित किया जायेगा।
- (4) किसी निवेश क्षेत्र को ऐसी नियमों के लागू हो जाने पर, इस अध्याय के उपबंध उस निवेश क्षेत्र को लागू होने के संबंध में, ऐसे नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होंगे।
- (5) किसी निवेशेतर क्षेत्र को ऐसी नियमों के लागू हो जाने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-
- (एक) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि का वह सुसंगत उपबंध जिसके द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को भूमि के विकास तथा उसके उपयोग का नियंत्रण करने के लिए सशक्त किया गया है, या कोई अन्य ऐसी अधिनियमिति, जिसके अधीन उस प्राधिकारी का गठन किया गया है तथा उसके अधीन बनाये गये नियम या उपविधियां यदि कोई हो, यथास्थिति उस स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र को लागू नहीं रहेगी।
- (दो) वह स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसका स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित किसी विधि के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन यह कृत्य है कि वह भूमि के विकास तथा उसके उपयोग का नियंत्रण करें, किसी ऐसी विधि या अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिए आबद्ध होगा।

आवासीय भवन में
अतिरिक्त तल का
सन्निर्माण

** 24—क जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या अतिरिक्त तल का सन्निर्माण आवासिक भवन के सन्निर्माण का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अधीन अधिनियमित की गयी हो, या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन तीन से कम तलों का सन्निर्माण करना अनुज्ञाय है, वहां पूर्वोत्तर अधिनियम या विधि या नियमों या विनियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आवासिक भवन में एक अतिरिक्त तल का सन्निर्माण की योजना की यथास्थिति पूर्वोत्तर अधिनियम या विधि के अधीन मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए करना अनुज्ञाय होगा।

- 25 (1) विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात भूमि का उपयोग तथा विकास, विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप होगा :

*परन्तु संचालक, अपने स्वविवेकानुसार किसी भूमि के उपयोग को ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए कि उसका उपयोग विकास योजना के प्रवर्तित होने के समय किया जा रहा था, चालू रखने की अनुज्ञा दे सकेगी।

परन्तु यह और भी ऐसी अनुज्ञा विकास योजना के प्रवर्तित होने की तारीख से सात वर्ष से अधिक कालावधि के लिए नहीं दी जायेगी।

* मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 दिसंबर 2004 द्वारा संशोधित

** धारा 24—क राजपत्र, दिनांक 26.10.88 द्वारा अंतःस्थापित

* धारा 25 (1) का प्रथम परन्तुक राजपत्र, दिनांक 1.9.99 द्वारा प्रतिस्थापित

- (2) मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि को व्यपवर्तित करने संबंधी प्रत्येक अनुज्ञा, जो उस धारा के अधीन दी गयी हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

- 26 विकास योजन के प्रवर्तित होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति संचालक की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि के उपयोग में को तब्दीली नहीं करेगा या भूमि के किसी भी विकास का कार्य कार्यान्वित नहीं करेगा।

अनुज्ञा के बिना विकास का प्रतिष्ठ

परन्तु कोई भी अनुज्ञा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी :-

- (क) किसी भवन के अनुरक्षण, मरम्मत या परिवर्तन संबंधी संकर्म को जो भवन के बाह्य रूप में सारवान परिर्तन न करता हो, कार्यान्वित करने के लिए
- (ख) किसी राजमार्ग, मार्ग या लोक सड़क के सुधार या अनुरक्षण संबंधी संकर्म के, संघ या राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया हो, या अधिकारिता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए, परन्तु यह तब जब कि ऐसे अनुरक्षण या सुधार के मार्ग रेखा में विकास योजना के उपबंधों के प्रतिकूल कोई तब्दीली नहीं होती हो,
- (ग) किही नालियों, मल नालों, प्रणालों, नलों, केबिलों, टेलीफोन या अन्य साधित्रों के निरीक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत किसी सड़क या अन्य भूमि का उस प्रयोजन के हेतु तोड़ा जाना आता है।
- (घ) कृषि के हित में उत्खनन या मृदा संरूपण (साइल-शेपिंग) के लिए,
- (ङ) जहां भूमि किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी रूप से उपयोग में लाई गयी हो, वहां भूमि को उसके प्रसामान्य उपयोग के हेतु प्रत्यावर्तित करने के लिए,
- (च) मानव निवासार्थ किसी भवन के या ऐसे भवन से संलग्न किसी अन्य भवन या भूमि के उपयोग से अनुषंगिक किसी प्रयोजन के हेतु उपयोग में लाने के लिए,
- (छ) किसी ऐसे मार्ग के, जो केवल कृषिक प्रयोजनों के हेतु भूमि तक पहुंचने के लिए आशयित हो, सन्निर्माण के लिए,

****** परन्तु यह और भी किसी ऐसे निवेश क्षेत्र में जिसको धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गये नियम लागू किये जाते हैं, ऐसी अनुज्ञा उस प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जो उक्त नियमों में उपबंधित किया जाये।

- ***27 (1)** जब संघ सरकार या राज्य सरकार, अपने—अपने विभागों या कार्यालयों या प्राधिकारियों के प्रयोजन के लिए किसी भूमि का विकास करने का आशय रखती हो, तो उसका भारसाधक अधिकारी संचालक को सरकार के ऐसा करने के आशय की जानकारी, ऐसे विकास कार्य को हाथ में लेने के कम से कम तीस दिन पूर्व लिखित में देगा, जिसमें उसकी पूर्ण विशिष्टियां दी जायेंगी और जिसके साथ ऐसे दस्तावेज तथा रेखांक ऐसे प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र जो विहित किया जाए, के विकास नियंत्रण से संबंधित उपविधियों, नियमों तथा अधिनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए भेजे जाएंगे।
- (2) जहां संचालक ने प्रस्थापित विकास के संबंध में आधार पर कोई आपत्ति उठाई हो कि विकास कार्य विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, वहां वह अधिकारी :-

(एक) संचालक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिए विकास संबंधी प्रस्थापनाओं में आवश्यक उपान्तरण करेगा या

****** धारा 26 (द्वितीय परन्तुक) राजपत्र, दिनांक 21.1.83 द्वारा अंतःस्थापित ।

******* धारा 27(1) म.प्र. राजपत्र दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा प्रतिस्थापित

(दो) राज्य सरकार को विकास संबंधी प्रस्थापना, संचालक द्वारा उठाई गयी आपत्तियों सहित विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा :

* परन्तु यदि प्रस्तावित विकास संबंधी योजना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर संचालक द्वारा कोई उपान्तरण प्रस्तावित नहीं किया जाता है तो ऐसे योजना उस सीमा तक अनुमोदित मानी जायेगी जहां तक कि विकास योजना, परिक्षेत्रिक योजना, नगर विकास स्कौल के उपबंधों या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अतिक्रमण नहीं होता हो।

(3) राज्य सरकार विकास संबंधी प्रस्थापनाओं के संचालक द्वारा उठाई गई आपत्तियों सहित प्राप्त होने पर, या तो प्रस्थापनाओं को उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित करेगी या तो अधिकारी को यह निर्देश देगी कि वह प्रस्थापनाओं में ऐसे उपान्तरण करें जैसे कि वह परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकर होगा।

** (5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी भूमि के विकास कार्य को जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किसी परियोजना का कार्य चालन संबंधी सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए संघ या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया हो, इस धारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी
द्वारा या इस
अधिनियम के अधीन
गठित किये गये
किसी प्राधिकारी
द्वारा विकास
28 जहां कोई प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से गठित किया गया कोई प्राधिकारी किसी भूमि का, उस प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए विकास करने का आशय रखता हो, वहां संघ या राज्य सरकार को धारा 27 के अधीन लागू होने वाली प्रक्रिया, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे प्राधिकारी के बारे में लागू होगी।

अन्य व्यक्तियों द्वारा
विकास के लिए
अनुज्ञा के हेतु
आवेदन
***29 (1) संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये किसी विशेष प्राधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो किसी भूमि पर कोई विकास कार्य करने का आशय रखता हो, अनुज्ञा के लिए संचालक को लिखित आवेदन करेगा जो ऐसे प्रारूप में होगा तथा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और जिसमें साथ ऐसी दस्तावेज भेजें ऐसे प्राकृति परिसंकट उन्मुख क्षेत्र जो, विहित किया जाए, के विकास, नियंत्रण संबंधी अधिनियमों, नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए भेजी जायेंगी।

(2) ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फीस भी होगी जो विहित की जाये।

30 (1) धारा 29 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, संचालक इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रखते हुए लिखित आदेश द्वारा –

अनुज्ञा का दिया
जाना या अनुज्ञा
देना से इंकार

- (क) बिना शर्त के अनुज्ञा दे सकेगा,
 - (ख) ऐसी शर्तों के, जैसी कि परिस्थितियों में आवश्यक समझी जाये अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञा दे सकेगा,
 - (ग) अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा।
- (2) शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञा देने वाले प्रत्येक आदेश में या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले प्रत्येक आदेश में ऐसी शर्त अधिरोपित करने के या ऐसे इंकार करने के आधार कथित किये जायेंगे,
- (3) कोई भी अनुज्ञा, जो उपधारा (2) के अधीन, शर्तों के साथ या शर्तों के बिना दी गयी हो, ऐसे प्रारूप में होगी, जैसा कि विहित किया जाये,

* धारा 27 (2) का परन्तुक राजपत्र दिनांक 1.9.99 द्वारा प्रतिस्थापित।

** धारा 27 (5) राजपत्र दिनांक 4.6.75 द्वारा अंतस्थापित।

*** धारा 29(1) म.प्र.राजपत्र दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(4) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश आवेदक को ऐसी रीति में संसूचित किया जायेगा, जैसी कि विहित की जाये,	
* (5)	यदि संचालक, अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने के संबंध में अपना विनिश्चय आवेदक को उस तारीख से, जिसको कि उसका आवेदन प्राप्त हुआ हो, साठ दिन के भीतर संसूचित न करें, तो समझा जायेगा कि ऐसी अनुज्ञा आवेदक को साठ दिन का अवसान होने की तारीख के ठीक पश्चात आने वाली तारीख को दे दी गयी है :	
*	परन्तु साठ दिन की कालावधि की संगणना करने में आवेदक से कोई अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों के लिए अध्येक्षा करने की तारीख के तथा आवेदक से ऐसी जानकारी या दस्तावेज़ प्राप्त होने की तारीख को दे दी गयी है।	
31	*(1) कोई भी आवेदक, जो धारा 30 के अधीन सशर्त अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश से व्यक्ति हो, उस आदेश के उसे संसूचित किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में तथा उसके साथ ऐसी फीस देकर कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए।	अपील
	(2) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी, तथा अपीलार्थी तथा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा, अपील खरिज कर सकेगा या बिना शर्त के या यथा उपान्तरित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञा प्रदान करते हुए अपील मंजूर कर सकेगा।	
	(3) धारा 32 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।	
32	राज्य सरकार किसी भी समय, किन्तु आदेश के पारित होने के अधिक से अधिक बारह मास के भीतर, स्वप्रेरणा से या धारा 31 के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यक्ति व्यक्ति द्वारा आदेश के उसे संसूचित किये जाने की तारीख के तीस दिन के भीतर, फाइल किये गये आवेदन पर, भी ऐसे मामले के जो धारा 30 के अधीन संचालक द्वारा या धारा 31 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाया गया हो, अभिलेख को आदेश की शुद्धता के संबंध में तथा ऐसे संचालक की या अपील प्राधिकारी की किसी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी तथा उसकी परीक्षा कर सकेगी और ऐसा अभिलेख मंगाते समय यह निर्देश दे सकेगी कि आदेश का निष्पादन निलम्बित कर दिया जाय। राज्य सरकार अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसी की वह उचित समझे और उसका आदेश अंतिम होगा तथा उसके पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।	पुनरीक्षण
	परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उससे प्रभावित हुए व्यक्ति को तथा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।	
अनुज्ञा का व्यपगत होना	* 33 ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा जो धारा 30 या 31 या धारा 32 के अधीन दी गयी हो, उसके ऐसे दिये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी और उसके पश्चात वह व्यपगत हो जायेगी :	
	परन्तु संचालक, आवेदन किया जाने पर, ऐसी कालावधि को वर्षानुवर्ष बढ़ा सकेगा किन्तु कुल कालावधि, उस तारीख से जिसको कि अनुज्ञा प्रारम्भ में दी गयी थी, किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	परन्तु यह और भी किसी ऐसा व्यपगत होना इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा के लिए किसी पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन नहीं करेगा।	
भूमि अर्जित करने के लिए बाध्यता	34 (1) जहां किसी भूमि को किसी योजना द्वारा –	

* धारा 30 (5) का परन्तुक राजपत्र दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित।

** धारा 31(1)(2) राजपत्र दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित।

* धारा 33 राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा संशोधित।

- (क) नगर विस्तार या नगर सुधार के प्रयोजन के हेतु विकास के लिए या
- (ख) संघ या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये किसी विशेष प्राधिकारी के प्रयोजन के हेतु विकास के लिए, या
- (ग) राजमार्ग या लोकोपयोगी सेवा के रूप में विकास के लिए अनिवार्य अर्जन के अध्यधीन होना अभिहित किया गया हो और उस भूमि का स्वामी –
- (एक) यह दावा करता हो कि वह भूमि अपनी वर्तमान स्थिति में युक्तियुक्त रूप से फायदाप्रद उपयोग के लिए अयोग्य हो गयी है, या
- (दो) जहां भूमि का विकास करने की अनुज्ञा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी गयी हो वहां वह दावा करता हो कि अनुज्ञात विकास को उन शर्त के अनुसार कार्यान्वित करके भूमि को युक्तियुक्त रूप से फायदाप्रद उपयोग के योग्य नहीं बनाया जा सकता,
- (तीन) यह दावा करता हो कि उस भूमि को अर्जन या विकास के लिए अभिहित किये जाने के कारण उस भूमि का विक्रय मूल्य कम हो गया है,
- तो स्वामी, सरकार पर ऐसे समय की भीतर, ऐसी रीति में तथा ऐसी दस्तावेजों के साथ, जैसी कि विहित किया जाय, एक सूचना तामील कर सकेगा जिसमें समुचित प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह भूमि में के हित का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार क्रय कर लें।
- (2) उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, संचालक तथा समुचित प्राधिकारी से ऐसी रिपोर्ट या ऐसे अभिलेख या दोनों, जैसा आवश्यक हो, तत्काल मंगायेगी, जिसे / जिन्हें कि वे प्राधिकारी यथासंभव शीघ्र किन्तु उनकी अध्यापेक्षा की तारीख से अधिक तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजेंगे।
- (3) ऐसे अभिलेख या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार –
- (क) यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गयी शर्तें पूरी हो गयी हैं, और यह कि अनुज्ञा के लिए सम्यक् रूप से आदेश या विनिश्चय, इस आधार पर नहीं किया गया था कि आवेदक ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में सके किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया, तो वह सूचना की पुष्टि कर सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि अनुज्ञा शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों के, जो कि भूमि को युक्तियुक्त रूप से फायदाप्रद उपयोग के योग्य बना देगी, अध्यधीन रहते हुए दी जाय,
- (ख) किसी अन्य मामले में, सूचना की पुष्टि करने से इंकार कर सकेगी, किन्तु उस दशा में आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।
- (4) यदि उस तारीख से, जिसको कि सूचना की तामील की गयी हो, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, राज्य सरकार उस पर कोई अंतिम आदेश पारित न करें तो यह समझा जायेगा कि उस कालावधि का अवसान हो जाने पर सूचना की पुष्टि कर दी गई है।
- (5) सूचना की पुष्टि हो जाने पर, राज्य सरकार, ऐसी पुष्टि के एक वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का या किसी भूमि के उस भाग को, जिसके कि संबंध में सूचना की पुष्टि कर दी गयी हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्जित करने के लिए अग्रसर होगी।
- 35 (1) समुचित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाय, कि भूमि की ऐसे लोक प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में या अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में अभिहित या आरक्षित या आवंटित की गयी हो, और अधिक आवश्यकता नहीं है, तो वह अभिहित भूमि के आरक्षण का प्रारूप या अंतिम विकास योजना में से निकाल दिया जाना
- (क) ऐसे अधिधान या आरक्षण या आवंटन को प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए संचालक से निवेदन कर सकेगा, या

- (ख) ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार से निवेदन कर सकेगा।
- (2) समुचित प्राधिकारी से ऐसा निवेदन प्राप्त होने पर संचालक या जैसी भी कि दशा हो, राज्य सरकार सुसंगत योजनाओं में से ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को निकाल दिये जाने की मंजूरी देते हुए आदेश दे सकेगा / दे सकेगी :

परन्तु संचालक, या जैसी कि दशा हो, राज्य सरकार, कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी जांच कर सकेगा / कर सकेगी, जैसी कि वह आवश्यक समझे और अपना यह समाधान कर सकेगा / कर सकेगी कि ऐसे आरक्षण या अभिधान या आवंटन की लोकहित में और अधिक आवश्यकता नहीं है।

- (3) उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया जाने पर भूमि ऐसे अभिधान, आरक्षण या जैसी भी कि दशा हो, आवंटन से निर्मुक्त हुई समझी जायेगी और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जायेगी। के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जायेगी।

अप्राधिकृत विकास के लिए या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग करने के लिए शास्ति

36 कोई भी व्यक्ति जो चाहे अपनी स्वयं की प्रेरणा पर या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर –

- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना,
 (ख) दी गयी अनुज्ञा के या किसी ऐसी शर्त के जिसके कि अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी हो, उल्लंघन में,
 (ग) विकास संबंधी अनुज्ञा के सम्यकरूप से प्रतिसंहित कर दिये जाने के पश्चात, या
 (घ) ऐसी अनुज्ञा के जो सम्यकरूप से उपांतरित कर दी गयी हो, के उल्लंघन में,

किसी भी भूमि के विकास का कोई कार्य प्रारम्भ करेगा, हाथ में लेगा या उसे कार्यान्वित करेगा या उसके किसी उपयोग में तब्दीली करेगा, किसी भी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि धारा 37 के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किया जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति

37(1) जहां धारा 36 में यथा उपदर्शित कोई विकास कार्यान्वित किया गया हो, वहां संचालक, ऐसे विकास के पाच वर्ष के भीतर, स्वामी पर एक सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना की तामील की तारीख से एक मास से कम तथा तीन मास से अधिक न हो, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय –

- (क) उन मामलों में, जो कि धारा 36 के खण्ड (क) या (ग) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, भूमि को उसकी उस अवस्था में प्रत्यावर्तित करें जो कि उक्त विकास के किये जाने के पूर्व थी,
 (ख) उन मामलों में जो कि धारा 36 के खण्ड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, शर्तों का या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करें,

परन्तु जहां सूचना में भूमि के किसी उपयोग को बंद कर दिये जाने की अपेक्षा की जाय, वहां सूचना की तामील अधिभोगी पर भी की जायेगी।

(2) विशिष्टतया, ऐसी सूचना में उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए,

- (क) किसी भवन या किन्हीं संकर्मों को तोड़ दिये जाने या परिवर्तित किये जाने,
 (ख) भूमि पर कोई निर्माण संबंधी या अन्य संक्रियाएं कार्यान्वित किये जाने, या
 (ग) भूमि के किसी उपयोग को बंद कर दिये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।

- (3) ऐसी सूचना से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर तथा विहित रीति में संचालन को इस बात की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा कि उस भूमि पर किसी ऐसे भवन या संकर्मों को, जिससे कि सूचना संबंधित है, बना रहने दिया जाय या उस भूमि के किसी ऐसे उपयोग को, जिससे कि सूचना संबंधित है, चालू रहने दिया जाय या उस भूमि के किसी ऐसे उपयोग को, जिससे कि सूचना संबंधित है, चालू रहने दिया जाय और जब तक कि आवेदन का निपटारा न हो जाय तब तक सूचना प्रत्याहृत रहेगी।
- (4) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध जहां तक कि वे लागू हो सकते हों, उपधारा (3) के अधीन किये गये आवेदन को लागू होंगे।
- (5) यदि वह अनुज्ञा, जिसके कि लिए आवेदन किया गया है, दो दी जाती है तो सूचना प्रत्याहृत हो जायेगी, किन्तु यदि वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, नहीं दी जाती, तो सूचना प्रवृत्त रहेगी, या यदि ऐसा अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के बनाये रख जाने के लिए या भूमि के केवल किसी भाग का उपयोग चालू रखने के लिए दी जाती है, तो सूचना, ऐसे भवनों या संकर्मों के बारे में या भूमि के ऐसी भाग के बारे में या भूमि के अन्य भागों के बारे में प्रवृत्त रहेगी, और तदुपरि स्वामी इस बात के लिए अपेक्षित किया जायेगा कि वह ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के बारे में उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कार्यवाही करें।
- (6) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर या आवेदन के निपटारे के पश्चात् उतनी ही कालावधि के भीतर, सूचना का या उसके उतने भाग का, जो कि प्रवृत्त हो, अनुपालन किया जाय, तो संचालक-
- (क) सूचना का अनुपालन न करने के लिये स्वामी को अभियोजित कर सकेगा, और जहां सूचना में भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर दिये जाने की अपेक्षा की गई हो, वहां किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी, जो सूचना के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करता हो, या जो सूचना के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करवाता हो या किया जाने देता हो, अभियोजित कर सकेगा, और
 - (ख) जहां सूचना में किसी भवन या संकर्मों के तोड़ दिये जाने या परिवर्तित किये जाने या किन्हीं निर्माण संबंधी या अन्य संक्रियाओं के कार्यान्वयित किये जाने की अपेक्षा की गयी हो, वहां वह स्वयं, उस भूमि को उस अवस्था में प्रत्यावर्तित करवा सकेगा जिसमें कि वह विकास किये जाने के पूर्व थी और ऐसी कार्यवाही जैसी कि संचालक आवश्यक समझे, जिसके कि अंतर्गत किसी भवन या संकर्मों का तोड़ा जाना या परिवर्तित किया जाना या कोई निर्माण संबंधी या अन्य संक्रियाओं का कार्यान्वयित किया जाना आता है, करके अनुज्ञा की शर्तों का या यथाउपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कर सकेगा और उसके द्वारा इस संबंध में उपगत किये गये व्ययों की रकम स्वामी से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल कर सकेगा।
- (7) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित किया गया हो, दोषसिद्ध पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुमाने से, जो अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिए दोषसिद्ध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

सातवां अध्याय – नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

नगर तथा ग्राम
विकास प्राधिकारी
की स्थापना

38 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम से तथा ऐसे क्षेत्र के लिए जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, एक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना कर सकेगी।

(2) विकास योजना में की प्रथापना को कार्यान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास स्कीमें तैयार करने और उस क्षेत्र के जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, विस्तार या सुधार के लिए प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने तथा उसका विकास करने का कर्तव्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त क्षेत्र के लिए स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होगा :

* परन्तु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र के लिए उस प्राधिकारी की स्थापना हो जाने तक उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो कि ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखता हो, इस प्रकार किया जायेगा मानों कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी हो।

(3) उस क्षेत्र के लिए जिसको कि उपधारा (2) का परन्तुक लागू होता है, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना हो जाने पर, उस क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थातः—

(एक) उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कर्तव्य का निर्वहन करने में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्जित की गयी समस्त आस्तियां तथा उपगत किये गये समस्त दायित्व ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के स्थान पर स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की आस्तियां तथा दायित्व होंगे एवं समझे जायेंगे।

(दो) खण्ड (एक) मे निर्दिष्ट किये गये स्थानीय प्राधिकारी के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र उसके स्थान पर स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी मे निहित होंगे तथा उसे अंतरित कर दिये जायेंगे।

नगर तथा ग्राम
विकास प्राधिकारी
का निगमन

39 प्रत्येक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 38 के अधीन अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किये गये नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और उस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को अंतरित करने, संविदा करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम का प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से बाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

40 प्रत्येक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी मे निम्नलिखित होंगे, अर्थातः—

(क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा,

(ख) जिले का कलेक्टर या उसका नाम निर्देशिती,

(ग) क्रमशः निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पांच सदस्य :

(एक) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, मध्यप्रदेश,

(दो) वन विभाग, मध्यप्रदेश,

(तीन) लोक स्वारक्ष्य अभियान्त्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश

* धारा 38 (2) का परन्तुक एवं धारा 38 (3) (एक) (दो) राजपत्र, दिनांक 4.5.1975 द्वारा अंतः स्थापित

* (चार) लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,

* (पांच) मध्यप्रदेश विद्युत मंडल

(घ) यथास्थिति क्षेत्र के नगरपालिक निगम का या नगरपालिका परिषद का प्रशासन, आयुक्त या मुख्य नगरपालिक अधिकारी,

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला राज्य सरकार का एक अन्य अधिकारी,

(च) नगर निवेश या वास्तुकला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त यिका जायेगा,

* (छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पांच अशासकीय सदस्य जिनमें कम से कम दो महिलाएं होंगी,

* (ज) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव होगा,

** परन्तु राज्य सरकार एक या अधिक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार एक सदस्यीय नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन कर सकेगी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

*** 41(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसे कि विहित की जाय।

(3) वह व्यक्ति, जो अपनी पदावधि का अवसान हो जाने के कारण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य न रहे, यदि वह अन्यथा अर्हित हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

**** 42 (1) ऐसा व्यक्ति जो धारा 40 के खण्ड (घ) (च) (छ) के अधीन सदस्य बना हो, किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित किये गये स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा अध्यक्ष को त्यागपत्र प्राप्त हो जाने पर उस सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा।

(2) यदि राज्य सरकार यह समझती हो कि किसी सदस्य का पद पर बना रहना लोकहित में नहीं है, तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति का पर्यवसान करते हुए आदेश कर सकेगी और तदुपरि वह नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा, भले ही उस अवधि का, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, अवसान न हुआ हो।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में रिक्त होने के दशा में वह रिक्त, धारा 40 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्ति किया गया व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की अवधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

* 43 (1) अध्यक्ष से भिन्न कोई भी सदस्य, उन भत्तों के सिवाय, जो कि विहित किये जाय, कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि

सदस्यों के त्याग पत्र तथा आकस्मिक रिक्ती का भरा जाना

अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष का
पारिश्रमिक

* धारा 40 खण्ड (ग) (छ) संशोधित तथा खण्ड (ग) का उपर्युक्त (चार) (पांच) और खण्ड (ज) राजपत्र दिनांक 1.9.99 द्वारा अंतर्स्थापित।

** धारा 40 राजपत्र, दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित।

*** धारा 41 राजपत्र, दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित।

**** धारा 42 राजपत्र, दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित।

* धारा 43 राजपत्र, दिनांक 21.1.83 द्वारा प्रतिस्थापित।

<p>(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसा तेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होगा, जैसा कि विहित किये जाय।</p>	
<p>अनुपस्थिति छुट्टी और कार्यकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति</p>	<p>** 44 (1) राज्य सरकार, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अनुपस्थिति, छुट्टी ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन मंजूर कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाये,</p> <p>(2) जब कभी अध्यक्ष को अनुपस्थिति छुट्टी मंजूर की जाती है, तब अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया गया उपाध्यक्ष और जाहं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छुट्टी मंजूर की जाती है तब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
<p>नगर तथा ग्राम विकास प्राक्तिकारी के सम्मिलन</p>	<p>45 (1) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के सम्मिलित ऐसे समय पर तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर किये जायेंगे जैसा कि विनियमों द्वारा अधिकथिक किया जाय,</p> <p>परन्तु जब तक कि इस संबंध में विनियम न बनाये जाय, ऐसा सम्मिलन अध्यक्ष द्वारा बुलाया जायेगा।</p> <p>(2) सम्मिलन की गणपूर्ति, जब तक की विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।</p> <p>(3) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, अपने कामकाज के संचालन के लिए उपबंध करने के हेतु विनियम बनायेगा।</p>
<p>मुख्य कार्यपालिक अधिकारी</p>	<p>*** 46 (1) प्रत्येक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में एक मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा जो प्राधिकारी के सचिव के रूप में कार्य करेगा।</p> <p>(2) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण सेवा के राज्य संवर्ग के सदस्यों में से या यदि आवश्यक हो तो राज्य तकनीकी / प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों में से नियुक्ति किया जायेगा।</p>
<p>अन्य अधिकारी और सेवक</p>	<p>47 + प्रत्येक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में, ऐसे अन्य अधिकारी और सेवक हो सकेंगे जो उसके कर्तव्यों के वक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक और उचित हों, धारा 76 (ख) में वर्णित विकास प्राधिकरण सेवाओं के राज्य संवर्ग में सम्मिलित अधिकारियों और सेवकों के पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और उक्त सेवाओं के स्थानीय संवर्ग में सम्मिलित अधिकारियों और सेवकों के पदों पर नियुक्तियां संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।</p> <p>परन्तु किसी प्राधिकारी में कोई भी पद राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही सृजित किया जायेगा अन्यथा नहीं।</p>
<p>कार्यपालिक अधिकारी और अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें</p>	<p>++ 48 धारा 46 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी और धारा 47 के अधीन नियुक्त किये गये अन्य अधिकारी और सेवक इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।</p> <p>49 नगर विकास स्कीम में निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा:-</p> <p>(एक) नगर विस्तार के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन उसका विकास तथा विक्रय या उसका पट्टे पर दिया जाना,</p> <p>(दो) ऐसे क्षेत्रों का जिनका दोषपूर्ण ढंग से अभिन्यास किया गया हो या जो इस प्रकार विकसित या विहृसित हुए हो कि जिससे गंदी बस्ती बश्न गयी हो, अर्जन, पुनः अभिन्यास पुनर्निर्माण या पुनः स्थानानिर्धारण,</p>

** धारा 44 (2) राजपत्र, दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

*** धारा 46 राजपत्र, दिनांक 16.7.91 द्वारा प्रतिस्थापित

+ धारा 47 राजपत्र, दिनांक 16.7.91 द्वारा प्रतिस्थापित

++ धारा 48 राजपत्र, दिनांक 16.7.91 द्वारा प्रतिस्थापित

नगर विकास
स्कीम

- (तीन) गृह निर्माण के विकास, बाजार केन्द्रों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों के विकास जैसे लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास,
- (चार) वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का अर्जन तथा विकास,
- (पांच) ऐसा निर्माण या सन्निर्माण कार्य हाथ में लेना जो गृह निर्माण संबंधी, बाजार संबंधी, वाणिज्यिक या अन्य सुविधाओं का उपबंध करने के लिए आवश्यक हो,
- (छ:) मार्ग तथा सड़क के प्रतिरूपों का अभिन्यास करने या उनका पुनः प्रतिरूपण करने (रिमॉडलिंग) के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन तथा उसका विकास,
- (सात) खेल के मैदानों, उपवनों, आमोद-प्रमोद के केन्द्रों तथा क्रीड़ागानों के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास,
- (आठ) भवनों, मार्गों, नालियों, मल-वहन लाइनों तथा अन्य वैसी ही सुख-सुविधाओं के प्रयोजन के लिए प्लाटों का पुनर्गठन,
- (नौ) इस प्रकार का कोई अन्य कार्य जिसमें परिवेश संबंधी सुधार हो सकते हों, जो कि प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आरम्भ किया जा सकेगा।

50 (1) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, किसी भी समय नगर विकास स्कीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगा।

नगर विकास स्कीमों का तैयार किया जाना

- (2) स्कीम बनाने संबंधी आशय की ऐसी घोषणा की तारीख से अधिक से अधिक तीस दिन के भीतर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी वह घोषणा राजपत्र में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जायें, प्रकाशित करेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एक नगर विकास स्कीम प्रारूप के रूप में तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय। एक ऐसी सूचना के साथ प्रकाशित करेगा जिसमें कि किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व, जैसी कि विहित की जाय तथा जो कि ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पूर्व की नहीं होगी, उक्त प्रारूप विकास स्कीम के संबंध में आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।
- (4) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि उपधारा (3) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर प्राप्त हो, विचार करेगा और उससे प्रभावित हुए ऐसे व्यक्तियों, को जो यह चाहते हो, कि उनकी सुनवाई की जाय, युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या उपधारा (5) के अधीन गठित की गयी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात प्रारूप स्कीम को, जैसी कि वह प्रकाशित करेगा या उसमें ऐसे उपान्तरण करेगा जैसे कि वह उचित समझे।
- *“परन्तु ऐसी प्रारूप स्कीम का अंतिम प्रकाशन, प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख से अधिक एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाएगा जिसमें सफल होने पर यह समझा जाएगा कि प्रारूप स्कीम व्यपगत हो गयी है।”
- (5) जहाँ नगर विकास स्कीम प्लाटों के पुनर्गठन से संबंधित हो, वहाँ नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उपधारा (4) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन प्राप्त हुई आपत्तियों तथा सुझावों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए एक समिति गठित करेगा जिसमें उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य जिनमें से एक सदस्य मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का प्रतिनिधि तथा दूसरा सदस्य मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया लोक निर्माण विभाग का एक ऐसा अधिकारी होगा जो कार्यपालिक इंजीनियर के पद से निम्न पद का न हो, होंगे।

* मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 दिसंबर 2004 द्वारा संशोधित।

(6) उपधारा (5) के अधीन गठित की गयी समिति आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करेगी और ऐसे व्यक्तियों की, जो यह चाहते हो कि उन्हें सुना जाय, सुनवाई करेगी और अपनी रिपोर्ट नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर जैसा कि वह नियत करें, निम्नलिखित प्रस्थापनाओं के साथ प्रस्तुत करेगी :—

(एक) उन क्षेत्रों को, जो लोक प्रयोजन के लिए आवंटित या आरक्षित किये गये हो, परिनिश्चित करने तथा उनकी सीमांकन करने के लिए,

(दो) पुनर्गठित प्लाटों का सीमांकन करने के लिए,

(तीन) मूल तथा पुनर्गठित प्लाटों के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए,

(चार) यह अवधारित करने के लिए कि क्या लोक प्रयोजन के लिए आरक्षित किये गये क्षेत्र स्कीम के क्षेत्र के भीतर के निवासियों के लिए पूर्णतः यांशत फायदाप्रद हैं,

(पांच) लोक प्रयोजन के लिए प्लाट के पुनर्गठन तथा प्रभागों के आरक्षण के मद्दे स्कीम के हिताधिकारियों को दिये जाने वाले, तिकर का तथा उनसे लिये जाने वाले अभिदाय का प्राक्कलन या प्रभाजन करने के लिए,

(छ:) प्रत्येक पुनर्गठित प्लाट के मूल्य में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करने तथा प्लाट के धारक पर उद्ग्रहणीय विकास अभिदाय निर्धारित करने के लिए,

परन्तु अभिदाय मूल्य में प्रोद्भूत हुई वृद्धि के आधे से अधिक नहीं होगा।

(सात) किसी पुनर्गठित प्लाट के मूल्य में हुई कमी का मूल्यांकन करने और उसके लिए देय प्रतिकर निर्धारित करने के लिए,

(7) उपधारा (4) के अधीन नगर विकास स्कीम के उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित हो जाने के अव्यवहित पश्चात, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि विहित की जाये, अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित करेगा और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको कि वह (स्कीम) प्रवर्तित होगी।

पुनरीक्षण

51 संचालक किसी भी समय, किन्तु धारा 50 के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशित होने की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर, स्वप्रेरणा से या अंतिम स्कीम के इस प्रकार प्रकाशित किये जाने के तीस दिन के भीतर किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अंतिम स्कीम से व्यष्टि हो, फाईल किये गये आवेदन पर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की शुद्धता के बारे में या ऐसे प्राधिकारी की किन्हीं भी कार्यवाहियों को नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी भी स्कीम का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा अभिलेख मंगवाते समय वह निर्देश दे सकेगा कि उस स्कीम का निष्पादन निलम्बित कर दिया जाय। संचालक, अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और उसका आदेश अंतिम होगा :

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उससे प्रभावित व्यक्ति को तथा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

52 (1) राज्य सरकार नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को —

(क) कोई नगर विकास स्कीम विरचित करने,

(ख) किसी नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपान्तरति करने,

(ग) किसी नगर विकास स्कीम को प्रतिसंहरण करने के लिए निदेश, ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, दे सकेगी, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे :

निर्देश देने की
राज्य सरकार की
शक्ति

परन्तु किसी नगर स्कीम को उपान्तरित करने या उसका प्रतिसंहरण करने का कोई भी निदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को अपना मामला उपस्थापित करने का अवसर न दे दिया गया हो।

- (2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को आबद्धकर होंगे।

- 53 नगर विकास स्कीम तैयार करने संबंधी घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कोई व्यक्ति, स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर, ऐसी घोषणा के प्रकाशन के पूर्व उस विकास के अनुसार के सिवाय जो कि संचालक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत किया गया हो, किसी भूमि या भवन के किसी उपयोग को संरिथ्त नहीं करेगा या उसके उपयोग में कोई तब्दीली नहीं करेगा या किसी विकास को कार्यान्वित नहीं करेगा।

भूमि के उपयोग तथा भूमि के विकास पर निर्बन्धन

- * 54 यदि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 50 के अधीन अंतिम स्कीम की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर नगर विकास स्कीम का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने या उसका कार्यान्वयन पांच वर्ष की कालावधि के भीतर पूर्ण करने में असफल रहता है तो वह यथास्थिति, उपरोक्त दो वर्ष की या पांच वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर व्यपगत हो जायेगी :

स्कीम का व्यपगत होना

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकारी और ऐसी स्कीम से व्यक्ति पक्षकारों, यदि कोई हो, के मध्य किसी विवाद को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचार के लिए लाया जाता है तो उस कालावधि की संगणना जिसमें ऐसा विवाद ऐसे न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित रहता है, स्कीम के व्यपगत होने संबंधी अवधारण में नहीं की जायेगी।

- 55 नगर विकास स्कीम के प्रयोजन के लिए चाही गयी भूमि के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह लैण्ड एविंजीशन एक्ट, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के अर्थ के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए चाही गयी भूमि है।

नगर विकास स्कीम लोक प्रयोजन होगी

- 56 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, धारा 50 के अंतिम नगर विकास स्कीम के प्रकाशन की तारीख के पश्चात किसी भी समय किन्तु उससे (उक्त तारीख से) अधिक से अधिक तीन वर्ष के भीतर उस भूमि को, जो कि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हो, करार द्वारा अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा और इस प्रकार अर्जित करने में उसके चूक करने पर, राज्य सरकार, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की प्रार्थना पर, ऐसी भूमि को लैण्ड एविंजीशन एक्ट, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित किये गये प्रतिकर का तथा अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किये गये किन्हीं अन्य प्रभारों का भुगतान करने पर वह भूमि, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित हो जायेगी।

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के लिए भूमि का अर्जन

- 57(1) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, धारा 56 के अधीन उसमें निहित भूमि का, नगर विकास स्कीम के उपबंधों के अनुसार विकास करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार या संचालक के पास, ऐसी जांच के पश्चात जैसी कि आवश्यक हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी भूमि का विकास के लिए यथा योग्य कार्यवाही नहीं कर रहा हो या कि उसने अंतिम स्कीम से हट कर कार्य किया है, तो वह उस प्राधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकेगी / सकेगा जैसे कि उन परिस्थितियों में आवश्यक समझे जायें।

विकास कार्य

- (2) इस धारा के अधीन दिये गये निर्देश नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को आबद्धकर होंगे और वह प्राधिकारी उन निर्देशों को तुरन्त प्रभावशील करेगा।

भूमि भवनों तथा अन्य विकास कार्य का व्ययन

- 58 ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं के व्ययन के लिए प्रक्रिया का अवधारण, विनियम द्वारा करेगा।

* धारा 54 राजपत्र, दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

- विकास प्रभार 59 (1) जहां किसी नगर विकास स्कीम के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की राय में किसी स्कीम की पार्श्वस्थ तथा उससे प्रभावित भूमियों के बाजार भाव में कोई अधिमूल्यन हुआ है, वहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी ऐसे भूमि के अर्जन के लिए उपबंध करने के बजाय, ऐसी भूमियों के स्वामियों पर विकास प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगा।
- (2) विकास प्रभार वह रकम होगी जो भूमि के नगर विकास योजना तैयार करने के आशय के प्रकाशन क तारीख को होने वाले मूल्य तथा भूमि के योजना के पूर्ण होने की तारीख हो होने वाले मूल्य के बीच होने वाले अंतर के कम से कम एक चौथाई के तथा अधिक से अधिक एक तिहाई के बराबर हो।
- उदग्रहण का ढंग 60 (1) नगर विकास स्कीम के पूर्ण हो जाने पर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, सूचना द्वारा जो कि ऐसे प्रारूप में हो तथा जो कि ऐसी रीति में प्रकाशित की गयी हो, जैसा कि विहित किया जाए नगर विकास स्कीम के पूर्ण हो जाने संबंधी तथ्य की तथा स्कीम के अंतर्गत के आने वाले क्षेत्र में विकास प्रभार उदग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करेगा, उस सूचना में भूमियों के ऐसे स्वामियों से, जो विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से कम की नहीं होगी, तथा ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।
- (2) सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया प्राधिकारी आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को एक रिपोर्ट भेजेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे।
- (4) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, विकास प्रभार उद्ग्रहीत करने के अपने आशय की घोषणा करने वाली सूचना के प्रकाशित होने के पश्चात अधिक से अधिक तीन मास के भीतर विहित प्रारूप में एक सूचना जारी करेगा जिसमें उन प्रभारों का निर्धारण किया जायेगा जो प्रभारों के उदग्रहण से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शोध्य हो।
- (5) जहां निर्धारण प्रतिग्रहीत कर लिया गया हो, वहां वह अंतिम होगा तथापि निर्धारण के प्रतिग्रहीत न किये जाने की दशा में व्यधित व्यक्ति सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी (सब डिवीजनल ऑफीसर) पद से अनिम्न पद के राज्य अधिकारी के जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया जाय, समक्ष लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा।
- (6) राजस्व अधिकारी, आवेदक तथा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आवेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे और इस प्रकार पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।
- (7) निर्धारण के अंतिम रूप से अवधारित कर दिये जाने पर, नगर तथा विकास प्राधिकारी प्रत्येक निर्धारित पर एक सूचना तामील करवायेगा, जिसमें उससे (निर्धारिती से), उसके द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिए कहां जायेगा।
- (8) किसी भी ऐसे भुगतान पर, जो उपधारा (7) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि का अवसान होने के पश्चात किया गया हो, उस तारीख से, जिसकी कि निर्धारिती को सूचना द्वारा प्राप्त हुई हो, पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सादा ब्याज लगेगा।
- (9) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उसको उस संबंध में आवेदन किया जाने पर, विकास प्रभारों का भुगतान पांच से अनाधिक वार्षिक किश्तों में करने के लिए निर्धारिती को अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसी तारीख नियत कर सकेगा जिस तक कि प्रत्येक किश्त देय होगी।
- (10) जहां भुगतान किश्तों में किया जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, वहां विकास प्रभारों की रकम पर, उपधारा (7) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और शोध्य ब्याज प्रत्येक किश्त के साथ देय होगा।

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की अपनी स्वयं की निधि होगी और उस प्राधिकारी की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेगी और उस प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले समस्त समस्त भुगतान उसमें से (निधि में से) किये जायेंगे।

* 61—क (1) प्रत्येक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी से सहायता अनुदान उस दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि उपधारा (2) में विविर्दिष्ट की गयी है।

(2) सहायता अनुदान की संगणना निम्नानुसार होगी :—

प्रथम 50,000 तक की जनसंख्या की प्रत्येक 10,000 इकाइयों के लिए 2,000 रुपये और

50,000 से अधिक जनसंख्या की प्रत्येक 20,000 इकाइयों के लिए 2,000 रुपये,

परन्तु आधी या आधी से अधिक इकाई वार्षिक अभिदाय की रकम की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पूरी इकाई के रूप में गिनी जायेगी।

(3) यदि स्थानीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी राशि का संदाय करने में व्यक्तिक्रम करता है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को, जिसकी कि अभिरक्षा में स्थानीय प्राधिकारी की निधि का अतिशेष हो, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसा संदाय या तो पूरा कर दे या ऐसे भागों में कर दे जैसे कि ऐसे अतिशेष से संभव हो।

परन्तु किसी राशि का संदाय करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह कारण कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाय दर्शाने का स्थानीय प्राधिकारी को अवसर उस दशा के अतिरिक्त न दे दिया गया हो जबकि राज्य सरकार यह समझती है कि स्थानीय प्राधिकारी ने अपना मामला पहले ही कथित कर दिया है या कि स्थानीय प्राधिकारी को अपना मामला कथित करने का पहले ही पर्याप्त असवर था।

- 62 (1) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक 10 मार्च तक, वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण तैयार करवायेगा जिसमें पिछले वर्ष के प्राककलन तथा वास्तविक आंकड़े और अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राककलन दिये जायेंगे।
- (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक विवरण (जिसे इसमें के पश्चात “बजट” कहा गया है) मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उसे इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्राककलन पर विचार करेगा और उसे या तो अपरिवर्तित रूप से या ऐसे परिवर्तनों के जैसे कि वह उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए मंजूर करेगा।
- (4) उपधारा (3) के अधीन मंजूर किये गये बजट की एक प्रति राज्य सरकार को तथा संचालक को भेजी जायेगी।
- (5) राज्य सरकार नगर तथा विकास प्राधिकारी को बजट में ऐसा उपान्तरण करने का निर्देश दे सकेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय।
- (6) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो उपान्तरण को प्रतिगृहीत कर लेगा या राज्य सरकार को और निवेदन करेगा।
- (7) राज्य सरकार नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के निवेदन पर विचार करने के पश्चात, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे कि उचित समझे जायें, और आदेशों की तारीख से बजट सरकार द्वारा आदेशित उपान्तरणों के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

* धारा 61—क राजपत्र दिनांक 4.6.75 द्वारा अंतः स्थापित।

धन उधार
लेने की
शक्ति

63

ऐसे निर्बन्धनों तथा ऐसी शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाय, अध्यधीन रहते हुए, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए डिबेन्चर जारी कर सकेगा या सरकार से या खुले बाजार से धन उधार ले सकेगा।

बकाया की
भू-राजस्व के
बकाया के तौर
पर वसूली

* 63(क) इस अधिनियम के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को शोध्य कोई राशि उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि भू-राजस्व का बकाया वसूली योग्य होता है।

* धारा 63-क राजपत्र, दिनांक 4.6.75 द्वारा अंतः स्थापित।

आठवा अध्याय – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्रों
का गठन

64 (1) यदि किसी क्षेत्र, नगर या नगरी को प्रादेशिक योजना में विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित किया गया हो, या यदि राज्य सरकार का किसी अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाये कि लोकहित में यह समीचीन है कि किसी क्षेत्र, नगर या नगरी को विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये तो वह, अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के रूप में अभिहित कर सकेगी जो ऐसे नाम से जाना जैसा कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) ऐसी अधिसूचना में विशेष क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जायेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा :-

(क) विशेष क्षेत्र की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगी कि ऐसा क्षेत्र, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें सम्मिलित किया जा सके या उसमें से अपवर्जित किया जा सके,

(ख) यह घोषणा कर सकेगी कि विशेष क्षेत्र उस रूप में नहीं रहेगा।

*(4) लोप किया गया।

** 65 (1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी होगा, जिसमें :-

विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकारी

(क) अध्यक्ष,

(ख) एक या अधिक उपाध्यक्ष और

*** (ग) सदस्यों की ऐसी संख्या जो कि राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे जिसमें से कम से कम दो महिलाएं होगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जायेगी।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।

(4) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय।

(5) सदस्य किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे किन्तु वे ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

66 प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत, उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह धारा 64 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

विशेष क्षेत्र
विकास
प्राधिकारी का
निगमन

***** 67 प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी में ऐसे अधिकारी और सेवक होंगे जो उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक और उचित हों, विकास प्राधिकारी सेवा के सुरक्षित संवर्ग के राज्य संवर्ग में सम्मिलित अधिकारियों और सेवकों के पदों पर नियुक्तियां संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नवां-क अध्याय और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

कर्मचारी वृन्द

परन्तु किसी प्राधिकारी में कोई भी पद राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही सृजित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

68 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

कृत्य

(एक) विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना, तैयार करना यदि ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाये,

* धारा 64 (4) राजपत्र दिनांक 16.5.94 द्वारा विलोपित।

** धारा 65 राजपत्र दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

*** धारा 65 (1) खण्ड (ग) राजपत्र, दिनांक 1.9.99 द्वारा संशोधित

**** धारा 67 राजपत्र दिनांक 16.7.91 द्वारा प्रतिस्थापित

- (दो) विकास योजना को, राज्य सरकार द्वारा उसके अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात कार्यान्वयन करना,
- (तीन) योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, भूमि तथा अन्य, सम्पत्ति अर्जित करना, धारण करना, उसे विकसित करना, उसका प्रबंध तथा व्ययन करना,
- ⁺ खण्ड (चार) (पांच) और (छ) का लोप किया गया।
- (सात) अन्य अर्थों में, विशेष क्षेत्र के बारे में समस्त ऐसे कृत्यों का, जिनके कि संबंध में राज्य सरकार, समय—समय पर निर्देश दें, पालन करना।

शक्तियां

69 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी —

- (क) भूमि के अर्जन के प्रयोजन के लिए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को प्राप्त है या जिसका कि वह अनुसरण करता है।
- (ख) निवेश के प्रयोजन के लिए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन संचालक को प्राप्त है,
- ^{*}(ग) लोप किया गया
- * (घ) लोप किया गया

विशेष
विकास
प्राधिकारी
निधि

- क्षेत्र की 70 (1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की अपनी स्वयं की निधि होगी और उस प्राधिकारी की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेगी तथा उस प्राधिकारी के समस्त भुगतान उसमें से (निधि में से) किये जायेंगे।
- (2) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उसमें किसी भी प्रयोजन के लिए—
- (क) राज्य सरकार से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से अनुदान प्रतिगृहीत कर सकेगा,
- (ख) ऐसे निबन्धनों तथा ऐसी शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाये, अध्यधीन रहते हुए उधार ले सकेगा।

वार्षिक प्रावकलन

- 71 (1) अध्यक्ष, प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक 10 मार्च तक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समक्ष, आगामी अप्रैल मास के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए उस प्राधिकारी की आय तथा व्यय का एक प्रावकलन ऐसे व्यौरेवार तथा ऐसे प्रारूप में, जैसा कि वह प्राधिकारी समय—समय पर निर्देश दे रखेगा।
- (2) ऐसे प्रावकलन में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के समस्त दायित्वों की सम्यक पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपबंध किया जायेगा और ऐसा प्रावकलन पूर्ण होगा तथा उसकी एक एक प्रति उस प्राधिकारी के प्रत्येक सदस्यों को उस सम्मिलन के, जिसके कि समक्ष प्रावकलन रखा जाना है कम से कम पूरे दस दिन पूर्व भेजी जायेगी।
- (3) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्रावकलन पर विचार करेगा और उसे या तो अपरिवर्तित रूप में ऐसे परिवर्तनों के जैसे कि वह उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए मंजूर करेगा।
- (4) इस प्रकार मंजूर किये गये प्रावकलन राज्य सरकार को भेजे जायेंगे जो कि उन्हें उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी।
- (5) यदि राज्य सरकार प्रावकलनों को उपान्तरणों के साथ अनुमोदित करती है, तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी उन्हें संशोधित करने की कार्यवाही करेगा और इस प्रकार उपान्तरित तथा संशोधित किये गये प्रावकलन उस वर्ष के दौरान प्रवृत्त होंगे।

⁺ धारा 68 खण्ड (चार) (पांच) (छ) राजपत्र दिनांक 16.5.94 द्वारा विलोपित

* धारा 69 खण्ड (ग), (घ) राजपत्र दिनांक 16.5.94 द्वारा विलोपित

नवां अध्याय – नियन्त्रण

- 72 राज्य सरकार को धारा 3 के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों या इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये प्राधिकारियों के कार्यों तथा कार्यवाहियों पर अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होगी।
- पर्यवेक्षण तथा
नियंत्रण की राज्य
सरकार की शक्ति
- 73 (1) धारा 3 के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी तथा इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये प्राधिकारी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, नीति विषयक मामलों की बाबत ऐसे निदेशों द्वारा, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा दिये जायें, आबद्ध होंगे।
- निर्दश देने की
राज्य सरकार
की शक्ति
- (2) यदि राज्य सरकार तथा किसी प्राधिकारी के बीच इस बात पर कोई विवाद उद्भूत हो कि कोई प्रश्न नीति विषयक प्रश्न है या नहीं तो राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- 74 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार नगर सुधार स्कीमों का, भवन योजनाओं का या सन्निर्माण के लिए किसी अनुज्ञा का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गयी विकास योजनाओं के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गयी हो या दी गयी हो, पुनर्विलोकन यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कर सकेगी कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के दृष्टिगत रखते हुए उनमें कोई प्रतिकूलता तो नहीं है या कोई प्रतिकूलता उत्पन्न तो नहीं होती और किसी भी स्कीम, योजना, अनुज्ञा या मंजूरी को प्रतिसंहत कर सकेगी, उसमें फेरफार कर सकेगी या उसे उपान्तरित कर सकेगी जिससे कि ऐसी स्कीम, योजना, अनुज्ञा या मंजूरी को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके।
- अनुरूपता
सुनिश्चित
करने के लिए
योजनाओं आदि
का पुनर्विलोकन
करने की
सरकार की
शक्ति
- परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।
- शक्तियों का
प्रत्यायोजन
- 75 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गयी समस्त या कोई भी शक्तियां, जो नियम बनाने के शक्ति से भिन्न हों, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी।
- प्राधिकारियों का
विघटन
- (2) ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित किये जायें, संचालक इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या कोई भी शक्तियां, जो अपील तथा पुनरीक्षण को सुनने की शक्ति से भिन्न हों, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को, लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 76 (1) जब कभी राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये किसी प्राधिकारी का अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक या अवांछनीय हो, तब राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसा प्राधिकारी, ऐसी तारीख से जो कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट की जाये, विघटित कर दिया जायेगा और ऐसा प्राधिकारी तदनुसार विघटित हो जायेगा।
- (2) *उक्त तारीख से –
- (क) प्राधिकारी की समस्त आस्तियां तथा दायित्व उस क्षेत्र की नगरपालिका में निहित हो जायेंगे तथा ऐसी नगरपालिका को ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो ऐसी अस्तियों का कब्जा लेने, उन्हें वसूल करने तथा उनके संबंध में संव्यवहार करने के लिए और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो :
- परन्तु ऐसे मामलों में जहां ऐसे प्राधिकारी का क्षेत्र भिन्न-भिन्न नगरपालिकों के अंतर्गत आता है, तो ऐसे प्राधिकारी की आस्तियां और दायित्व ऐसी नगरपालिकाओं के बीच ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा अवधारित करें, वितरित किये जायेंगे।
- (ख) ऐसी समस्त लबित कार्यवाहियां, जिनमें प्राधिकारी एक पक्षकार था, उसी प्रकार जारी रहेंगी मानों कि प्राधिकारी के स्थान पर वह नगरपालिका उसका एक पक्षकार थी।

* धारा 76 (2) राजपत्र दिनांक 1.2.95 द्वारा अंतः स्थापित।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “नगरपालिका” से अभिप्रेत यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिका निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत है।

* नवां – क अध्याय – विकास प्राधिकरण सेवाएं

परिभाषाएं 76–क इस अध्याय में “विकास प्राधिकरण” से अभिप्रेत है :–

- (एक) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
- (दो) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी और
- (तीन) मध्यप्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट, 1960 (क्रमांक 14 सन् 1961) की धारा 4 के अधीन गठित किया गया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,

विकास प्राधिकरण सेवा का गठन आदि 76–ख (1) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, विकास प्राधिकरण सेवा का गठन राज्य में के समस्त विकास प्राधिकरणों के लिए अधिकारी और सेवक उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। विकास प्राधिकारी सेवा में निम्नलिखित होंगे :–

- (क) विकास प्रशासनिक अधिकारियों का संवर्ग,
 - (ख) विकास अभियंताओं का संवर्ग,
 - (ग) विकास निवेश अधिकारियों का संवर्ग,
 - ** (घ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संवर्ग में सम्मिलित अधिकारियों को सौंपे गये कृत्यों के अनुसार अवधारित किये जाने वाले ऐसे अन्य संवर्ग जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, प्रत्येक संवर्ग में निम्नलिखित होंगे :–
- (एक) राज्य संवर्ग
 - (दो) स्थानीय संवर्ग

प्रत्येक राज्य संवर्ग और प्रत्येक स्थानीय संवर्ग में ऐसी श्रेणियां तथा ऐसे पदनामों के उतने पद होंगे जो राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। राज्य संवर्ग में सम्मिलित श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और स्थानीय संवर्ग में सम्मिलित श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां संबंधित विकास प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2) राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण सेवा में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए नियम बनाएगी और ऐसे नियमों में इस बात के लिए उपबंध हो सकेगा कि शक्तियों का प्रयोग, विकास प्राधिकारियों को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो उनमें विनिर्दिष्ट किये जायें, किया जा सकेगा।

*(2–क) विकास प्राधिकरण सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों को उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार दिये जाने के लिए अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपदान, वार्षिक पेन्शन तथा अन्य भुगतान संबंधित विकास प्राधिकारी की निधि पर प्रभार होंगे, परन्तु किसी व्यक्ति के एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरण की दशा में, संबंधित विकास प्राधिकरण पूर्वोक्त भुगतानों के मद्दे ऐसे अनुपात में अभिदाय करने का दायी होगा, जो राज्य सरकार विहित करें।

(2–ख) विकास प्राधिकरण सेवा के किसी संवर्ग की किसी श्रेणी के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को एक विकास प्राधिकरण में उसी संवर्ग की उसी श्रेणी के उसी पद पर या उसी श्रेणी के उसी पद पर या उसी श्रेणी के उसी पद पर या उसी श्रेणी या किसी उच्चतर संवर्ग के किसी उच्चतर पद पर पदान्नति देकर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

* अध्याय नवा–क राजपत्र दिनांक 21.1.83 द्वारा अंतः स्थापित

** धारा 76–ख (घ) राजपत्र दिनांक 16.7.91 द्वारा प्रतिस्थापित

* धारा 76–ख (2–क), (2–ख), (2–ग), (2–घ) राजपत्र दिनांक 16.7.91 द्वारा अंतःस्थापित।

(2-ग) राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण सेवा में या तो राज्य संवर्ग में या स्थानीय संवर्ग के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित कर सकेगी और राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह स्थानान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित विकास प्राधिकरण से या अधिकारी या सेवक से परामर्श करें।

(2-घ) जहां उपधारा (2-ग) के अधीन स्थानान्तरित अधिकारी या सेवक स्थानीय संवर्ग का हो वहां,

- (एक) उसका धारित पद पर अर्थात् मूल विकास प्राधिकरण में धारणाधिकार रहेगा,
- (दो) उसे उन भत्तों के संबंध में, जिन्हें वह अपने मूल विकास प्राधिकरण में बने रहने की दशा में प्राप्त करने का हकदार होता, अहितकर स्थिति में नहीं रखा जायेगा,
- (तीन) वह ऐसी दर पर प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अवधारित करें।
- (चार) वह ऐसे अन्य निबन्धनों तथा शर्तों जिनके अंतर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है द्वारा शासित होगा जो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।
- (3) उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत नियमों का या उनमें से किसी नियम को ऐसी तारीख, से जो उपधारा (1) के अधीन नियत की गयी तारीख के पूर्व की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति आती है, किन्तु किसी भी नियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जायेगा कि जिससे किसी ऐसा व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसे ऐसे नियम लागू हो सकता है।
- (4) इस धारा के अधीन बनाए गये समस्त नियम विधान सभा के पटल रखे जायेंगे।
- (5) उपधारा (1) के अधीन नियत की गयी तारीख को मुख्य कार्यालिक अधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्ति को या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारियों तथा सेवकों के पदधारण करने वाले व्यक्तियों को उस दशा में जबकि वे 19 नवम्बर 1982 के पूर्व उक्त पदों पर स्थायी किये जा चुके हों, विकास प्राधिकरण सेवा में स्थायी रूप से आमेलित और समिलित कर लिया जायेगा। उक्त तारीख को पूर्वोक्त पद धारण करने वाले शेष व्यक्तियों को, यदि उन्हें ऐसी प्रक्रिया का, जैसी कि विहित की जाए अनुसरण करने के पश्चात उपयुक्त पाया जाता है, ऐसी सेवा में या तो अंतिम रूप से या अंतिम रूप से आमेलित किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को उक्त सेवा में अंतिम रूप से आमेलित नहीं किया जाता तो उसकी सेवाएं उसके द्वारा अंतिम आहरित एक मास के वेतन का भुगतान करके किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- (6) जहां पूर्वोक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को उस उपधारा में उपबंधित किये गये अनुसार उक्त सेवा में अंतिम रूप से आमेलित कर लिया जाता है, वहां उन सेवा शर्तों को, जो उसे उसके आमेलित के तत्काल पूर्व लागू है, उन्हें उसके लिए उसे अनुकूल बनाकर उसके लिए अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं किया जायेगा, सिवाय इसके कि उसे एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

राज्य सरकार
द्वारा जांच

* 76—ख—ख (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से, किसी व्यक्ति को, लिखित आदेश द्वारा, किसी विकास प्राधिकरण के गठन कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्,
 - (क) उसकी सभी समयों पर विकास प्राधिकरण की बहियों, लेखाओं और दस्तावेजों तक अबाध पहुंच होगी और वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी बहिये, लेखे और दस्तावेज हैं और जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, इस बात के लिए समन कर सकेगा कि वह उन्हें पेश करें।
 - (ख) वह किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे विकास प्राधिकरण के किन्हीं भी कार्यकलापों की जानकारी है, अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षण कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अपने निष्कर्षों को दर्शाते हुए अपनी रिपोर्ट उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

^{**} 76—ख—ख—ख यदि संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे विकास प्राधिकरण का संगठन या प्रबंध सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राधिकरण का अध्यक्ष और ऐसे अन्य अधिकारी और सेवक भी होंगे, विकास प्राधिकरण को धनीय हानि पहुंचाने वाले किसी कार्य या कार्यलोप के लिए उत्तरदायी हैं, तो राज्य सरकार, सम्यक् जांच के पश्चात ऐसे व्यक्ति को उतनी हानि की पूर्ति करने का आदेश दे सकेगी जो राज्य सरकार न्याय संगत और साम्यापूर्ण समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाता :

परन्तु यह और भी कि ऐसे मामलों में वसूली के अतिरिक्त, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी अन्य कार्रवाही भी शुरू कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में की गयी नियुक्ति को धनीय हानि समझा जायेगा।

⁺ 76—ग धारा 76—ख की उपधारा (1) के अधीन नियम की गयी तारीख से मध्यप्रदेश टाउन इम्पूल्हमेंट ट्रस्ट एक्ट, 1960 (क्रमांक 14 सन् 1961) उस सीमा तक जहां तक कि उसमें उन विषयों से, जिनके लिए इस अध्याय में उपबंध अंतर्विष्ट है, संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है तथा उन अधिकारियों और सेवकों, के जो उसके अंतर्गत आते हैं, संबंध में निरस्त हो जायेगा।

अधिनियम
क्रमांक 14
सन् 1961 का
आंशिक
निरस्त

* धारा 76—ख—ख राजपत्र, दिनांक 16.7.91 द्वारा अंतः स्थापित।

+ धारा 76—ग—राजपत्र दिनांक 21.1.83 द्वारा अंत स्थापित।

** धारा 76—ख—ख—ख राजपत्र दिनांक 16.7.91 द्वारा अंतः स्थापित।

दसवां अध्याय – प्रकीर्ण

<p>77 (1) इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संचालक या इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया कोई प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई योजना या स्कीम तैयार करने के प्रयोजन के लिए किसी भी भूमि या भवन में या उस पर –</p>	<p>प्रवेश का अधिकार</p>
<p>(क) ऐसी भूमि या भवन की कोई माप करने के लिए या उसका सर्वेक्षण करने के लिए या उसका तल मापने के लिए,</p>	
<p>(ख) विकास की सीमाओं तथा उसकी आशयित रेखाओं का उपक्रमण करने के लिए तथा उन्हें चिन्हित करने के लिए,</p>	
<p>(ग) ऐसे तलों, सीमाओं तथा रेखाओं को, चिन्ह लगाकर तथा खाईयां खोदकर चिह्नित करने के लिए,</p>	
<p>(घ) सन्निर्माण संकर्मों का परीक्षण करने के लिए तथा मलनालों एवं नालियों के मार्ग अभिनिश्चित करने के लिए,</p>	
<p>(ङ) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी भूमि का विकास इस अधिनियम के या उसके अधीन के किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा है या किया गया है, प्रवेश कर सकेगा या प्रवेश करवा सकेगा।</p>	
<p>परन्तु :-</p>	
<p>(एक) आवास गृह के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले किसी भवन में या ऐसे किसी भवन से संलग्न किसी उद्यान के घिरे हुए भाग पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय या उसके अधिभोगियों को प्रवेश करने के आशय की कम से कम चौबीस घण्टे की लिखित सूचना दिये बिना इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायेगा,</p>	
<p>(दो) प्रत्येक दशा में, स्त्रियों को (यदि कोई हो) ऐसी भूमि या भवन से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा,</p>	
<p>(तीन) जहां तक कि प्रवेश के प्रयोजन की आवश्यकताओं से संगत हो, उस भूमि या भवन के, जिसमें कि प्रवेश किया जाये, अधिभोगियों की सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक ध्यान रखा जायेगा।</p>	
<p>(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किसी भूमि या भवन में या उस पर प्रवेश करने के लिए सशक्त किये गये या सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को प्रवेश करने में बाधा पहुंचायेगा या ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रवेश के पश्चात छेड़ेगा, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।</p>	
<p>78 प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।</p>	<p>न्यायालयों की अधिकारिता</p>
<p>अपराधों का संज्ञान</p>	
<p>79 कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान यथास्थिति संचालक, या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से किये गये लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।</p>	
<p>सदस्य तथा अधिकारी लोक सेवक होंगे</p>	
<p>80 इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये किसी प्राधिकारी का प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जोयगा।</p>	
<p>वाद तथा अन्य कार्यवाहियां</p>	
<p>81 किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये किन्हीं नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी हो या जिसका सदभावनापूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।</p>	

<p>कार्यवाहियां रिक्त के कारण अधिकारी नहीं होगी</p> <p>सदस्य उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा</p> <p>प्रादेशिक योजना आदि का निर्वचन</p> <p>नियम बनाने की शक्ति</p>	<p>82 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी या उसकी किसी भी समिति का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि—</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) उसमें कोई रिक्त है या उसके गठन में त्रुटि है, (ख) उसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले में गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है। <p>83 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का अध्यक्ष या सदस्य, अपनी पदाधिकारी का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पदधारण किये रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें।</p> <p>84 (1) यदि किसी प्रादेशिक योजना के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो वह मामला संचालक को निर्दिष्ट किया जायेगा जो कि उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।</p> <p>(2) संचालक के विनिश्चय से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।</p> <p>(3) राज्य संचालक का विनिश्चय तथा राज्य सरकार के विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा।</p>
	ग्यारहवां अध्याय – नियम तथा विनियम
	<p>85 (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात, नियम बना सकेगी :</p> <p>* परन्तु पूर्व प्रकाशन की शर्त उपधारा (2) के खण्ड (सत्रह-क) के अधीन बनाये गये नियमों के बारे में लागू नहीं होगा।</p> <p>(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे :—</p> <ul style="list-style-type: none"> (एक) अधिकारियों के अन्य प्रवर्ग जो कि धारा 3 (1) (ङ) के अधीन नियुक्त किये जा सकेंगे, (दो) धारा 8 (1) के अधीन आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने वाली सूचना के प्रकाशन का प्रारूप तथा रीति, (तीन) धारा 9 (2) के अधीन प्रादेशिक योजना के प्रकाशन की रीति, (चार) आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए धारा 15 (1) के अधीन भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के प्रकाशन की रीति, (पांच) धारा 18 (1) के अधीन प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन की रीति, (छ.) धारा 19 (4) के अधीन लोक सूचना के प्रकाशन की रीति, (सात) दस्तावेजों तथा रेखांक जो धारा 27 (1) के अधीन जानकारी के साथ भेजे जायेंगे, (आठ) (क) धारा 29 (1) के अधीन आवेदन का प्रारूप, वे विशिष्टियां जो कि उस आवेदन में अंतर्विष्ट होंगी तथा वे दस्तावेजों जो ऐसे आवेदन के साथ भेजी जायेंगी, (ख) फीस जो धारा 29 (2) के अधीन आवेदन के साथ दी जावेगी।

* धारा 85 (1) का परन्तुक राजपत्र, दिनांक 21.1.83 द्वारा अंतःस्थापित

(नौ) (क) वह प्रारूप जिसमें कि धारा 30 (3) के अधीन अनुज्ञा दी जायेगी,

(ख) धारा 30 (4) के अधीन आदेश की संसूचना की रीति,

*(दस) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन वह प्राधिकारी जिसको तथा वह रीति जिसमें अपील की जायेगी और वह फीस जो अपील के ज्ञापन पर देय होगी,

(यारह) वह समय जिसके भीतर, वह रीति जिसमें तथा वे दस्तावेज जिनके साथ धारा 34 (1) के अधीन सूचना की तामील की जायेगी।

(बारह) वह रीति जिसमें धारा 37 (3) के अधीन आवेदन किया जायेगा,

* (बारह-क) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि,

* (बारह-क-क) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वे निर्बन्धन तथा शर्त जिनमें अध्यधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यथास्थिति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी।

(तेरह) (क) धारा 50 (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की रीति,

(ख) वह प्रारूप जिसमें तथा वह रीति जिसमें धारा 50 (3) के अधीन नगर विकास स्कीम प्रारूप के रूप में प्रकाशित की जायेगी,

(ग) वह रीति जिसमें धारा 50 (7) के अधीन अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित की जायेगी,

(चौदह) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए भूमि धारा 56 के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होगी,

(पन्द्रह) (क) वह प्रारूप जिसमें तथा वह रीति जिसमें धारा 60 (1) के अधीन सूचना प्रकाशित की जायेगी,

(ख) वह प्रारूप जिसमें धारा 60 (4) के अधीन सूचना जारी की जायेगी,

(सोलह) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 63 के अधीन डिबेंचर जारी कर सकेगा या धन उधार ले सकेगा।

*(सोलह-क) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि,

(सत्रह) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 70 (2) के अधीन उधार लिये जा सकेंगे,

(सत्रह-क) धारा 76 ख की उपधारा (2) के अधीन विकास प्राधिकरण सेवा में नियुक्ति किये जाने वाले अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें,

(अठारह) कोई भी अन्य विषय जिसके लिए नियम बनाये जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

विनियम 86 (1) यथास्थिति नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे –

* धारा 85 (2) खण्ड (दस) (बारह-क) (बारह-क-क) राजपत्र दिनांक 21.1.1983 द्वारा प्रतिस्थापित

* धारा 85 (2) खण्ड (सोलह-क) सत्रह-क राजपत्र, दिनांक 21.1.1983 द्वारा अंतः स्थापित

- (क) सम्मिलनों का आहूत किया जाना तथा सम्मिलनों का किया जाना, वह समय तथा स्थान जहां कि ऐसे सम्मिलन किये जायेंगे, उनमें सम्मिलनों में कामकाज का संचालन,
- (ख) धारा 58 के अधीन विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं के व्ययन के लिए प्रक्रिया,
- (ग) सम्पत्ति का प्रबंध और लेखाओं का रखा जाना तथा उनकी संपरीक्षा,
- (घ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, सम्मिलनों का आहूत किया जाना तथा आयोजन और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन,
- (ङ) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाने तथा कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन किया जाने के लिए आवश्यक हो।

बारहवां अध्याय –निरसन

निरसन व्यावृति
तथा निर्देशों का
अर्थान्वयन

- ** 87 (1)(क) दूसरे अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति में मुख्य नगर निवेशक के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह संचालक के प्रति निर्देश है,
- (ख) किसी निवेश क्षेत्र का गठन होने की तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात :–
 - (एक) मध्यप्रदेश टाऊन प्लानिंग एकट, 1948 (क्रमांक 67 सन् 1948) ऐसे क्षेत्र में निरस्त हो जायेगा।
 - (दो) उक्त अधिनियम के अधीन तैयार किया गया कोई भी भूमि का उपयोग संबंधी मानचित्र, प्रारूप विकास योजना या विकास योजना इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी / तैयार किया गया समझा जायेगा और उससे सबधित समस्त कागज पत्र संचालक को अंतरित हो जायेगे,
 - (ग) किसी भी क्षेत्र के लिए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना होने की तारीख से उस क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात :–
 - (एक) मध्यप्रदेश टाऊन इम्प्रूळ्हमेंट ट्रस्ट एकट, 1960 (क्रमांक 14 सन् 1961) उक्त क्षेत्र को उसके लागू होने के संबंध में निरस्त हो जायेगा,
 - (दो) इस प्रकार स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहा नगर सुधार न्यास विघटित हो जायेगा और उक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी कोई भी नगर सुधार स्कीम, जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी,
 - (तीन) नगर सुधार न्यासों की समस्त आस्तियां तथा दायित्व, ऐसे नगर सुधार न्यास के स्थान पर धारा 38 के अधीन गठित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की आस्तियां तथा दायित्व होंगे तथा समझे जायेंगे,

* (तीन-क) नगर सुधार न्यास को देय समस्त अनुदान तथा अभिदाय ऐसे नगर सुधार न्यास के स्थान पर धारा 38 के अधीन स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को देय होते रहेंगे,

- (चार) वे समस्त कर्मचारी, जो पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व उस नगर सुधार न्यास के, जो कि उपर्युक्त (दो) में निर्दिष्ट हैं, थे या उसके नियंत्रणाधीन थे, ऐसे क्षेत्र के लिए धारा 38 के अधीन स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के कर्मचारी समझे जायेंगे,

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, जब तक कि वे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित न कर दी जाये, वही होगी:

** धारा 87 उपधारा (1) राजपत्र, दिनांक 17.11.79 द्वारा अंतः स्थापित

* धारा 87 (1) (ग) का (तीन-क), राजपत्र, दिनांक 4.6.75 द्वारा अंतः स्थापित

परन्तु यह और भी कि पूर्वगामी उपबंध के अधीन कोई भी मंजूरी राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उससे (मंजूरी से) प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो,

(पांच) उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट किये गये नगर सुधार न्यास के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र उसके स्थान पर धारा 38 के अधीन स्थापित किये गये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होंगे तथा उसे अंतरित कर दिये जायेंगे।

** (2) मध्यप्रदेश टाउन इम्पूल्हमेंट ट्रस्ट एक्ट, 1960 (क्रमांक 14 सन् 1961) जो इसमें इसके पश्चातनिरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है कि उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अधीन निरसन हो जाने पर भी :—

(क) ऐसे समस्त मामलों में, जो कि निरसित अधिनियम की धारा 71 के अधीन भूमि के अर्जन तथा नगर सुधार न्यास में उस भूमि के निहित होने के बारे में प्रतिकर से संबंधित हो तथा ऐसे निरसन की तारीख के अव्यवहित पूर्व नगर सुधार न्यास या अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो, कार्यवाही तथा उनका निपटारा यथास्थिति :—

(एक) धारा 38 के अधीन ऐसे नगर सुधार न्यास के स्थान पर स्थापित किये नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा,

(दो) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन अधिनियम 1979 के प्रारम्भ होने के पश्चात निरसित अधिनियम की धारा 73 के अधीन गठित किये जाने वाले अधिकरण द्वारा,

(तीन) जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा,

(चार) उच्च न्यायालय द्वारा,

निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा मानों कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो,

(छ) यथास्थिति नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, अधिकरण जिला न्यायाधीश का न्यायालय या उच्च न्यायालय मामलों में उस प्रक्रम से, जिस पर कि ऐसे मामले निरसन के समय छोड़ दिये गये थे, कार्यवाही करने के लिए तथा उनका निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

88 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अध्यादेश, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1973) एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन

** धारा 87 (2) राजपत्र दिनांक 17.11.79 द्वारा अंतः स्थापित।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत हुए संशोधनों की सूची

क्रमांक	अधिसूचना क्रमांक दिनांक	धारा क्रमांक एवं दिनांक	विषय वस्तु	टीप
1	2	3	4	5
1	14638—21—अ (प्र) दिनांक 3.6. 75 राजपत्र ¹ दिनांक 4.6.75	धारा 2 (ण—ण) धारा 27 उपधारा (5) धारा 38 उपधारा (2) का परन्तुक धारा 61—क धारा 63—क धारा 68 (5) (6) धारा 69 (ग) (घ) धारा 87 (1) (ग) उपखण्ड (3—क)	पनर्गित प्लाट राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रवर्तन से छूट देने के बारे में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना होने तक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करना राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी से नगर विकास प्राधिकारी को वार्षिक अभिदान बकाया की भू—राजस्व की बकाया तौर पर वसूली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की कृत्य विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की शक्तियाँ नगर सुधार न्यास को देय समस्त अनुदान धारा 38 के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकारी को देय होंगे	अंतःस्थापित अंतःस्थापित अंतःस्थापित अंतःस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित अंतःस्थापित
2	18964—इककीस —च (आ) दिनांक 30.7.82 (राजपत्र दिनांक 31.7.1982) अध्यादेश, अधिनियम का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 29 10.82 को हुआ है।	धारा 1 उपधारा (3)	विधि मान्यकरण। इसके बारे में यह समझा जावेगा कि वे सदैव से स्थापित की गई है	प्रतिस्थापित
3	2053—21—अ (प्र) दिनांक 21. 1.1983 राजपत्र ² दिनांक 21.1.83	धारा 2 खण्ड (घ) (एक) खण्ड (ढ) खण्ड (ण) खण्ड (द)	बनाना या पुनः बनाना या तोड़ना स्वामी से अभिप्रेत है, भूमि या भवन का स्वामी और उसके अंतर्गत आता है और अभिव्यक्ति “निवेशतर क्षेत्र” का तदनुसार अर्थ लगाया जावेगा गंदी बरती की परिभाषा	प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित अंत में जोड़ा गया प्रतिस्थापित

		धारा 24	राज्य सरकार द्वारा भूमि के विकास तथा उपयोग का नियंत्रण किया जाना	प्रतिस्थापित
		धारा 26 द्वितीय परन्तुक	नियमों में उपबंधित के अनुसार अधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी जाना	अंतःस्थापित
		धारा 30 उपधारा (5)	छ: मास के स्थान पर शब्द साठ दिन (डीम्ह परिमिशन)	प्रतिस्थापित
		धारा 31 उपधारा (1)	धारा 30 के आदेश के विरुद्ध अपील	प्रतिस्थापित
		धारा 31 उपधारा (2)	अपील प्राधिकारी	प्रतिस्थापित
		धारा 40	नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन	प्रतिस्थापित
		धारा 41	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का प्रावधान	प्रतिस्थापित
		धारा 42 उपधारा (1)	“शब्द, कोष्ठक और अक्षर खण्ड (ख)’’ के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अक्षर “खण्ड (घ), (च) और (छ)’’	प्रतिस्थापित
		धारा 43 पाश्वर्शीष	अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	प्रतिस्थापित
		धारा 44	अनुपस्थिति-छुट्टी और कार्यकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति	प्रतिस्थापित
		धारा 65 उपधारा (2)	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जावेंगे	प्रतिस्थापित
	नवां—क अध्याय	विकास प्राधिकरण सेवाये परिभाषाएं	अंतःस्थापित	
	76—क	विकास प्राधिकरण सेवा का गठन आदि	अंतःस्थापित	
	76—ख	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1961 का आंशिक निरसन	अंतःस्थापित	
	76—ग	उपधारा (2) के खण्ड (17—क) के अधीन बनाये गये नियमों को पूर्व प्रकाशन की शर्त लागू नहीं होगी	अंतःस्थापित	
	धारा 85 उपधारा (1) परन्तुक	धारा 31 में वह फीस जो अपील के ज्ञापन पर देय होगी	प्रतिस्थापित	
	उपधारा (2) खण्ड (10)	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि	अंतःस्थापित	
	खण्ड—(12—क)	धारा 44 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति छुट्टी बाबत शर्त	अंतःस्थापित	
	खण्ड—(12—क—क)			

		खण्ड—(16—क) खण्ड (17—क)	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की धारा 65 के अंतर्गत कार्यविधि धारा 76 ख के अंतर्गत विकास प्राधिकरण सेवा में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्त	अंतःस्थापित अंतःस्थापित
4	क्रमांक 8422—21/अ (प्र) 26.10.88 राजपत्र 26.10. 88	धारा 23 धारा 24 क	विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना या उनके भाग का पुनर्विलोकन या उपांतरण आवासीय भवन में अतिरिक्त तल का सन्निर्माण	प्रतिस्थापित अंतःस्थापित
5	राजपत्र दिनांक 16.7.91	धारा 46 धारा 47 धारा 48 धारा 67 धारा 76—ख उपधारा (1) खण्ड (घ) धारा 76—ख उपधारा (2—क) उपधारा (2—ख) उपधारा (2—ग) उपधारा (2—घ) नई धारा—76 ख ख धारा 76 ख ख ख	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अन्य अधिकार और सेवक कार्यपालिक अधिकारी और अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्त कर्मचारी वृन्द अधिकारियों के संवर्ग राज्य शासन द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करना विकास प्राधिकरण सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त राज्य सरकार द्वारा जांच अधिभार	प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित अंतःस्थापित अंतःस्थापित अंतःस्थापित
6	अधिसूचना क्रमांक 7640—21—अ— प्र—दिनांक 31. 10.92 (राजपत्र दिनांक 31.10. 92)	धारा 23—क	कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का उपांतरण	अंतःस्थापित
7	अधिसूचना क्रमांक 4671 21—अ (प्र) दिनांक 16.5.94 राजपत्र दिनांक 16.5.94	धारा 64 उपधारा (4) धारा 68 खण्ड (चार) (पांच) (छः) धारा 69 खण्ड (ग) (घ)	विशेष क्षेत्र के संबंध में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के कृत्य विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की शक्तियां	लोप किया गया लोप किया गया लोप किया गया
8	अधिसूचना क्रमांक 1100 / 21—क (प्र) दिनांक 1 फरवरी 1995 (राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 1995)	धारा 76 उपधारा (2)	प्राधिकारी की आस्तियां एवं दायित्व नगरपालिका में वेष्ठित होने बाबत	प्रतिस्थापित

इसे वेबसाईट www.govt_press_mp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी 2012—पौष 13, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. 10-03-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१२

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११

विषय-सूची.

धाराएँ :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १६ का संशोधन.
३. धारा १७-क का संशोधन.
४. धारा २१ का संशोधन.
५. धारा २३-क का संशोधन.
६. धारा २३-ख का अन्तःस्थापन.
७. धारा २४-क का हटाया जाना.
८. धारा २९ का संशोधन.
९. धारा ३० का संशोधन.
१०. धारा ३०-क का अंतःस्थापन.

११. धारा ३७ का संशोधन.
१२. धारा ५० का संशोधन.
१३. धारा ५१ का स्थापन.
१४. धारा ५४ का हटाया जाना.
१५. धारा ५६ का संशोधन.
१६. धारा ५६-क तथा ५६-ख का अंतःस्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१२

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक 03 जनवरी, 2012 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११ है।

धारा १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी जा सकेगी, जैसी कि विहित की जाएं।
- (३) उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन, संचालक को लिखित में, ऐसे प्ररूप में, ऐसे शुल्क तथा दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जो कि विहित किए जाएं।
- (४) धारा २९ के अधीन किसी आवेदन पर अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने हेतु धारा ३० के उपबंध, उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये दिए गए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (५) धारा ३१, धारा ३२ तथा धारा ३३ के अधीन क्रमशः अपील, पुनरीक्षण एवं अनुज्ञा के व्यपगत होने से संबंधित उपबंध, जो कि धारा ३० के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश को लागू होते हों, उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”।

धारा १७-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७-क की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्,—

“(३) राज्य सरकार वह रीति विहित कर सकेगी, जिसमें समिति का संयोजक—

(क) प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों के अभिलेख संधारित करेगी;

- (ख) समिति की बैठकें आयोजित करेगा और उपांतरणों तथा परिवर्तनों के संबंध में, यदि कोई हो, उसकी सिफारिशों प्राप्त करेगा;
- (ग) अपनी रिपोर्ट संचालक को अग्रेषित करेगा।”.

४. मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में, शब्द “भूमि के उपयोग संबंधी उन ब्यौरों को, जो विकास योजना में उपदर्शित किए गए हों, विस्तारपूर्वक दर्शाया जाएगा और उसमें” का लोप किया जाए,

धारा २१-का
संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३-क में,—

धारा २३-क का
संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द “विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना के उपांतरण के लिये आवेदन, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए” जोड़ें जाएं;
- (दो) उपधारा (२) में,—

- (क) शब्द “राज्य सरकार उपांतरित योजना की पुष्टि करेगी,” के स्थान पर, शब्द “राज्य सरकार, योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जिस प्रकार कि वह समुचित समझे” स्थापित किए जाएं;
- (ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परंतु राज्य सरकार :

- (एक) योजना उपांतरित करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी कि वह समुचित समझे;
- (दो) भूमि के उपयोग के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये भूमि का वह न्यूनतम आकार, जिसमें परिवर्तन हेतु विचार किया जा सकेगा, विहित कर सकेगी;
- (तीन) योजना को उपांतरित करते समय अंतर्रस्त भूमि के बाजार मूल्य के १० प्रतिशत से अनधिक प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी. विभिन्न प्रवर्गों के प्रकरणों के लिए उदग्रहण के मापदण्ड तथा वह रीति, जिसमें बाजार मूल्य अवधारित किया जाएगा, विहित कर सकेगी;
- (चार) प्रकरणों के वे प्रवर्ग विहित कर सकेगी, जिन्हें खण्ड (दो) और/या (तीन) से छूट प्रदान की जा सकेगी.”;
- (तीन) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(४) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन दिए गए आवेदन की दशा में, फर्श क्षेत्र अनुपात की अनुज्ञय सीमाएं उपांतरित नहीं की जाएंगी.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २३-क के पश्चात् अध्याय पांच में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा २३-ख का
अंतःस्थापन.

“२३-ख. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय, विकास योजना में, उन क्षेत्रों को, जिनका प्रत्येक का माप पांच हैक्टर से कम न हो, अधिसूचित कर सकेगी, जिनमें अनुज्ञय सीमा से अधिक अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात, विहित राशि के भुगतान पर अनुज्ञात किया जा सकेगा:

भुगतान पर अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात.

परंतु ऐसे किसी क्षेत्र को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार ने :

- (एक) ऐसी अधिसूचना का कोई प्रारूप प्रकाशित न कर दिया हो तथा लोगों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित न कर लीं हों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिनका कि उसमें हित हो सकता हो, सुन न लिया हो;
- (दो) प्रस्तावित अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात को लागू करने के लिए अधोसंरचना की पर्याप्तता और अनुज्ञय सीमा से अधिक ऐसे अतिरिक्त फर्श क्षेत्र को अनुज्ञात करने के प्रभाव का पता लगाने हेतु उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार न कर लिया गया हो.
- (२) वह रीति जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, हितबद्ध व्यक्तियों को सुने जाने की रीति तथा अतिरिक्त फर्श क्षेत्र के लिये आवेदन के प्ररूप के साथ ही संलग्न किए जाने वाला शुल्क तथा दस्तावेज विहित किए जाएंगे.
- (३) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वीकृत किया गया अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात विकास योजना में अनुज्ञात किए गए अनुपात से ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उपधारा (१) में वर्णित की गई राशि विहित रीति में संगणित किए गए समतुल्य अतिरिक्त भूमि के बाजार मूल्य के २५ प्रतिशत से कम नहीं होगी.

स्पष्टीकरण।—धारा २३-क तथा २३-ख के प्रयोजन के लिए “फर्श क्षेत्र अनुपात”से अभिप्रेत है, किसी भवन के, ऐसे क्षेत्रों को छोड़ते हुए, जो कि विहित किए जाएं, उस भूमि के कुल प्लाट क्षेत्र के समस्त तलों पर निर्मित क्षेत्र का अनुपात.”

धारा २४-क का
हटाया जाना।

७. मूल अधिनियम की धारा २४-क का लोप किया जाए।

धारा २९ का
संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “(३) धारा ३० के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा यदि पूर्व में ही व्यपगत नहीं हो गई है, तो उपांतरण का आवेदन, संचालक को किया जाएगा तथा उसमें ऐसे ब्वौरे, दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे तथा उसके साथ ऐसा शुल्क दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु ऐसा कोई आवेदन, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किए जाए, उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञा, जिसके उपांतरण के लिये आवेदन किया गया था, दी गई हो, छह मास की कालावधि का अवसान होने के पूर्व नहीं किए जाएगा.”।

धारा ३० का
संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन आवेदन की दशा में, संचालक, इसमें इसके ऊपर खण्ड (क) या (ख) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्तियों को, जिनका प्रस्तावित उपांतरण में कोई हित हो, नहीं सुन लिया हो और उस भूमि या भवन में सृजित किन्हीं विल्लंगमों पर, यदि कोई हों, विचार न कर लिया हो, वे हित तथा विल्लंगमों जिन पर विचार किया सकता हो, विचार किए जाने की प्रक्रिया, वह रीति, जिसमें विल्लंगमों, यदि कोई हों, का उपचार किया जाएगा और आदेश का प्ररूप, ऐसे होंगे जैसे कि विहित किए जाएं.”।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ३०-क का
अंतःस्थापन.

“३०-क. (१) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाए, किसी प्लाट के विलयन या विभाजन को अनुज्ञात कर सकेगा :

किसी प्लाट का
विलयन या
विभाजन.

परंतु जहां भूमि के उपयोग का प्रयोजन आवासीय है, वहां—

- (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के प्लाटों का विलयन नहीं किए जाएंगा;
 - (ख) प्लाटों का विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
 - (ग) केवल सटे हुए प्लाटों का विलयन किया जाएगा और ऐसे विलयन किए गए प्लाट का आकार ५०० वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा; और
 - (घ) विलयन के पश्चात् तैयार हुए प्लाट के लिये अनुज्ञेय आवासीय इकाइयों की संख्या उन प्लाट के लिये अनुज्ञेय आवासीय इकाइयों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, जिनका विलयन किया गया था।
- (२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए आवेदन में ऐसे ब्यौरे तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे तथा उसके साथ ऐसा शुल्क दिया जाएगा जैसा कि विहित किए जाएं.”.

११. मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारा (१) में, शब्द, “ऐसे विकास के पांच वर्ष के भीतर,” का लोप धारा ३७ संशोधन.
किया जाए.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—

धारा ५० का
संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परंतु आशय की कोई ऐसी घोषणा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी.”;

(दो) उपधारा (४) में,—

(क) शब्द “या” के स्थान पर, शब्द “और” स्थापित किया जाए;

(ख) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु ऐसी प्रारूप स्कीम का अंतिम प्रकाशन, उसमें प्रस्तावित किए गए अभिन्यास का संचालक द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा. ऐसा अंतिम प्रकाशन, प्रारूप स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर प्रारूप स्कीम व्यपगत हो गई समझी जाएगी.”;

(तीन) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(५) उपधारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, एक समिति गठित करेगा जिसमें, उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, ऐसे स्थानीय नगरीय निकाय का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती जिसकी अधिकारिता के भीतर, नगर विकास स्कीम अवस्थित है, और उस दशा में, जहां की स्कीम पूर्णतः या अंशतः उसकी अधिकारिता में आती हो, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती समाविष्ट होंगे.”.

धारा ५१ का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

पुनरीक्षण.

“५१. राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, किसी भी समय, किन्तु धारा ५० के अधीन अंतिम नगर विकास स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर, या तो स्वप्रेरणा से या अंतिम स्कीम के ऐसे प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अंतिम स्कीम से व्यविधित हो, फाइल किए गए आवेदन पर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की शुद्धता के बारे में या ऐसे प्राधिकारी की किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिये, किसी स्कीम के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसे अभिलेख मंगवाते समय निर्देश दे सकेगा कि स्कीम का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए, और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और यह आदेश अंतिम होगा :

परंतु कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे प्रभावित व्यक्ति और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.”.

धारा ५४ का हटाया जाना.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५४ का लोप किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए अर्थात् :—

“परंतु उक्त करार में ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट होंगी और वह ऐसी रीति में निष्पादित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.”.

धारा ५६-क तथा ५६-ख का अंतःस्थापन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५६ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

करार की लिखत पर कोई रजिस्ट्रीकरण शुल्क का न लगना.

“५६-क. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५६ में उल्लिखित करार को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमिस्वामी और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा.

“५६-ख. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५६ में उल्लिखित करार को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमिस्वामी और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित किसी लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.”.

करार की लिखत पर
कोई स्टाम्प शुल्क
का न लगाना।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. 11-03-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक एक सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 16.
3. Amendment of Section 17-A.
4. Amendment of Section 21.
5. Amendment of Section 23-A.
6. Insertion of Section 23-B.
7. Deletion of Section 24-A.
8. Amendment of Section 29.
9. Amendment of Section 30.
10. Insertion of Section 30-A.
11. Amendment of Section 37.
12. Amendment of Section 50.
13. Substitution of Section 51.
14. Deletion of Section 54.
15. Amendment of Section 56.
16. Insertion of Section 56-A and 56-B.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 28th December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd January, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 16.

2. After sub-section (1) of Section 16 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following new sub-sections shall be inserted, namely:—

“(2) The permission under sub-section (1) may be granted in such cases and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) An application under sub-section (1) shall be made in writing to the Director in such form, accompanied by such fees and documents as may be prescribed.

(4) The provisions of Section 30 for the grant or refusal of permission to an application under Section 29 shall mutatis mutandis apply to an application for permission under sub-section (1).

(5) the provisions of appeal, revision and lapse of permission under Section 31, Section 32 and Section 33 respectively, which are applicable to an order granting or refusing permission under Section 30, shall mutatis mutandis apply to an order made under sub-section (1).”.

Amendment of Section 17-A.

3. For sub-section (3) of Section 17-A of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The State Government may prescribe the manner in which the Convener of the committee shall,

(a) maintain the record of objections and suggestions received;

(b) conducts the meetings of the committee and obtain its recommendation regarding modifications and alterations, if any;

(c) forward his report to the Director.”.

Amendment of Section 21.

4. In sub-section (1) of Section 21 of the Principal Act, the words “enlarge the details of land use as indicated in the development plan and shall” shall be omitted.

Amendment of Section 23-A.

5. In Section 23-A of the Principal Act.—

(i) in sub-section (1), in clause (b), the words “The application for modification of development plan or zoning plan shall be in such form and accompanied by such fee and documents as may be prescribed” shall be added;

(ii) in sub-section (2).

- (a) for the words “the State Government shall confirm the modified plan”, the words “the State Government may modify the plan as it deems appropriate” shall be substituted;
- (b) for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the State Government may:

- (i) impose such conditions as it considers appropriate while modifying the plan;
- (ii) prescribe the minimum size of land for each category of land use which may be considered for change;
- (iii) while modifying the plan, levy a charge not exceeding 10% of the market value of the land involved. The scale of levy for various category of cases and the manner in which the market value may be determined shall be prescribed;
- (iv) prescribe the category of cases which may be exempted from clause (ii) and /or (iii).”;

(iii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(4) Notwithstanding anything contained in this Section, the permissible limits of floor area ratio shall not be modified in case of the application made under clause (b) of sub-section (1).”.

6. After Section 23-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted in Chapter V, namely :—

**Insertion of
Section 23-B.**

“23-B (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, at any time, notify area in the development plan, each measuring not less than five hectares, in which additional floor area ratio over and above the Permissible limit may be allowed on payment of a prescribed amount:

**Additional floor
area ratio on
payment.**

Provided that no such area shall be notified unless the State Government has:

- (i) published a draft of such notification and invited suggestions and objections from the public and heard all such persons who may have interest;
- (ii) considered the recommendations of a committee constituted by it to assess the impact of allowing such additional floor area ratio over and above the permissible limit and adequacy of the infrastructure to support the proposed additional floor area ratio.

(2) The manner in which the notification may be published, the manner of hearing the interested persons and the form of application for additional floor area alongwith the fee and documents to be enclosed shall be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Section, the additional floor area ratio granted shall not exceed 50% of that allowed in the development plan and the amount mentioned in sub-section (1) shall not be less than 25% of the market value of the equivalent additional land calculated in the manner prescribed.

Explanation.—For the purpose of Section 23-A and 23-B “ floor area ratio” means the ratio of built up area in a building on all floors, excluding such areas of the building as may be prescribed, to the total plot area of the land in question.”.

**Deletion
of Section 24-A.**

7. Section 24-A of the Principal Act shall be deleted.

**Amendment of
Section 29.**

8. After sub-section (2) of Section 29 of the Principal Act, the following new sub-sections shall be inserted, namely:—

“(3) An application for modification of the permission granted under Section 30, if not already lapsed, shall also be made to the Director and it shall contain such details, documents and accompanied by such fees as may be prescribed:

Provided that no such application, unless otherwise directed by the State Government, shall be made before a period of six months has expired from the date on which the permission, whose modification has been applied for, was granted.”.

**Amendment of
Section 30.**

9. In Section 30 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for fullstop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“ Provided that in case of an application under sub-section (3) of Section 29, the Director shall not pass any order under clause (a) or (b) hereinabove unless he has heard such persons as may have interest in the proposed modification and considered encumbrances, if any, created in the land or building. The interests and encumbrances that may be considered, procedure for such consideration, manner in which encumbrances, if any, may be remedied and the form or order shall be such as may be prescribed.”.

**Insertion of
Section 30-A**

10. After Section 30 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—

**Merger of
division of a plot.** “30-A. (1) The State Government or an officer so authorized by it may, subject to the provisions of this Act and such conditions as may be prescribed, allow merger or division of the plot:

Provided that where the purpose of land use is residential :

- (a) plots for economically weaker sections and low income groups shall not be merged;
- (b) division of plots shall not be permitted;
- (c) only continuous plot shall be merged and the size of such merged plot shall not exceed 500sq. mtrs; and
- (d) the number of dwelling units permissible in the plot formed after merger shall not exceed the sum of the dwelling units permissible in the plots that were merged.

(2) An application under sub-section (1) shall contain such details, documents and accompanied by such fee as may be prescribed.”.

**Amendment of
Section 37.**

11. In Section 37 of the Principal Act, in sub-section (1), the words “within five years of such development” shall be omitted.

**Amendment of
Section 50.**

12. In Section 50 of the Principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that no such declaration of intent shall be made without prior approval of the State Government.”,

(ii) in sub-section (4),—

- (a) for the word “or”, the word “and” shall be substituted;
- (b) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that the final publication of such draft scheme shall be notified after the layout proposed therein has been approved by the Director. Such final publication shall be notified not later than one year from the date of publication of the draft scheme failing which the draft scheme shall be deemed to have lapsed.”;

(iii) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the Town and Country Development Authority shall constitute a committee consisting of the Chief Executive Officer of the said Authority, an officer nominated by the Director, Chief Executive Officer or his nominee of such urban local body within whose jurisdiction the town development scheme is situated and Chief Executive Officer or his nominee of the Zila Panchayat in case the scheme lies wholly or partly in his jurisdiction.”.

13. For Section 51 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“ 51. The State Government or an officer not below the rank of a Commissioner so authorised by it may, at any time, but not later than two years from the date of publication of the final town development scheme under Section 50, either on own motion or on an application filed within thirty days of such publication of the final scheme by any person aggrieved by the final scheme, call for and examine the record of any scheme for the purpose of satisfying as to the correctness of the order passed by the Town and Country Development Authority, or as to the regularity of any proceeding of such authority and when calling such record direct that the execution of the scheme be suspended, and the State Government or the Authorised Officer may, after examining the record, pass such order as it or he thinks fit and this order shall be final :

Provided that no order shall be passed unless the person affected thereby and the Town and Country Development Authority have been given a reasonable opportunity of being heard.”.

14. Section 54 of the Principal Act shall be deleted.

Deletion of Section 54.

15. In Section 56 of the Principal Act, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

Amendment of Section 56.

“Provided that the said agreement may contain such conditions and executed in such manner as may be prescribed.”.

16. After Section 56 of the Principal Act the following sections shall be inserted, namely :—

Insertion of Section 56-A and 56-B.

“56-A. Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) or any other law for the time being in force, no instrument executed between any owner of the land and the Town and Country Development Authority for giving effect to the agreement mentioned in Section 56 shall be liable to pay any fee under that Act.”.

No fees for registration on instrument of agreement.

56-B. Notwithstanding anything contained in the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), no instrument executed between any owner of land and the Town and Country Development Authority for giving effect to the agreement mentioned in Section 56 shall be chargeable with duty under that Act.”.

No stamp duty on instrument of agreement.

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6320-78-इकीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अप्रैल 2017 को
राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७

विषय-सूची.

धाराएँ :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा १६ का संशोधन.
५. धारा २३-क का संशोधन.
६. धारा २३-ग और २३-घ का अंतःस्थापन.
७. धारा ३४ का लोप.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक १२ अप्रैल, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २० अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में, उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, सेमी-कोलन के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु रक्षा संकर्म अधिनियम, १९०३ (१९०३ का ३) के उपबंध के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित और अधिसूचित क्षेत्र में निवेश अनुज्ञाएं प्राप्त करने के लिए कमान अधिकारी से पूर्वीक अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित है;";

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) रेल अधिनियम, १९८९ (१९८९ का २४) के अधीन, रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों को,".

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(छ क) "विकास अधिकार प्रमाण-पत्र (डी आर सी)" से अभिप्रेत है, इसके धारक को स्थानांतरणीय विकास अधिकार प्रदान करने वाला और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ;

(छ ख) "विकास अधिकार प्रमाण-पत्र लेखा" से अभिप्रेत है, प्राधिकारी द्वारा संधारित एक सारणीकृत लेखा जिसमें उत्पादन क्षेत्र, कुल आवंटित क्षेत्र, किसी भी समय स्थानांतरित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को खरीदने वाले व्यक्ति और प्राप्त क्षेत्र की प्रविष्टियां हों;";

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(झ क) "उत्पादन क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी लोक परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जिसमें सम्मिलित हैं सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा संबंधित योजना क्षेत्र में लोक प्रसुविधाएं तथा सुविधाएं, आमोद-प्रमोद, परिवहन, गंदी बस्ती पुनर्वासन, लोक गृह निर्माण तथा कोई अन्य विशेष उपयोग, जो ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए अधिसूचित किया जाएगा;";

(तीन) खण्ड (ण ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ण ण क) "प्राप्ति क्षेत्र" से अभिप्रेत है, संचालक द्वारा अधिसूचित ऐसा क्षेत्र जहां कोई व्यक्ति आधार फर्श क्षेत्र अनुपात की अपेक्षा अधिक फर्श क्षेत्र निर्माण हेतु अर्जित अधिकार का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात है;";

(चार) खण्ड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(फ क) “विकास अधिकारों का अंतरण (टी डी आर)” से अभिप्रेत है, भूमि के स्वामी द्वारा अध्यर्थित अथवा त्यजित क्षेत्र के बदले अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की निश्चित मात्रा उपलब्ध कराना, ताकि वह अधिक निर्मित-क्षेत्र का या तो स्वयं उपयोग कर सके अथवा उसे अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता वाले किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर सके;”;

४. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, धारा १६ का संशोधन.

“(५) धारा २९ की उपधारा (३), धारा ३१, धारा ३२ तथा धारा ३३ के अधीन क्रमशः उपांतरण, अपील, पुनरीक्षण तथा अनुज्ञा के व्यपगत होने के उपबंध, जो कि धारा ३० के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने या उससे इंकार करने वाले किसी आदेश को लागू होते हों, उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”.

५. मूल अधिनियम की धारा २३-क में,—

धारा २३-क का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द “नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “अथवा संचालक” अन्तःस्थापित किए जाएं ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द “किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम के दिए गए किसी ऐसे आवेदन पर” के स्थान पर, शब्द “किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम द्वारा संचालक को किए गए किसी ऐसे आवेदन पर” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) प्रथम स्थान पर आए शब्द “राज्य सरकार” के स्थान पर, शब्द “संचालक” स्थापित किया जाए;

(ख) शब्द “और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार, योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जिस प्रकार कि वह समुचित समझे” के स्थान पर, शब्द “और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संचालक, प्रस्तावित उपांतरण से संबंधित समस्त दस्तावेज अपने मत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और, राज्य सरकार योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जैसी कि वह समुचित समझे” स्थापित किए जाएं.

६. मूल अधिनियम की धारा २३-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा २३-ग और २३-घ का अंतःस्थापन.

“२३-ग. जहां कोई भूमि उत्पादन क्षेत्र का भाग है, वहां सरकार या उसका उपक्रम जो कि किसी लोक परियोजना का क्रियान्वयन अभिकरण है, भूमि स्वामी को विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा.

विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के रूप में अतिरिक्त निर्माण योग्य फर्श स्थान.

२३-घ. जहां कोई भूमि, शासन द्वारा अधिसूचित किसी परियोजना प्रभावित क्षेत्र का भाग है, वहां अधिकतम अनुज्ञेय अतिरिक्त निर्माणयोग्य क्षेत्र का प्रथम पचास प्रतिशत केवल परियोजना प्राधिकरण से क्रय किया जा सकता है और शेष अतिरिक्त निर्माणयोग्य क्षेत्र, विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के माध्यम से क्रय किया जा सकेगा.”.

परियोजना क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण योग्य फर्श स्थान.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ का लोप किया जाए.

धारा ३४ का लोप.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6320-78-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 1.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 16.
5. Amendment of Section 23-A.
6. Insertion of Section 23-C and Section 23-D.
7. Deletion of Section 34.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 12th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 1.

2. In Section 1 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (4),—

(i) in clause (b), for semi colon, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that prior no objection certificate from Commanding Officer is required for obtaining planning permissions in the area declared and notified as restricted area under the provision of the Work of Defence Act, 1903 (No.3 of 1903);";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) land under the control of railway administration under the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989).”.

3. In Section 2 of the principal Act,—

Amendment of Section 2.

(i) after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(ga) “Development Rights Certificate (DRC)” means a certificate granting transferable development rights to its holder and issued by an authority authorised for this purpose by the State Government;

(gb) “DRC Account” means a tabulated account maintained by the authority, having entries of generating area, total allotted area, transferred area at any point of time, the person purchasing such area and the receiving area;”;

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ia) “generating area” means the area proposed for a public project, including public amenities and facilities, recreation, transportation, slum rehabilitation, public housing and any other special use by the Government and its undertakings in the respective planning area, which shall be notified in such form as may be prescribed;”;

(iii) after clause (oo), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ooa) “receiving area” means an area notified by the Director where any person is permitted to use an acquired right to build more floor area than base floor area ratio;”;

(iv) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely :—

“(va) “transfer of the development rights (TDR)” means making available certain amount of additional built-up area in lieu of the area relinquished or surrendered by the owner of the land, so that he can use extra built-up area either himself or transfer it to another in need of the extra built-up area;”;

4. In Section 16 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 16.

(5) The provision of modification, appeal, revision and lapse of permission under sub-section (3) of Section 29, Section 31, Section 32 and Section 33 respectively, which are applicable to an order granting or refusing permission under section 30 shall mutatis mutandis apply to an order made under sub-section (1).”.

5. In Section 23-A of the principal Act,—

Amendment of Section 23-A.

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), after the words “Town and Country Development Authority”, the words “or the Director” shall be inserted;

(b) in clause (b), for the words “on an application from any person or an association of persons”, the words “on an application from any person or an association of persons made to the Director” shall be substituted;

- (ii) in sub-section (2),—
- for the words “the State Government”, occurring at the first place, the words “the Director” shall be substituted;
 - for the words “and shall after giving reasonable opportunity to all persons affected thereby of being heard, the State Government may modify the plan as it deems appropriate”, the words “and shall after giving reasonable opportunity to all persons affected thereby of being heard, the Director shall submit all the documents related to the proposed modification along with his opinion to the State Government and, the State Government may modify the plan as it deems appropriate”, shall be substituted.

**Insertion of
Section 23-C and
Section 23-D.**

6. After Section 23-B of the principal Act, the following Sections shall be inserted, namely :—

**Additiona
l buildable
floor
space in the
form of DRC.**

“23-C. Where any land is part of generating area, the Government or its undertaking which is the implementing agency of a public project may apply to the authority for issue of Development Right Certificates to the owner of the land.

**Additiona
l buildable
floor
space in the
project area.**

23-D. Where any land is part of any project influence area notified by the Government, first fifty percent of maximum permissible additional buildable area can only be purchased from the project authority and remaining additional buildable area may be purchased through DRCs.”.

**Deletion of
Section 34.**

7. Section 34 of the principal Act shall be deleted.

9	राजपत्र दिनांक 29.9.95	धारा 13 (3)	निवेश क्षेत्र के संबंध में अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु संचालक सक्षम है	अंतःस्थापित
10	अधिसूचना क्रमांक 7387-21-अ (प्र) दिनांक 17. 4.96 (राजपत्र दिनांक 17.4.96)	धारा 2 के खण्ड (ट) के उपखण्ड (दो) (तीन) धारा 14 खण्ड (ग) धारा 17 में आरंभिक भाग में धारा 17 —क धारा 18 धारा 20 धारा 23 धारा 33 धारा 40 प्रथम परन्तुक धारा 44 उपधारा (2) धारा 54 धारा 65	स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत नगर पंचायत ग्राम पंचायत उपखण्ड परिक्षेत्रिक योजना बाबत जिला योजना समिति अधिनियम के अंतर्गत पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना के प्रारूप पर विकास योजना में विचार करना विकास योजना समिति का गठन प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन परिक्षेत्रिक योजनाओं का तैयार किया जाना विकास योजना परिक्षेत्रिक योजना का पुनर्विलोकन तथा उपांतरण एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष, तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष एक या अधिक उपाध्यक्ष का प्रावधान अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य व्यवस्था स्कीम का व्यपगत होना प्राधिकारी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति	प्रतिस्थापित लोप किया गया प्रतिस्थापित अंतःस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित
11	अधिसूचना क्रमांक 10.4.76 21 अ (प्रा) दिनांक 1.9.99 राजपत्र दिनांक 1.9.99	धारा 2 (भ) धारा 17—क (1)का खण्ड (झ) धारा 25 (1) का प्रथम परन्तुक धारा 27 (2) का परन्तुक धारा 40 खण्ड (ग) (छ) धारा 40 खण्ड (ग) का उपखण्ड (चार) (पांच) और खण्ड (ज) धारा 65 खण्ड (ग)	जिला योजना समिति विकास योजना समिति भूमि उपयोग अनुज्ञा विकास कार्य विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप प्राधिकारी का गठन प्राधिकारी का गठन वि.क्षे.वि.प्रा. का गठन	अंतःस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित संशोधित अंतःस्थापित प्रतिस्थापित

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 फरवरी 2020—माघ 28, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 20120

क्र. 3159-40-इकीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 फरवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१९

विषय-सूची.

धाराएँ :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा १७ का संशोधन.
४. धारा ३८ का संशोधन.
५. धारा ४९ का स्थापन.
६. धारा ५० का स्थापन.
७. धारा ५०-क का अन्तःस्थापन.
८. धारा ५६ का संशोधन.
९. धारा ५९ का स्थापन.
१०. धारा ६० का संशोधन.
११. धारा ७८ का संशोधन.
१२. धारा ८५ का संशोधन.
१३. धारा ८७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक १३ फरवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १७ फरवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,— धारा २ का संशोधन।

(एक) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ड क) "प्रतिकर" से अभिप्रेत है, मूल भूखण्ड के कुल मूल्य को समतुल्य करने के लिए नगर विकास स्कीम में उपलब्ध कराया गया पुनर्गठित अंतिम भू-खण्ड;

(ड ख) "अभिदाय" से अभिप्रेत है, धारा ५० की उपधारा (४) के खण्ड (च) के अनुसार नगर विकास स्कीम में अथोसंरचना के प्रदाय द्वारा मूल्य में वृद्धि के कारण भू-स्वामी से उदग्रहीत किये जाने वाले अंतिम भू-खण्ड के मूल्य में वृद्धि का भाग;";

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(झ-१) "अन्तिम भूखण्ड" से अभिप्रेत है, किसी नगर विकास स्कीम में अन्तिम भूखण्ड के रूप में पुनर्गठित कोई भूखण्ड;";

(तीन) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ड-१) "मूल भूखण्ड" से अभिप्रेत है, एकल या संयुक्त स्वामित्व द्वारा धारित भूमि का कोई भाग तथा नगर विकास स्कीम में एक भूखण्ड के रूप में क्रमांकित तथा दर्शित हो;".

३. मूल अधिनियम की धारा १७ में, खण्ड (ज) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, सेमी कोलन स्थापित किया जाए धारा १७ का और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :— संशोधन।

"(ट) इन नगर विकास स्कीमों को योजना अवधि में या चरणों में तैयार करने तथा क्रियान्वित करने के लिए नगर विकास स्कीम की सीमाओं की अनन्तिम रूपरेखा विकास योजना में दर्शित करना.". धारा ३८ का

४. मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :— संशोधन।

"(रक) राज्य सरकार, किसी योजना क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के लिए नगर के विकास प्राधिकरण को अपवर्जित करते हुए शासकीय अभिकरण या सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी अथवा नगरीय स्थानीय निकाय को भी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के रूप में पदाधिकारित कर सकेगी तथा नगर विकास स्कीम तैयार करने तथा क्रियान्वयन करने के लिए ऐसे विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित कर सकेगी:

परन्तु धारा ३९ से ४८ के उपबंध ऐसे अभिकरणों को लागू नहीं होंगे".

धारा ४९ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“४९. नगर विकास स्कीम।—(१) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर और विकास योजना के प्रस्तावों के अनुरूप, एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करेगा तथा क्रियान्वित करेगा। नगर विकास स्कीम—

- (क) कोई क्षेत्र जो विकास योजना में भावी विकास के लिए प्रस्तावित है; या
- (ख) कोई क्षेत्र जो कि विकास की प्रक्रिया में है; या
- (ग) पहले से ही विकसित किसी क्षेत्र का पुनर्विकास ; या
- (घ) कोई क्षेत्र जिसे अधिनियम के निरसित उपबंधों के अधीन नगर विकास स्कीम के रूप में अधिसूचित किया गया है किन्तु या तो विकास प्रारंभ ही नहीं हुआ है या प्रगति पर है, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, के लिये तैयार की जा सकेगी।

(२) किसी नगर विकास स्कीम में निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा:

- (क) नगर विस्तार के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन, विकास, विक्रय, पट्टे पर दिया जाना या पुनर्गठन;
- (ख) भवनों, मार्गों, नालियों, मल वहन लाईनों तथा अन्य वैसी ही सुख सुविधाओं के प्रयोजन के लिये भूखण्डों का पुनर्गठन;
- (ग) ऐसे भवन निर्माण अथवा निर्माण कार्य हाथ में लेना जैसे आवासीय, खरीदारी (शॉपिंग), वाणिज्यिक या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो;
- (घ) इसी प्रकार का कोई अन्य कार्य जो कि पर्यावरण में सुधार लाएगा जिसको नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी रखा जा सकेगा।

(३) किसी नगर विकास स्कीम में निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) भूमि का अभिन्यास या पुनःअभिन्यास, चाहे वह खाली हो या फिर पूर्व निर्मित हो;
- (ख) नवीन सड़कों या मार्गों का अभिन्यास, सड़कों तथा मार्गों का निर्माण, पथांतर, विस्तार, परिवर्तन, सुधार तथा बन्द करना तथा संचार व्यवस्था को रोकना;
- (ग) भवनों, पुलों तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण, परिवर्तन तथा हटाना;
- (घ) मार्गों, खुले स्थानों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए तथा समस्त प्रकार के सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सुविधाओं के लिए भूमि का आबंटन या आरक्षण;
- (ङ) समस्त परिवहन प्रणालियों, विशिष्टतया पैदल यात्रियों तथा गैर-मोटर सज्जित वाहनों के सुरक्षित संचालन हेतु सुविधाएं;
- (च) भौतिक अधोसंरचना तथा नगरपालिका सेवाओं हेतु सुविधाएं, जिसमें जलप्रदाय, अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियों, वर्षा जल की निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा पथ-प्रकाश व्यवस्था सम्मिलित हैं;

- (छ) प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण;
- (ज) निम्न तथा अनौपचारिक आय समूहों के लिए अफोडेंबल गृह निर्माण हेतु भूमि का आबंटन;
- (झ) इस संबंध में प्रचलित विधियों तथा नीतियों के अनुरूप गन्दी बस्ती सुधार, यथावत् पुनर्विकास अथवा पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास;
- (ञ) पारिस्थितिक संधारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु उपबंध;
- (ट) नगर विकास स्कीम को तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं उसमें अधोसंरचना प्रदान करने संबंधी लागत की वसूली के लिए विक्रय हेतु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण को भूमि का आरक्षण तथा आबंटन; और
- (ठ) कोई अन्य अवशिष्ट अधोसंरचना या कार्य;
- (ड) कोई अधोसंरचना या विकास कार्य जो कि भविष्य में ऐसी स्कीम लिए आवश्यक हो सकते हैं;
- (ढ) (एक) प्राधिकरण भूमि स्वामी को अंतिम भूखण्ड के रूप में मूल भूखण्ड का यथासंभव ५० प्रतिशत की सीमा तक वापस करेगा। यथासंभव स्कीम में भूमि का विवरण निम्नानुसार होगा:—

एक. मार्गों के लिए बीस प्रतिशत,

दो. उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों के लिए पांच प्रतिशत,

तीन. प्रारूप नगर विकास स्कीम में निर्धारित किये गये अनुसार सामाजिक अधोसंरचना जैसे कि शालाओं, औषधालयों (डिस्पेंसरी), अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक उपयोग स्थलों हेतु पांच प्रतिशत, और

चार. विकास की प्रकृति पर आधारित आवासीय, वाणिज्यिक, निम्न तथा अनौपचारिक आय आवासीय या औद्योगिक उपयोग के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा विक्रय हेतु बीस प्रतिशत:

परन्तु पैरा एक से चार में विनिर्दिष्ट भूमि के आबंटन का प्रतिशत, विकास की प्रकृति के आधार पर तथा कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, विकास प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा;

- (दो) उप-खण्ड (एक) के पैरा चार में निर्दिष्ट भूमि के विक्रय से प्राप्त आगम का उपयोग अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिये किया जाएगा;
- (तीन) उप-खण्ड (एक) के पैरा दो तथा तीन में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आबंटित भूमि लोक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए स्कीमों के फेरफार द्वारा परिवर्तित नहीं की जाएगी;
- (ण) दक्ष, वासयोग्य तथा सौंदर्यपरक, सुव्यस्थित नगरीय क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने हेतु नगर विकास स्कीम जिसमें नगरीय रूपांकन दिशानिर्देश सम्मिलित हैं, के अन्तर्गत समस्त निर्माण द्वारा विकास नियंत्रण विनियमों का अनुसरण किया जाना है, परन्तु वे विकास योजना के प्रस्तावों तथा आशय से सुसंगत हों।”.

धारा ५० का स्थापन

६. मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“५०. नगर विकास स्कीम का तैयार किया जाना।—

(१) (क) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, संचालक को, नगर विकास स्कीम तैयार करने तथा कार्यान्वयन करने के लिए चरणबद्ध योजना का अनुसरण करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसको एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। संचालक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिवस के भीतर, विकास प्राधिकारी, प्रस्ताव की सार्वजनिक अधिसूचना राजपत्र तथा प्रमुख हिन्दी समाचार-पत्रों में जारी करेगा। इस अधिसूचना द्वारा संचालक, स्कीम क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन अथवा निपटान किये जाने पर अगली अधिसूचना जारी होने तक, समस्त विकास गतिविधियों को प्रतिषिद्ध करेगा।

(ख) अधिनियम के निरसित उपबंधों के अधीन नगर विकास स्कीम अधिसूचित की गई है, किन्तु विकास कार्य या तो प्रारंभ नहीं किया गया है या किन्हीं कारणों से हाथ में नहीं लिया गया है, तो वह व्यपगत हो जाएगी। तथापि, जहां अधोसंरचना विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था और अधिनियम में संशोधन की तारीख को गणना करने पर १० प्रतिशत तक व्यय उपगत किया गया है और भूमि स्वामी द्वारा स्कीम पर उपगत किए गए व्यय का विकास प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति कर दी गई है तो जैसा कि विहित किया जाए योजना व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु छह महीने से अनधिक समय में, विकास प्राधिकरण नवीन विकास योजना तैयार कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे समय तक संचालक, योजना क्षेत्र के सभी विकास कार्यों को प्रतिषिधि करेंगे, जिससे कि स्कीम की व्यवहार्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े:

परन्तु यह और कि नगर विकास स्कीम जहां अधोसंरचना विकास कार्य, संशोधन की तारीख को गणना किए गए अनुसार प्रावधानित लागत पर १० प्रतिशत से अधिक व्यय होकर प्रगति पर है, स्कीम अधिनियम के उपबंधों में प्रकाशित किए अनुसार जारी रहेगी।

(ग) संचालक, प्रस्ताव का परीक्षण करेगा तथा संबंधित विकास प्राधिकारी अधिकारियों के साथ परामर्श करेगा तथा प्रस्ताव प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्कीम, अपने मत के साथ या अन्यथा, विकास योजना के प्रस्तावों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(घ) प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, राज्य सरकार या तो प्रस्ताव का उसी रूप में अनुमोदन कर सकेगी या उसे उपान्तरणों के साथ अनुमोदित कर सकेगी या विकास प्राधिकारी को सुनवाई का सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों सहित, प्रस्ताव को निरसित कर सकेगी:

परन्तु यदि आवश्यक पाया जाए, तो राज्य सरकार, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि में तीन माह की अतिरिक्त वृद्धि कर सकेगी।

(२) राज्य सरकार के प्राप्त प्रत्युत्तर के अनुसार, विकास प्राधिकारी एक माह के भीतर, राजपत्र में तथा न्यूनतम दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में, यथास्थिति नगर विकास स्कीम तैयार करने संबंधी उसके आशय या उसके प्रस्ताव को वापस लेने के बारे में एक अधिसूचना जारी करेगा।

(३) उप-धारा (२) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से छह माह के अपश्चात् नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, एक नगर विकास स्कीम प्रारूप, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, ऐसी सूचना के साथ तैयार करेगा, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति से ऐसी

तारीख के पूर्व जैसी कि उसमें विहित की जाए तथा जो कि ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पूर्व की नहीं होगी, उक्त प्रारूप विकास स्कीम के संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव आरंत्रित किए जाएंगे:

परन्तु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त आवेदन किए जाने पर राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, उपरोक्त अवधि में, ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, वृद्धि कर सकेगी तथा इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि या अवधियों में किसी भी दशा में समग्ररूप से तीन माह से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी।

(४) नगर विकास स्कीम प्रारूप में निम्न विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—

- (क) प्रत्येक मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल, स्वामित्व तथा भू-धृति;
- (ख) धारा ४९ की उप-धारा (३) के खण्ड (घ) के अधीन आबंटित या आरक्षित की गई भूमि की विशिष्टियां तथा धारा ४९ की उपधारा (३) के अधीन स्कीम के समस्त अन्य ब्लौरों के पूर्ण विवरण, जो भी लागू हों:

परन्तु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित किए गए क्षेत्रों को, अभिदाय की गणना के लिए स्कीम के क्षेत्र के भीतर, स्कीम या नगर स्तर से लगे अन्य क्षेत्रों के, जैसे कि विहित किए जाएं, रहवासियों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किए जाएंगे;

- (ग) मूल भूखण्डों के बंदले में स्वामियों को आबंटित अन्तिम भूखण्डों के ब्लौरे;
- (घ) मूल तथा अन्तिम पुनर्गठित भूखण्डों के मूल्य का प्रावक्कलन;
- (ङ) भूखण्ड के पुनर्गठन तथा सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु प्रभागों के आरक्षण के कारण स्कीम के हितग्राहियों को प्रतिकर अथवा उनसे अभिदाय का प्रभाजन तथा उसका प्रावक्कलन;
- (च) प्रत्येक पुनर्गठित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि का मूल्यांकन तथा भूखण्ड धारक पर उद्गृहीत किए जाने वाले विकास अभिदाय का निर्धारण:

परन्तु अभिदाय, मूल्य वृद्धि के आधे से अधिक नहीं होगा;

- (छ) किसी पुनर्गठित भूखण्ड के मूल्य में कमी का मूल्यांकन तथा उसके लिए देय प्रतिकर का निर्धारण ;
- (ज) समुचित प्राधिकारी द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम की शुद्ध लागत का प्रावक्कलन ; तथा
- (झ) विहित की गई कोई अन्य विशिष्टियां.

(५) नगर विकास स्कीम की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे:—

- (क) अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा देय समस्त राशियां जिन्हें विशिष्ट तौर पर स्कीम की लागतों से पृथक् नहीं किया गया हो।
- (ख) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा स्कीम को बनाने में तथा निष्पादन करने में व्यय की गई या व्यय किये जाने हेतु प्रावक्कलित समस्त राशियां;

- (ग) किसी सार्वजनिक प्रयोजन या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई भूमि के लिए या नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए, जो भूमि के स्वामियों या स्कीम क्षेत्र के भीतर रहवासियों के लिये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लाभकारी है, प्रतिकर के रूप में देय समस्त राशियाँ;
- (घ) स्कीम को तैयार करने में तथा निष्पादन में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा उपगत किए गए समस्त विधिक व्यय ;
- (ङ) अन्य आनुषंगिक व्यय जैसे वैधानिक डिक्री, कानून में परिवर्तन और अपरिहार्य घटना की, स्कीम में सम्मिलित भूमि स्वामियों से वसूले जाएंगे;
- (च) यदि आवश्यक हो, तो स्कीमें तथा उससे आनुषंगिक प्रयोजन हेतु स्कीम के क्षेत्र से लगे क्षेत्र में उपबंधित अधोसंरचना की लागत राशि का बीस प्रतिशत;
- (छ) स्कीम की लागतों की पूर्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अन्तिम योजना में सम्मिलित किए गए प्रत्येक भूखण्ड पर वृद्धि के अनुपात में गणना किए गए अनुसार उद्गृहीत किए जाने वाले अभिदाय द्वारा की जाएगी :

परन्तु—

- (एक) (क) जहां स्कीम की लागत, वृद्धि की आधी से अधिक न हो, वहां लागत की पूर्ति पूर्ण रूप से अभिदाय द्वारा की जाएगी ;
- (ख) जहां यह लागत, वृद्धि की आधी राशि से अधिक हो वहां आधी वृद्धि की पूर्ति अभिदाय द्वारा तथा आधिक्य का वहन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा;
- (दो) किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के प्रयोजन हेतु उपयोग किए गए, आबंटित अथवा आरक्षित कोई भू खण्ड, जो स्कीम क्षेत्र के भीतर केवल भूमि के स्वामियों अथवा रहवासियों के लिये लाभकारी हो, पर ऐसा किसी प्रकार का अभिदाय उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ; और
- (तीन) किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के प्रयोजन हेतु उपयोग किये गए आबंटित अथवा आरक्षित कोई भू खण्ड, जो आंशिक रूप से स्कीम क्षेत्र के भीतर भूमि के स्वामियों अथवा रहवासियों के लिये अथवा आंशिक रूप से जनसाधारण के लिये लाभकारी हो, पर उद्गृहीत अभिदाय की गणना ऐसे उपयोग, आबंटन अथवा आरक्षण से जनसाधारण को होने वाले अनुमानित लाभ के अनुपात में की जाएगी.

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु वृद्धि को वह राशि माना जाएगा जिनके अनुसार स्कीम बनाने हेतु आशय की घोषणा की तारीख को अन्तिम स्कीम में सम्मिलित किये गये मूल भूखण्ड के बाजार मूल्य का प्राक्कलन इस पूर्वानुमान पर किया जाएगा कि स्कीम को पूर्ण किया जा चुका है, एक कारक (फेक्टर) के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाए, स्कीम में अनुध्यात सुधारों के संदर्भ के बिना भी उन्हीं भूखण्डों के बाजार मूल्य में भी प्राक्कलित वृद्धि उसी तारीख को होगी:

परन्तु ऐसे मूल्य का प्राक्कलन करते समय, भवनों या निर्मित अन्य कार्यों के या ऐसे भूखण्डों पर निर्माण के दौरान के मूल्य पर विचार नहीं किया जाएगा;

- (ज) स्कीम में सम्मिलित किये गये प्रत्येक भू खण्ड का स्वामी, प्राथमिक रूप से ऐसे भूखण्ड के संबंध में उद्ग्रहणीय अभिदाय के भुगतान हेतु दायी होगा.

(६) (क) यदि किसी मूल भू खण्ड के स्वामी को स्कीम में भू खण्ड प्रदाय नहीं किया जाता है या यदि उपधारा (४) के अधीन उससे उदगृहित किये जाने वाला अभिदाय, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन उससे कटौती की जाने वाली कुल राशि से कम हो, तो उसे होने वाली हानि की शुद्ध राशि का भुगतान नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा. किसी भी व्यक्ति को देय समस्त भुगतान, यथासंभवशीघ्र, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा संचालित ऐसे खाते में संबंधित भूखण्ड में जहां उसका हित सन्निहित हो, समायोजन द्वारा किया जाएगा तथा समायोजन करने में असफल होने पर उसे राशि का भुगतान नगद में या ऐसी रीति में, जैसा कि इस बारे में पक्षकारों द्वारा तय किया जाए, करना होगा.

(ख) इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन स्कीम में सम्मिलित किए गए भूखण्ड के स्वामी द्वारा देय शुद्ध राशि का भुगतान अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प के अनुसार एक मुश्त या अधिकतम छह वार्षिक किश्तों में किया जा सकेगा.

(ग) यदि भूखण्ड का स्वामी देय राशि का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प चयन करता हो तो देय शुद्ध राशि पर बसूली योग्य ब्याज की गणना समय-समय पर, यथासंशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) की धारा ४९ के अधीन प्रकाशित बैंक दर में दो प्रतिशत प्रति वर्ष दर जोड़कर की जाएगी।

(घ) यदि भूखण्ड का स्वामी इस निमित्त नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किये गये सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पूर्व अपना विकल्प प्रयोग करने में असफल रहता हो तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने अंशदान का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प प्रस्तुत किया है तथा अंशदान पर ब्याज की गणना सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से की जाएगी जिस हेतु उक्ता पूर्व तारीख से जब उसके द्वारा अपना विकल्प प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

(ङ) यदि भूखण्ड का स्वामी अपने अभिदाय का भुगतान एक मुश्त या किश्तों में करने में असफल रहता है या सूचना-पत्र जारी होने के पश्चात् उपस्थित नहीं होता है, तो उसे खण्ड (चार) के अन्तर्गत गणना किए गए अनुसार, सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व अदायगी के बारे में एक अन्तिम सूचना-पत्र जारी किया जाएगा. इस बारे में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा उसे सूचना-पत्र जारी होने के पश्चात् भी उपस्थित होने में असफल रहने पर, ऐसे अभिदाय की राशि का समायोजन इस प्रकार देय राशि हेतु भूमि में कटौती द्वारा किया जाएगा।

(७) (क) उप-धारा (३) तथा (४) में निर्दिष्ट प्रारूप स्कीम में, प्रत्येक भूखण्ड का आकार तथा माप निर्धारित किया जाएगा, जहां तक कि उसे भवन निर्माण के प्रयोजनों से उपयुक्त बनाया जा सके तथा जहां भूखण्ड पर पूर्व से निर्माण कार्य किया गया हो वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन, विकास के नियंत्रण को विनियमित करने हेतु बने नियमों के संबंध में यथासंभव स्कीम के उपबन्धों का अनुपालन करते हों।

(ख) खण्ड (क) के प्रयोजन हेतु प्रारूप स्कीम में निम्न प्रस्ताव समाविष्ट किए जा सकेंगे:

(एक) यदि आवश्यक हो, तो किसी मूल भूखण्ड का पुनर्गठन कर इसकी सीमाओं में परिवर्तन द्वारा अन्तिम भूखण्ड का गठन करना;

(दो) किसी मूल भूखण्ड से लगी हुई भूमियों के अन्तरण द्वारा अन्तिम भूखण्ड का गठन करना;

- (तीन) दो या दो से अधिक मूल भूखण्ड जो अनेक व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं या संयुक्त रूप से व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, के स्वामियों की परस्पर सहमति से, सीमाओं में परिवर्तन द्वारा या उसके बिना भी उपलब्ध करना जिससे अन्तिम भूखण्ड के रूप में स्वामित्व धारित किया जा सके ;
- (चार) स्कीम को अग्रसर करने में किसी भू खण्ड से बेकब्जा किए गए किसी भू-स्वामी को अन्तिम भूखण्ड का आबंटन करना ; तथा
- (पांच) किसी भूखण्ड के स्वामित्व को एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को अंतरित करना.
- (८) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा समस्त आपत्तियों तथा सुझावों जैसे कि उप-धारा (३) के अधीन सूचना-पत्र (नोटिस) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किये जाएं, पर विचार किया जाएगा तथा उसके द्वारा ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को, जो सुनवाई की बांछा करते हैं, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए या उप-धारा (९) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् यथा प्रकाशित प्रारूप स्कीम को अनुमोदित करेगा या उसमें ऐसे उपान्तरण करेगा जो कि वह उचित समझे.
- (९) उपधारा (७) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर जो कि उपधारा (३) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसे प्राप्त हों, विचार किए जाने के लिए एक समिति गठित करेगा जिसमें उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय का आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती जिसकी अधिकारिता के भीतर नगर विकास स्कीम अवस्थित है और उस जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती जिसकी अधिकारिता में योजना पूर्णतः या अंशतः आती हो, समाविष्ट होंगे।
- (१०) उप-धारा (९) के अधीन गठित समिति, आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करेगी और ऐसे व्यक्तियों की जो सुनवाई के इच्छुक हों, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी को, उप-धारा (४) के अधीन उपबंधों पर विचार करते हुए नगर विकास स्कीम प्रारूप की विषय सूची में परिवर्तनों के लिये अनुशंसाओं के साथ आपत्तियों तथा सुझावों को इंगित करते हुए तथा स्कीम में किसी सुधार के प्रभाव के लिये, जैसा कि समिति अनुशंसा हेतु उचित समझे, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी:
- परन्तु ऐसी प्रारूप स्कीम का अंतिम प्रकाशन, उसमें प्रस्तावित किये गये अभिन्यास का अनुमोदन संचालक द्वारा कर दिए जाने के पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा. ऐसा अंतिम प्रकाशन, उपधारा (३) के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से छह मास से अनधिक के भीतर अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर प्रारूप स्कीम व्यपगत हो गई समझी जाएगी :
- परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति जो नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किये गये अन्तिम भूखण्ड पर कोई विकास कार्य या निर्माण कार्य निष्पादन का आशय रखता हो, ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करेगा जैसी की विहित की जाए.
- (११) उप-धारा (१०) के अधीन नगर विकास स्कीम उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना, अनुमोदित हो जाने के अव्यवहित पश्चात् नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी राजपत्र में तथा ऐसी

अन्य रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अन्तिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित करेगा तथा वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको कि वह (स्कीम) प्रवर्तित होगी।

(१२) (क) जहां नगर विकास स्कीम प्रवर्तन में आयी है, वहां निम्नलिखित खण्डों:

(एक) नई गलियों अथवा सड़कों का अभिन्यास, निर्माण, व्यपर्वतन, विस्तार, परिवर्तन, सुधार तथा गलियों तथा सड़कों का समापन एवं संसूचनाओं के विच्छेदन इत्यादि ;

(दो) जल निकास, जलमल व्यवस्था सहित सतही या अधोभूमि जल निकास तथा मल वहन ;

(तीन) विद्युत् व्यवस्था ;

(चार) पेयजल आपूर्ति ;

में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त भूमियों, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में पूर्णतः निहित हो जाएंगी।

(ख) खण्ड (क) में की कोई भी बात समुचित प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के स्वामी के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।”।

७. मूल अधिनियम की धारा ५० के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ५०-क का
अन्तःस्थापन.

“धारा ५०-क. विवादित स्वामित्व. (१) जहां किसी क्षेत्र में सम्मिलित की गई भूमि जिसके बारे में योजना बनाने के लिये आशय की घोषणा की जा चुकी हो, के किसी टुकड़े के स्वामित्व हेतु विवादित दावा हो तथा ऐसे विवादित दावे के संबंध में अधिकारों अथवा नामांतरण के अभिलेख में की गई प्रविष्टि गलत या अनिश्चायक या अनिणियक हो, वहां ऐसा पाये जाने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय पूर्व तारीख से जिसके अनुसार संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धारा ५० की उपधारा (१०) के अधीन स्कीम को अनुमोदित करता हो, वहां इस प्रकार का दावा अन्तिम भूखण्ड पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा, जब तक कि इस बारे में सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चय न किया जाए।

(२) सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित किए जाने की दशा में, जो उससे असंगत हो, ऐसी डिक्री से प्रभावित व्यक्ति द्वारा, ऐसी डिक्री को समुचित प्राधिकारी की जानकारी में लाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसी डिक्री के अनुसार त्रुटि में सुधार, उपांतरण अथवा विखण्डन किया जाएगा।”।

८. धारा ५६ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ५६ का
संशोधन.

“(२) धारा ४९ के उपबन्धों के अनुसार नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी हेतु आरक्षित तथा आवंटित भूमियों को, जिन्हें धारा ५० की उप-धारा (११) के अधीन प्राधिकारी में निहित किया गया है, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। धारा ५० की उप-धारा (७) के अधीन भूखण्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया के माध्यम से, धारा ५० की उप-धारा (४) के उपबन्धों के अधीन क्षतिपूर्ति तथा अंशदान की सहवर्ती गणना के साथ किया गया यह अंतरण भूमि अर्जन के संबंध में किसी विधान के उपबन्धों के अध्यधीन नहीं होगा:

परन्तु अन्तिम स्कीम की घोषणा के पश्चात् नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी अविलम्ब अन्तिम स्कीम की एक प्रति सर्वेक्षण अभिलेखों में सुधार किये जाने के प्रयोजन से क्षेत्र के जिला कलक्टर को अग्रेषित करेगा।”.

धारा ५९ का स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“५९ विकास प्रभार.—(१) जहां किसी नगर विकास स्कीम के परिणामस्वरूप नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के अधिमत में किसी स्कीम की पार्श्वस्थ तथा उससे प्रभावित भूमियों के बाजार मूल्य में कोई अधिमूल्य हुआ हो वहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी ऐसी भूमि के अर्जन के लिये उपबन्ध करने के बदले या नगर विकास योजना की विरचना करते हुए ऐसी भूमि के स्वामियों पर विकास प्रभार उदगृहीत कर सकेगा :

परन्तु ऐसा उदग्रहण उन भूमियों पर भी प्रभारित किया जा सकेगा जो नगर विकास स्कीम के भीतर आती है और जो संचालक की पूर्व अनुज्ञा से विकास के क्रम में है।

(२) विकास प्रभार वह राशि होगी जो धारा ५० की उपधारा (२) के अधीन नगर विकास स्कीम तैयार करने के आशय के प्रकाशन की तारीख को भूमि के मूल्य तथा विकास प्रभार उदगृहीत करने की तारीख को भूमि के मूल्य के अन्तर के एक-तिहाई के बराबर हो।”.

धारा ६० का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ६० की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१) विकास स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी सूचना द्वारा जो कि ऐसे प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति में प्रकाशित की गई हो, जैसी कि विहित की जाए, स्कीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र में या नगर विकास स्कीम के क्षेत्र के भीतर विकास प्रभार उदगृहीत करने के अपने आशय की घोषणा करेगा। भूमि के ऐसे स्वामियों से, जो विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिये दायी हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होगी, तथा ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, आपत्ति यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।”.

धारा ७८ का संशोधन.

११. धारा ७८ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

(२) किसी सिविल न्यायालय को किसी नगर विकास स्कीम, जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विकास प्राधिकारी सशक्त है, से संबंधित किसी विवाद को स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होगी।”.

धारा ८५ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ८५ में उपधारा (२) में, खण्ड (तेरह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तेरह) (क) धारा ५०(१) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की रीति;

(ख) धारा ५०(२) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की रीति;

- (ग) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा ५०(३) के अधीन नगर विकास स्कीम प्रारूप, के रूप में प्रकाशित की जाएगी;
- (घ) प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा (५०) (४) के अधीन नगर विकास स्कीम की विषय सूची प्रारूप के रूप में प्रकाशित की जाएगी;
- (ङ) वह रीति जिसमें धारा ५०(१०) के अधीन नगर विकास स्कीम के किसी अंतिम भूखण्ड पर अनुज्ञा जारी की जाएगी;
- (च) वह रीति जिसमें धारा ५०(११) के अधीन अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित की जाएगी;”.

१३. मूल अधिनियम की धारा ८७ में उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, धारा ८७ का संशोधन।

अर्थात्:—

“(३) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१९ की धारा ४९ तथा ५० के स्थापन के होते हुए भी, धारा ५० के निरसित उपबंधों के अधीन स्कीम के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भौतिक विकास के लिये की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।”

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2020

क्र. 3159-40-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT
No. 15 OF 2020

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 17.
4. Amendment of Section 38.
5. Substitution of Section 49.
6. Substitution of Section 50.
7. Insertion of Section 50-A.
8. Amendment of Section 56.
9. Substitution of Section 59.
10. Amendment of Section 60.
11. Amendment of Section 78.
12. Amendment of Section 85.
13. Amendment of Section 87.

MADHYA PRADESH ACT
No. 15 OF 2020

**THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH
(SANSHODHAN) ADHINIYAM 2019**

[Received the assent of the Governor on the 13th February, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th February, 2020.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act),-

(i) after clause(e), the following clauses shall be inserted namely :—

“(ea) “compensation” means the reconstituted final plot provided in the town development scheme to equalise the total value of original plot;

“(eb) “contribution” means the share of increment in value of the final plot to be levied from the land owner due to increase in value by providing infrastructure in town development scheme as per clause (f) of sub-section (4) of Section 50 ;”;

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

“(i-1) “final plot” means a plot reconstituted in a town development scheme as a final plot;”;

(iii) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :—

“(m-1) “original plot” means a portion of land held in single or joint ownership and numbered and shown as one plot in a town development scheme;”.

Amendment of Section 17.

3. In Section 17 of the principal Act, in clause (j), for full stop, semi-colon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:—

“(k) indicate in development plan, tentative delineation of town development scheme boundaries for preparation and implementation of these town development schemes over the plan period or in phases.”.

Amendment of Section 38

4. In Section 38 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(2A) The State Government may also designate a government agency or a Government owned company or urban local body, as the Town and Country Development Authority, and may delegate specific duties and responsibilities such as the preparation and implementation of Town Development Schemes, to the exclusion of development authority of the town for such specific area within planning area:

Provided that the provisions of Sections 39 to 48 shall not be applicable to such agencies.

5. For Section 49 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of
Section 49.

“49. Town Development Scheme. — (1) The Town and Country Development Authority shall prepare and implement one or more town development schemes within its jurisdiction and in conformity with the proposals of the development plan. The town development scheme may be prepared for—

- (a) an area that is proposed for future development in the development plan; or
 - (b) an area that is in the process of development; or
 - (c) the redevelopment of an already developed area; or
 - (d) any area that has been notified under the repealed provisions of the Act, as town development scheme but development has either not started or in progress,
- in such manner as may be prescribed.

(2) A town development scheme may provide for any of the following purposes:

- (a) acquisition, development, sale, leasing or reconstitution of land for purpose of town expansion;
- (b) reconstitution of plots for the purpose of buildings, roads, drains, sewage lines and other similar amenities;
- (c) undertaking of such building or construction work as may be necessary to provide housing, shopping, commercial or other facilities;
- (d) any other work of a nature such as that would bring about environmental improvements which may be taken up by the Town and Country Development Authority with the prior approval of the State Government.

(3) A town development scheme may provide for any of the following matters, namely:—

- (a) the layout or re-layout of land, either vacant or already built upon;
- (b) layout of new streets or roads, construction, diversion, extension, alteration, improvement and closing up of streets and roads and discontinuance of communications;
- (c) the construction, alteration and removal of buildings, bridges and other structures;
- (d) the allotment or reservation of land for roads, open spaces, facilities for health and education and public purposes of all kinds;

- (e) facilities for all transportation modes, particularly, the safe movement of pedestrians and non-motorized vehicles;
- (f) facilities for physical infrastructure and municipal services including water supply, waste water management systems, storm water drainage, solid waste management and street lighting;
- (g) the conservation of natural and cultural heritage;
- (h) allocation of land for affordable housing for low and informal income groups;
- (i) slum improvement, in-situ redevelopment or relocation and rehabilitation in conformity with the prevailing laws and policies in this regard;
- (j) provisions to ensure ecologically sustainable development;
- (k) reservation and allocation of land to the Town and Country Development Authority for sale to recover the cost of preparing and implementing the town development scheme and providing the infrastructure therein;
- (l) any other residual infrastructure or work;
- (m) any infrastructure or development work which may be necessary for such scheme in future;
- (n)
 - (i) the authority shall return to the extent possible 50 percent of original plot as final plot to the land owner. As far as possible the distribution of land in the scheme shall be as below :—
 - I. twenty percent for roads,
 - II. five percent for parks, play-grounds and open space,
 - III. five percent for social infrastructure such as school, dispensary, fire brigade, public utility place as earmarked in the draft town development scheme, and
 - IV. twenty percent for sale by appropriate authority for residential, commercial, low and informal income housing or industrial use depending upon the nature of development:

Provided that the percentage of the allotment of land specified in paragraphs I to IV may be altered by the development authority depending upon the nature of development and for the reasons to be recorded in writing;
- (ii) the proceeds from the sale of land referred to in paragraph IV of sub-clause (i) shall be used for the purpose of providing infrastructural facilities;
- (iii) the land allotted for the purpose referred to in paragraphs II and III of sub-clause (i) shall not be changed by variation of schemes for the purpose other than public purpose;
- (o) development control regulations to be followed by all construction within the town development scheme including urban design guidelines to ensure the development of efficient, livable and aesthetically harmonious urban areas, provided that they are in conformity with the proposals and intent of the development plan.”.

6. For Section 50 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of
Section 50.

“50. Preparation of town development schemes.-(1) (a) The Town and Country Development Authority shall submit a proposal for the preparation and implementation of a town development scheme with phasing plan to be followed, to the Director with a copy to the State Government. Within fifteen days of submission of the proposal to Director, the Development Authority shall issue a public notification of the proposal in the Gazette and in prominent Hindi newspapers. By this notification the Director shall prohibit all development in the scheme area till further notification upon the approval or disposal of the proposal by the State Government.

(b) Town development scheme notified under the repealed provisions of the Act, but development has either not started or not been taken up for any reasons, shall lapse. However, where infrastructural development work was initiated and an expenditure upto 10 percent has been incurred as calculated on date of amendment in the Act, and land owners reimburse expenditure incurred on the scheme, to the development authority, the scheme shall lapse as may be prescribed:

Provided that, not later than six months, the town and development authority may draw a fresh scheme, as may be prescribed, till such time the Director shall prohibit all development in the scheme area, so as not to adversely affect the viability of the scheme:

Provided further that the town development scheme, where any infrastructural development work is in progress with more than 10 percent of expenditure on the estimated cost as calculated on the date of amendment, the scheme shall continue as published under the provision of the Act.

- (c) The Director shall examine the proposal and hold consultations with the concerned Development Authority officials and send the scheme along with his opinion or otherwise with development plan proposals to the State Government within one month of receipt of the proposal.
- (d) Within three months from the date of receipt of the proposal, the State Government may either approve the proposal as it is or may approve with modifications or may reject the proposal with reasons after giving due opportunity of hearing to the Development Authority:

Provided that the State Government may extend the above specified period for another three months, if found necessary.

- (2) As per the State Government's response, the Development authority shall issue a notification within one month in the Gazette and in minimum two prominent Hindi newspapers, declaring its intention to prepare the town development scheme or withdrawing its proposal, as the case may be.
- (3) Not later than six months from the date of publication of the declaration under sub-section (2), the Town and Country Development Authority shall prepare a draft town development scheme in such form and manner as may be prescribed, together with a notice inviting objections and suggestions from any person with respect to the said draft town development scheme before such date as may be specified therein, such date not being earlier than thirty days from the date of publication of such notice:

Provided that on an application by the Town and Country Development Authority in that behalf, the State Government may, from time to time, by notification, extend the aforesaid period by such period or periods as may be specified therein, so however that the period or periods so extended shall not in any case exceed three months in the aggregate.

(4) The draft town development scheme shall contain the following particulars, namely:

- (a) the area, ownership and tenure of each original plot;
- (b) the particulars of land allotted or reserved under clause (d) of sub-section (3) of Section 49 and full description of all other details of the scheme under sub-section (3) of Section 49 as may be applicable;

Provided that the areas reserved for public purpose shall be proportionately distributed among the residents within the area of the scheme, other areas adjacent to the scheme or town level as may be prescribed, for the calculation of contribution;

- (c) the details of final plots allocated to the owners in lieu of original plots;
- (d) estimation of the value of original and final reconstituted plots;
- (e) estimation of and apportionment of the compensation to or contribution from the beneficiaries of the scheme on account of the reconstitution of the plot and reservation of portions for public purpose;
- (f) evaluation of the increment in value of each reconstituted plot and assessment of the development contribution to be levied on the plot holder;

Provided that the contribution shall not exceed half the increment in value;

- (g) evaluation of the reduction in value of any reconstituted plot and assess the compensation payable thereof;
- (h) an estimate of the net cost of the scheme to be borne by the appropriate Authority; and
- (i) any other prescribed particulars.

(5) The cost of town development scheme shall include:—

- (a) all sums payable by the Town and Country Development Authority under the provisions of the Act, which are not specifically excluded from the costs of scheme;
- (b) all sums spent or estimated to be spent by the Town and Country Development Authority in the making and execution of the scheme;
- (c) all sums payable as compensation for land reserved for or designated for any public purpose or for the purposes of the Town and Country Development Authority which is solely or partly beneficial to the owners of land or residents within the area of the scheme;
- (d) all legal expenses incurred by the Town and Country Development Authority in the making and in the execution of the scheme;

- (e) other incidental expenses such as statutory decree, change of law, and force majeure, shall be recovered by the land owners included in the scheme;
- (f) twenty percent of the amount of the cost of infrastructure provided in the area adjacent to the area of the scheme, if necessary, for the purpose of and incidental to the scheme;
- (g) the costs of the scheme shall be met wholly or in part by a contribution to be levied by the Town and Country Development Authority on each plot included in the final scheme calculated in proportion to the increment:

Provided that —

- (i) (a) where the cost of the scheme does not exceed half the increment, the cost shall be met wholly by a contribution;
- (b) where it exceeds half the increment, to the extent of half the increment it shall be met by a contribution and the excess shall be borne by the Town and Country Development Authority.
- (ii) no such contribution shall be levied on a plot used, allotted or reserved for a public purpose or for the purpose of the Town and Country Development Authority which is solely beneficial to the owners of land or residents within the area of the scheme; and
- (iii) the contribution levied on a plot used, allotted or reserved for a public purpose or for the purpose of the Town and Country Development Authority which is beneficial partly to the owners of land or residents within the area of the scheme or partly to the general public shall be calculated in proportion to the benefit estimated to accrue to the general public from such use, allotment or reservation.

Explanation.-For the purpose of this Act, the increments shall be deemed to be the amount by which at the date of the declaration of intention to make a scheme the market value of the original plot included in the final scheme estimated on the assumption that the scheme has been completed would exceed at the same date the market value of the same plots estimated, with a factor, as may be prescribed, without reference to improvements contemplated in the scheme:

Provided that in estimating such value, the value of buildings or other works erected or in the course of erection on such plot shall not be taken into consideration;

- (h) the owner of each plot included in the scheme shall be primarily liable for the payment of contribution leviable in respect of such plot.
- (6) (a) If the owner of an original plot is not provided with plot in scheme or if the contribution to be levied from him under sub-section (4) is less than the total amount to be deducted therefrom under any of the provision of this Act, the net amount of his loss shall be payable to him by the Town and Country Development Authority. All payments due to be made to any person shall, as far as possible, be made by adjustment in such account with the Town and Country Development Authority in respect of the plot concerned or of any other plot in which he has an interest and failing such adjustment, shall be paid in cash or in such other manner as may be agreed upon by the parties.

- (b) The net amount payable under the provision of this Act by the owner of a plot included in the scheme may be at the option of the contributor be paid in lump sum or in annual installments not exceeding six.
- (c) If the owner elects to pay the amount by installments, interest at such rate as arrived at by adding two percent to the bank rate published under section 49 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934), from time to time, shall be charged per annum on the net amount payable.
- (d) If the owner of a plot fails to exercise the option on or before the date specified in a notice issued to him in that behalf by the Town and Country Development Authority, he shall be deemed to have exercised the option of paying contribution in installments and the interest on the contribution shall be calculated from the date specified in the notice being the date before which he was required to exercise the option.
- (e) If the owner of a plot fails to pay contribution in lump sum or in installments or does not appear after issuing the notice, a final notice of payment as calculated under clause (d) shall be issued for payment on or before the date specified in the notice, failing to appear after such notice issued to him in that behalf by the Town and Country Development Authority, the contribution of such amount shall be adjusted by deducting the land for the such amount due.
- (7) (a) In the draft scheme referred to in sub-section (3) and (4), the size and shape of every plot shall be determined, so far as may be, to render it suitable for building purposes and where the plot is already built upon, to ensure that the building, as far as possible, complies with the provisions of the scheme as regards rules to regulate the control of development.
- (b) For the purposes of clause (a), the draft scheme may contain proposals:
- (i) to form a final plot by reconstitution of an original plot by the alteration of its boundaries, if necessary;
 - (ii) to form a final plot from an original plot by the transfer of any adjoining lands;
 - (iii) to provide with the consent of the owners that two or more original plots which are owned by several persons or owned by persons jointly be held in ownership in common as a final plot, with or without alteration of boundaries;
 - (iv) to allot a final plot to any owner dispossessed of land in furtherance of the scheme; and
 - (v) to transfer the ownership of a plot from one person to another.
- (8) The Town and Country Development Authority shall consider all the objections and suggestions as may be received within the period specified in the notice under sub- section (3) and shall, after giving a reasonable opportunity to such persons affected thereby as are desirous of being heard, or after considering the report of the committee constituted under sub-section (9), approve the draft scheme as published or make such modifications therein as it may deem fit.

- (9) Notwithstanding anything contained in sub-section (7), the Town and Country Development Authority shall constitute a committee, to consider all the objections and suggestions as may be received within the period specified in the notice under sub-section (3), consisting of the Chief Executive Officer of the said Authority, an officer nominated by the Director, an officer nominated by District Collector not below the rank of Tehsildar, Commissioner or Chief Municipal Officer or his nominee of such urban local body within whose jurisdiction the town development scheme is situated and Chief Executive Officer or his nominee of the Zila Panchayat in case the scheme lies wholly or partly in his jurisdiction.
- (10) The committee constituted under sub-section (9) shall consider the objections and suggestions and give reasonable opportunity of to such persons affected thereby as are desirous of being heard and shall submit its report considering the provisions under sub-section (4) to the Town and Country Development Authority with recommendations for changes in the contents of the draft town development scheme to address the objections and suggestions and to effect any improvements in the scheme that the committee deems fit to recommend:

Provided that the final publication of such draft scheme shall be notified after the layout proposed therein has been approved by the Director. Such final publication shall be notified not later than six months from the date of publication of the draft scheme under sub-section (3) failing which the draft scheme shall be deemed to have lapsed:

Provided further that any person intending to carry out any development or construction on final plot allotted to him by the Town and Country Development authority shall obtain permission as may be prescribed.

- (11) Immediately after the town development scheme is approved under sub-section (10) with or without modifications, the Town and Country Development Authority shall publish in the Gazette and in such other manner as may be prescribed a final town development scheme and specify the date on which it shall come into operation.
- (12) (a) Where a town development scheme has come into operation, all lands required by the Town and Country Development Authority for the purposes specified in following clauses:
- (i) layout of new streets or roads, construction, diversion, extension, alteration, improvement and closing up of streets and roads and discontinuance of communications etc;
 - (ii) drainage inclusive of sewerage, surface or sub-soil drainage and sewage disposal;
 - (iii) lighting;
 - (iv) water supply;
- shall vest absolutely in the Town and Country Development Authority free from all encumbrances.
- (b) Nothing in clause (a) shall affect any right of the owner of the land vested in the appropriate authority.”.

Insertion of
Section 50-A.

7. After Section 50 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

“50-A. Disputed Ownership. (1) Where there is a disputed claim to the ownership of any piece of land included in an area in respect of which a declaration of intention to make a scheme has been made and any entry in the record of rights or mutation relevant to such disputed claim is inaccurate or inconclusive or in litigation, at any time prior to the date on which the Director, Town and Country Planning approves the scheme under sub-section (10) of Section 50, such claim shall be applicable on final plot mutatis mutandis, unless been decided by a competent court.

(2) In the event of a Civil Court passing a decree which is inconsistent therewith, be corrected, modified or rescinded in accordance with such decree as soon as practicable after such decree has been brought to the notice of the appropriate authority by the person affected by such decree.”.

Amendment of
Section 56.

8. Section 56 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered, the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) The lands reserved and allocated to the Town and Country Development Authority as per the provisions of Section 49 and vested in the Authority under sub-section (11) of Section 50 shall be transferred to the freehold ownership of the Town and Country Development Authority. This transfer having been done through the process of plot reconstitution under sub-section (7) of Section 50 with concomitant calculations of compensation and contribution under the provisions of sub-section (4) of Section 50, shall not be subject to the provisions of any legislation regarding land acquisition:

Provided that after the declaration of final scheme the Town and Country Development Authority shall without delay forward a copy of the final scheme to the District Collector of the region for the purpose of correcting the survey records.”.

Substitution of
Section 59.

9. For Section 59 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

“59. Development charges-(1) Where as a result of town development scheme, there is in the opinion of the Town and Country Development Authority, appreciation in the market value of lands adjacent to and affected by a scheme, the Town and Country Development Authority may, in lieu of providing for the acquisition of such land or framing a town development scheme, levy development charges on owners of such land:

Provided that such levy may also be charged on the land which is lying within the area of town development scheme, and is in the course of development, with prior permission of the Director.

(2) The development charges shall be an amount equal to one-third of the difference between the value of the land on the date of publication of the intention to prepare the town development scheme under sub-section (2) of Section 50 and value of the land on the date of development charges to levy.”.

10. For sub-section (1) of Section 60 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely : —

Amendment of
Section 60.

“(1) During implementation of the development scheme, the Town and Country Development Authority shall, by a notice in such form and published in such manner as may be prescribed, declare of its intention to levy development charges in the area affected by the scheme or within the area of town development scheme, calling upon owners of land liable to pay development charges to submit objection, if any, within such period which shall not be less than thirty days from the date of publication of the notice, and to such authority as may be specified in the notice.”.

11. Section 78 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:—

Amendment of
Section 78

“(2) No civil court shall have jurisdiction to entertain any dispute relating to town development scheme in respect of which the development authority is empowered by or under this Act, and no injunction shall be granted by any court in respect of any such matter.”.

12. In Section 85 of the principal Act, in sub-section (2), for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of
Section 85.

“(xiii) (a) the manner of publication of declaration under section 50(1);
 (b) the manner of publication of declaration under section 50(2);
 (c) the form in which and the manner in which the town development scheme in draft form shall be published under section 50(3);
 (d) the form and the manner in which the contents of town development scheme in draft form shall be published under section 50(4);
 (e) the manner in which the permission on final plot of a town development scheme shall be issued under section 50(10);
 (f) the manner in which the final town development scheme shall be published under section 50(11);”.

13. In Section 87 of the principal Act, after the sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:—

Amendment of
Section 87.

“(3) Notwithstanding the substitution of Section 49 and Section 50 by the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019, anything done or any action taken for physical development after the final publication of scheme under repealed provision of Section 50, shall, in so far as it is inconsistent with the provision of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.”